षोडश माला, खंड 26, अंक 15 शुक्रवार, 4 अगस्त, 2017

13 श्रावण, 1939 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

बारहवां सत्र

(सोलहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 26 में 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

सम्पादक मंडल

उत्पल कुमार सिंह

महासचिव

लोक सभा

चंदर मोहन

अपर सचिव

बसन्त प्रसाद

निदेशक

नरेश कुमार

उप निदेशक

© 2017 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रोनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण का अनुवाद कृत्रिम मेधा (Artificial Intelligence**) आधारित सॉफ्टवेयर एप्पलीकेशन की सहायता से किया गया है और सटीक अनुवाद उपलब्ध कराने के लिए यथोचित प्रयास किए गए हैं। तथापि**, हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

विषय-सूची

षोडश माला, खंड 26, बारहवां सत्र, 2017 / 1939 (शक)

अंक 15, शुक्रवार, 4 अगस्त, 2017 / 13 श्रावण, 1939 (शक)

विषय	पृष्ठ संख्या
अध्यक्ष द्वारा उल्लेख	
जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जाने की 72वीं वर्षगांठ	9-10
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
[1*]तारांकित प्रश्न संख्या 281 से 285	12-39
प्रश्नों के लिखित उत्तर	40
तारांकित प्रश्न संख्या 286 से 300	
अतारांकित प्रश्न संख्या 3221 से 3450	

[1*] किसी सदस्य के नाम पर अंकित- चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

सभा पटल पर रखे गए पत्र 41-73

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) आर्थिक मामलों, व्यय, वित्तीय सेवाओं और डी.आई.पी.ए.एम. विभाग, वित्त मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2017-18) पर वित्त संबंधी स्थायी समिति के 46वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री अरुण जेटली 74

(दो) भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव (आई.आई.एस.एफ.) का आयोजन

डॉ. हर्षवर्धन 75-76

सभा का कार्य **77-85**

केंद्रीय नि:श्क्तता सलाहकार बोर्ड में दो सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव 83-84

केंद्रीय रेशम बोर्ड के लिए चार सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव 84-85

सदस्यों द्वारा निवेदन **86-89, 175-176**

(एक) सरकार द्वारा प्रायोजित चालू स्कीमों पर माल और सेवा कर से छूट की आवश्यकता के बारे में 85-88

(दो) स्वर्ण पदक विजेता सुश्री पी.यू. चित्रा को लंदन में विश्व चैंपियनशिप में भाग लेने वाले भारत के 24 सदस्यीय दल की सूची से बाहर किए जाने के बारे में 175-176

भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान विधेयक, 2017 **90-160**

विचार के लिए प्रस्ताव 90-94

श्री धर्मेन्द्र प्रधान 92--94

श्री अधीर रंजन चौधरी 95-98

डॉ. कंभमपति हरिबाबू 98-102

प्रो. सौगत राय 102-105

श्री तथागत सत्पथी 106-109

श्री जी. हरि 110-112

श्री अरविंद सावंत 113-115

श्री मुथमसेट्टी श्रीनिवास राव (अवंती) 116-119

प्रो. ए.एस.आर. नायक 120-121

श्री पी. के. बिजू 122-124

श्री वाई.वी. सुब्बा रेडी 125-126

श्रीमती विजया चक्रवर्ती 127-128

श्री जय प्रकाश नारायण यादव 129

श्री दुष्यंत चौटाला 130-131

श्री राघव लखनपाल 132-133

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा 134

डॉ. रत्ना डे (नाग) 135-136

श्री कौशलेन्द्र कुमार	137-138
श्री ए. टी. नाना पाटिल	139-141
श्री भगवंत मान	142
डॉ. अरूण कुमार	143
श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन	144-145
श्री रविन्दर कुशवाहा	146
श्री राजेश रंजन	147-152
खंड 2 से 45 और 1	153-160
पारित करने के लिए प्रस्ताव	160

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती सुमित्रा महाजन

माननीय उपाध्यक्ष

डॉ. एम. तंबिदुरै

सभापति तालिका

श्री अर्जुन चरण सेठी

श्री हुक्मदेव नारायण यादव

श्री आनंदराव अडसुल

श्री प्रहलाद जोशी

डॉ. रत्ना डे (नाग)

श्री रमेन डेका

श्री कोनाकल्ला नारायण राव

श्री हुकुम सिंह

श्री के.एच. मुनियप्पा

डॉ. पी. वेणुगोपाल

महासचिव

श्री अनूप मिश्र

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

शुक्रवार, 4 अगस्त, 2017 / 13 श्रावण, 1939 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**माननीय अध्यक्ष** *पीठासीन हुईं*]

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जाने की 72वीं वर्षगांठ

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आपको याद होगा कि 72 वर्ष पूर्व 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को क्रमशः हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराये गये थे, जिसके कारण दोनों शहर तहस-नहस हो गये थे। इस त्रासदी में हजारों लोग मारे भी गए थे तथा लाखों लोग घायल हो गए और कई लोग तो जीवन भर के लिए अपंग हो गए।

72 वर्ष के बाद आज भी हिरोशिमा और नागासाकी के निवासी उन हमलों में हुए परमाणु विकिरण के दुष्प्रभावों को झेल रहे हैं।

भारत की आहिंसा के सिद्धान्तों के प्रति सदैव अटूट आस्था रही है तथा हमने शान्ति और स्थिरता बनाये रखने के लिए अग्रणी भूमिका निभाई है। भारत सदैव 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' के लिए प्रयासरत रहा है।

फिर भी आज भी विश्व में परमाणु ऊर्जा के मिसयूज, गैर वापर के लिए सदैव आशंका बनी हुई है। आइए, आज के दिन हम इस नरसंहार के हथियारों को समाप्त करने तथा विश्वभर में शान्ति और भाईचारे के संवर्धन हेतु एक साथ मिलकर काम करने का संकल्प लें और एक प्रार्थना भी हम कर सकते हैं।

"ऊँ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु।

सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मंगलम् भवतु।।

ऊँ शान्तिः शान्तिः शान्तिः"

मतलब (सभी को शांति मिले, सभी स्वस्थ रहें - सभी अच्छे भाग्य का आनंद लें, किसी को भी दुःख और पीड़ा का सामना न करना पड़े, ओम!! शांति शांति शांति)

अब यह सभा जापान में परमाणु बम त्रासदी से पीड़ित हुए व्यक्तियों के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़ी रहेगी।

<u>पूर्वाह्न 11.01 बजे</u>

(तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।)

माननीय अध्यक्ष : ॐ शान्तिः शान्तिः।

माननीय अध्यक्ष : क्वेश्चन नम्बर 281

... <u>(व्यवधान)</u>

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी (महबूबनगर): महोदया, मुझे दो मिनट का समय दीजिए।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: मैं प्रश्नकाल के बाद आपको अनुमति दूंगी।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : मैं कह रही हूँ कि क्वेश्चन ऑवर के बाद आपको बोलने का मौका दूँगी।

... <u>(व्यवधान)</u>

[अनुवाद]

श्री ए.पी. जीतेन्द्र रेड्डी: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहूंगा... (*व्यवधान*) जी.एस.टी. कार्यान्वयन के कारण भारी नुकसान होता है... (*व्यवधान*) हम अपने राज्य की खातिर इस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं। मैं दो मिनट में खत्म कर दूँगा... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: मैं प्रश्नकाल के बाद आपको अनुमति दूंगी।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी : महोदया, यह एक महत्वपूर्ण इश्यू है। मंत्री जी भी यहाँ बैठे हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप ऐसा मत कीजिए, मैं आपको क्वेश्चन ऑवर के बाद बोलने का मौका दूँगी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अभी कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मैं आपको आश्वासन दे रही हूँ। मैं क्वेश्चन ऑवर के तुरन्त बाद आपको बोलने का मौका दूँगी।

... (व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.04 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 281

(प्रश्न संख्या 281)

[हिन्दी]

श्री रवीन्द्र कुमार राय: अध्यक्ष महोदया, वैसे तो माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तृत रूप से उत्तर दिया है और विस्तृत उत्तर के लिए मैं उनका आभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। निःसंदेह, सरकार के और खासकर, दिल्ली के जो केन्द्रीय अस्पताल हैं, वहां आधिक रोगियों का दबाव बढ़ा है और उसमें से एम्स पर रोगियों का दबाव बहुत बढ़ा है। पूरे देश भर से लोग एम्स में इलाज़ कराने आते हैं। व्यावहारिक तौर पर, पूरे देश में अभी एक ही एम्स काम कर रहा है, वह है दिल्ली का एम्स। पूरे देश भर में जो थके-हारे, निराश रोगी होते हैं, वे यहां दिल्ली में इलाज़ कराने के लिए पहुंचते हैं। वैसे माननीय मंत्री जी ने कहा है कि जितने रोगियों का पंजीयन होता है, उतने रोगियों का इलाज़ हो जाता है।

मेरा सुझाव है और उनसे अनुरोध है कि एक तो पंजीयन कराने में ही बहुत बड़ी कठिनाई हम लोगों को, क्षेत्र से आए हुए लोगों को और ऐसे लोग, जिन्हें सामान्य बीमारी होती है, उन्हें हो रही है। विडम्बना यह है कि डॉक्टर ही इलाज़ करके कहते हैं कि यह जो आपकी बीमारी है, इसका इलाज़ दो महीने के अन्दर हो जाना चाहिए, लेकिन जब वहीं उसका इलाज़ करने की बात आती है तो वे कहते हैं कि आपको तीन वर्ष के बाद का समय दिया जाता है। यह ऐसी अव्यावहारिक बात है कि वहीं के डॉक्टर कह रहे हैं कि आपको दो महीने के अन्दर ऑपरेशन करा लेना है और जब ऑपरेशन कराने की तिथि की मांग की जाती है, तो वे कहते हैं कि आपका समय तीन वर्ष के बाद आएगा। अब वह रोगी कठिनाई में पड़ जाता है कि हम कहां जाएं। डॉक्टर उसे

यह चिन्हित करते हैं कि आपको दो महीने के अन्दर इसका इलाज़ करा लेना जरूरी है, ऑपरेशन करा लेना जरूरी है। वह रोगी चाहता है कि वहीं पर वह किसी तरह से इलाज़ करा ले।

अध्यक्ष महोदया, इन्होंने दिल्ली के केन्द्रीय अस्पतालों की चर्चा की है। मेरी प्रार्थना है कि कई बार ऐसी व्यावहारिक कठिनाई आती है कि एम्स के डॉक्टर बगल के हॉस्पीटल सफ़दरज़ंग में रेफर करते हैं और वहां के डॉक्टर्स उसका इलाज़ करने से इन्कार कर देते हैं। यदि वे राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उसे रेफर करते हैं तो वहां के डॉक्टर भी इलाज़ करने से इन्कार कर देते हैं।

मैं जानना चाहता हूं कि एक तो समयावधि के अन्तर्गत, आवश्यकता के अनुसार जो डॉक्टर यह फिक्स करते हैं कि इतने दिनों के अन्दर इसका इलाज़ होना चाहिए तो वह इलाज़ कराने की समयावधि निश्चित करनी चाहिए। दिल्ली के जो केन्द्रीय अस्पताल हैं, उन्हें एम्स के साथ जोड़ा जाए, ताकि उनके रेफरेंस को वे स्वीकार करें और उन लोगों का इलाज़ हो सके।

माननीय अध्यक्ष : ये सुझाव वे मान्य कर रहे हैं कि नहीं, यह आप बोलना चाहते हैं?

श्री रवीन्द्र कुमार राय: महोदया, मैं प्रश्न कर रहा हूं कि क्या वे दिल्ली के सभी हॉस्पीटल्स को एम्स के साथ जोड़ेंगे और इलाज़ के समय की निश्चितता को स्वीकार करेंगे?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री जगत प्रकाश नड्डा): महोदया, सबसे पहली बात तो यह है कि जहां तक 'ऑल इंडिया इंस्टीच्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज' का प्रश्न है, 'ऑल इंडिया इंस्टीच्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज' ने स्वास्थ्य सुविधाओं को देने के लिए एक बेंचमार्क स्थापित किया है। इसलिए सबका प्रिफरेंस 'ऑल इंडिया इंस्टीच्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज' से ही इलाज़ कराने का है। लेकिन, इसके साथ-साथ हम लोगों ने इसी को विभिन्न राज्यों में इसी को रेप्लीकेट करने की कोशिश की है।

हम दो तरीके से काम कर रहे हैं। एक तो 'ऑल इंडिया इंस्टीच्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज' की कपैसिटी को हम डबल कर रहे हैं और उसका उत्तर हमने विस्तृत रूप से दिया है। 'ऑल इंडिया इंस्टीच्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज' में अभी जो काम चल रहा है, उसके कैम्पस में हम लगभग 1,563 बेड्स एडिशनल जोड़ रहे हैं और

लगभग 3,119 करोड़ रुपये इस पर खर्च हो रहा है। इस तरीके से, हम 'ऑल इंडिया इंस्टीच्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज' के लिए काम कर रहे हैं।

दूसरा, हम लोगों ने स्टेट्स में जो फेजवाइज 'ऑल इंडिया इंस्टीच्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज' खोले हैं, उनमें भुवनेश्वर, जोधपुर, छत्तीसगढ़ का रायपुर में ये बहुत हद तक ऑपरेशनल हो गए हैं और इसके माध्यम से वहां के पेशेंट्स की जो डिमांड है, उसे कवर करने के लिए वे सक्षम हो रहे हैं। धीरे-धीरे हम सभी की कपैसिटी बढ़ा रहे हैं।

जहां तक माननीय सदस्य ने कहा है, हमारे यहां यही व्यवस्था होती है कि यदि किसी भी पेशेन्ट को रैफर किया जाता है, तो हम उसको जरूर इंटरटैन करते हैं। बहुत से ऐसे केसेस हैं, जिनको दूसरे हॉस्पिटल्स भी कैटर कर सकते हैं, लेकिन पेशेन्ट की इच्छा होती है कि उनको इसी हॉस्पिटल में कैटर किया जाए, इसलिए यहां पर प्रेशर बढ़ रहा है। कभी कभी, वे फिर से सफदरजंग या राम मनोहर लोहिया अस्पताल को रेफर कर देते हैं क्योंकि वह सुविधा वहाँ उपलब्ध है। वहां वह किया जा सकता है और जो केसेस लाइफ सेविंग की सिचुएशन में आ जाते हैं, जहां पर करने की जरुरत होती है। हमने अपने आई.सी.यू. को भी बढ़ाया है और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़ इसको कैटर कर रहा है। हमारे लिए यह बड़े ही संतोष की बात है और सारे देश के लिए गर्व की बात है कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़, नई दिल्ली क्वालिटी वाइज भी तथा जितने नंबर ऑफ पेशेन्ट को इंटरटैन करता हैं, दोनों को मेंटेन करते हुए बैलेंस बना रहा है। यह दुनिया में एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, जिसका दुनिया में एक स्थान बना है।

श्री रवीन्द्र कुमार राय: अध्यक्ष महोदया, मेरे दूसरे प्रश्न का माननीय मंत्री जी ने विस्तृत उत्तर भी दिया है। पूरे देश तथा हम लोग अपने राज्य में भी देखते हैं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्यों में अच्छेअच्छे हॉस्पिटल बने हैं और ये हॉस्पिटल्स देखने लायक हैं। वास्तव में अगर उनमें सुविधा हो जाए, तो शायद बहुत ही कम रोगियों को दिल्ली आना पड़ेगा। लेकिन, दुर्भाग्य से स्थिति यह है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जो हॉस्पिटल्स बनाए जाते हैं, निसंदेह उसमें राज्य सरकार की भी भूमिका है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत बने हुए अस्पतालों में डॉक्टर्स तथा स्वास्थ्य की उपलब्धता बनायी जाए, इसके लिए राज्य सरकारों से मिलकर पहल करने की कोशिश क्या केंद्र सरकार एवं माननीय मंत्री जी करेंगे?

श्री जगत प्रकाश नड्डा: हमने नेशनल हैल्थ मिशन के तहत इसके लिए पहल कर रखी है। हम उनको इंस्टीट्यूशन के स्ट्रैंथनिंग के लिए पैसा देते हैं और टेक्निकल सर्पोट भी देते हैं। इसके साथ साथ उनके एक्विपमेंट्स के लिए भी हम पैसा देते हैं। हम उन्हें ह्यूमन रिर्सोस डेवलपमेंट के लिए पैसा देते है, उनकी ट्रेनिंग के लिए पैसा देते हैं और उनकी तनख्वाह की भी व्यवस्था करते हैं। इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स का जो उनका स्टेट प्रोग्राम इम्प्लिमेंटेशन प्रोग्राम है, उसमें डालना पड़ता है। यदि वे उसमें डालें, तो जरूर उनका जो एन्वलप है, उसके तहत हम इसके लिए सपोर्ट करेंगे।

[अनुवाद]

श्री शंकर प्रसाद दत्ता: माननीय अध्यक्ष महोदया, धन्यवाद।

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में चिकित्सा और उससे संबंधित चिकित्सा व्यय पर जो खर्च किया गया है वह दुनिया के कई अन्य देशों की तुलना में कम है। यहाँ, मेरा विशिष्ट प्रश्न सामान्य रूप से उत्तर-पूर्वी राज्यों और विशेष रूप से त्रिपुरा राज्य के बारे में है। इस प्रश्न के उत्तर में कि इन राज्यों पर कितना व्यय हुआ, मंत्री जी ने विस्तृत उत्तर दिया है।

आप देख सकते हैं कि अस्पताल सुदृढ़ीकरण के मामले में त्रिपुरा राज्य की तुलना में उत्तर-पूर्वी राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और मेघालय को अधिक धन मिल रहा है। मैं दुखी नहीं हूं। बेशक, मैं खुश हूँ क्योंकि आखिरकार, हमारे उत्तर-पूर्वी राज्यों को अधिक पैसा मिल रहा है। लेकिन कि जैसा आप जानते हैं, त्रिपुरा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, लेकिन इसे केवल 250 लाख रुपये ही मिल रहे हैं।

अस्पताल सुदृढ़ीकरण के मामले में और अस्पतालों के नए निर्माण के मामले में भी त्रिपुरा राज्य को कम धनराशि मिल रही है। हमारी राज्य सरकार ने रोकथाम और अनुसंधान के लिए क्षेत्रीय कैंसर केंद्र स्थापित किए

जाने के उद्देश्य से अनेक प्रस्ताव भेजे हैं। इस तरह के संस्थान उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में आवश्यक हैं। इसलिए, हमारी राज्य सरकार ने इस वर्ष 18 फरवरी को एक प्रस्ताव भेजा है। उस केंद्र की स्थापना के लिए केवल 400 करोड़ रुपये की जरूरत है। यह उत्तर-पूर्वी राज्यों से संबंधित सभी रोगियों को सेवा प्रदान कर सकता है। इसलिए, एक क्षेत्रीय कैंसर केंद्र स्थापित किया जाना चाहिए।

क्षेत्रीय नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाने का एक अन्य प्रस्ताव भी भेजा गया है और वह प्रस्ताव छह बार भेजा जा चुका है। डी.पी.आर. भी छह बार भेजा गया है।

माननीय अध्यक्ष: आपका प्रश्न क्या है?

श्री शंकर प्रसाद दत्ता: केंद्र सरकार की पहल के अनुसार, हमारी सरकार ने मेडिकल कॉलेज के पास तीन एकड़ जमीन आबंटित की है। मंत्री जी से मेरा विशेष प्रश्न यह है कि त्रिपुरा राज्य में इस संस्थान की स्थापना के लिए आवश्यक धनराशि को कब तक आबंटित किया जाएगा ताकि उत्तर पूर्व के रोगी इससे लाभान्वित हो सकें।

श्री जगत राकेश नड्डा: महोदया, मैं माननीय सदस्यगण को यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि हम राज्यों के बीच अंतर नहीं करते हैं। एक व्यापक नीति बनाई गई है जिसके तहत उत्तर पूर्वी राज्यों के अपने मापदंड हैं जिनके आधार पर निधि आबंटन का निर्णय होता है। इसी प्रकार, कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो उच्च प्राथमिकता वाले हैं, तथा कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो उच्च प्राथमिकता वाले नहीं हैं। उच्च फोकस वाले राज्यों का चयन रोग की व्यापकता तथा अन्य महत्वपूर्ण कारकों के आधार पर किया जाता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का दायरा जनसंख्या के हिसाब से भी तय किया जाता है। राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना राज्य सरकार के पास है। चाहे जो भी प्रस्ताव भेजा जाए, बजट (लिफाफा) पहले से ही तय है और यह सभी राज्यों के लिए एक समान है। कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिन्हें कम संसाधन मिले हैं क्योंकि प्रस्ताव नहीं आए हैं। माननीय सदस्य को मैं यह आश्वासन देता हूं कि इस बजट के भीतर, राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना से जो भी प्रस्ताव आएंगे, हम उन पर विचार करेंगे और तदनुसार धनराशि प्रदान करेंगे।

जहां तक क्षेत्रीय कैंसर संस्थान का प्रश्न है, यह एक अलग शीर्ष के अंतर्गत आता है और निश्चित रूप से यदि कोई प्रस्ताव है, तो हम इस पर गौर करेंगे।

श्री एम. आई. शनावास: माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे इस सीट से प्रश्न पूछने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

प्रश्न दिल्ली के सामान्य अस्पतालों से जुड़ा है। लेकिन पूरे भारत में, सामान्य अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं, दवाओं, उपचार आदि की कमी है। अब बात यह है कि भारत में निजी अस्पताल चलाना एक आकर्षक व्यवसाय बन गया है। निजी अस्पतालों द्वारा अपनाए गए शायलॉकीय तरीके गरीब मरीजों को पीड़ित कर रहे हैं। गरीब मरीज निजी अस्पतालों में नहीं जा पा रहे हैं। तो, मैं माननीय मंत्री जी से एक विशिष्ट प्रश्न पूछना चाहता हूँ।

क्या सरकार में निजी अस्पतालों के व्यापारिक लक्ष्यों को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाने की हिम्मत है ताकि गरीब लोग भी निजी अस्पतालों में जा सकें और वहां इलाज करा सकें?

श्री जगत प्रकाश नड्डा: महोदया, मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि जब वह अस्पतालों के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैंने दिल्ली के बारे में जो उत्तर दिया है वह उन अस्पतालों के बारे में है जो केंद्र सरकार द्वारा चलाए जाते हैं। हम उन अस्पतालों की बात नहीं कर रहे हैं जो दिल्ली और उसके बाहर भी राज्य सरकार द्वारा संचालित हैं। राज्यों में उन अस्पतालों को चलाना राज्य की ज़िम्मेदारी है। हम उन्हें आधारभूत सहायता प्रदान करते हैं और 73 अस्पतालों को सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक की सुविधा प्रदान की गई है, और उसके लिए उन्हें 150 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं। इसी प्रकार, जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेजों में उच्च स्तर पर लाने का काम किया जा रहा है और इस परियोजना में 58 मेडिकल कॉलेजों का चयन किया गया है। हम इस पर काम कर रहे हैं और हर अस्पताल के विकास के लिए 189 करोड़ रुपये की धनराशि प्रदान कर रहे हैं। लेकिन उनका विकास करना राज्यों की ज़िम्मेदारी है। इसलिए, एक सामान्य वक्तव्य देना सही नहीं है। दिल्ली में केंद्रीय अस्पताल

सफदरजंग अस्पताल, लेडी हार्डिंग अस्पताल, राम मनोहर लोहिया अस्पताल, अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान और वल्लभभाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट हैं। इसलिए, हम इनके बीच स्पष्ट अंतर देख सकते हैं।

दूसरी बात, माननीय सदस्य गण ने निजी अस्पतालों का जिक्र किया है। हालाँकि वह प्रश्न मुख्य प्रश्न से संबंधित नहीं है, फिर भी मैं उसका उत्तर देना चाहूँगा। उन्होंने पूछा कि क्या केंद्र सरकार में नया कानून बनाने की हिम्मत है। केंद्र सरकार ने नैदानिक स्थापना अधिनियम पारित किया है। अब इसे राज्यों को अपनाना है। यह उन्हें दिखाना होगा कि क्या वह इसे अपना सकते हैं या नहीं। यह उन्हें करना होगा। हम इसके लिए तैयार हैं और नैदानिक स्थापना अधिनियम में वह सभी बातें शामिल हैं जिन्हें माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, और यह तभी सम्भाला जाएगा जब राज्य नैदानिक स्थापना अधिनियम को अपनाए।

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे: माननीय अध्यक्ष महोदया, एक रिपोर्ट के अनुसार अनुमान है कि हमारे देश में 14.5 लाख लोग कैंसर से पीड़ित हैं, हर वर्ष सात लाख से अधिक मामले दर्ज होते हैं, जिनमें से 5.5 लाख मामलों में कैंसर के कारण मृत्यु हो जाती है। अधिकांश कैंसर रोगियों को रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी की आवश्यकता होती है। कुछ को केवल रेडियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है और कुछ को केवल कीमोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन सरकारी अस्पतालों में इन रेडियोथेरेपी मशीनों की भारी कमी है। रेडियोथेरेपी कराने के लिए मरीजों को चार से छह महीने तक का इंतजार करना पड़ता है। अगर सर्जरी खत्म हो भी जाए तो भी उन्हें चार से छह महीने तक इंतजार करना पड़ता है। इसलिए, उन्हें रेडियोथेरेपी के लिए निजी अस्पताल में रेफर कर दिया जाता है। लेकिन उन रोगियों का क्या, जो इस उपचार को वहन नहीं कर सकते? इस उपचार की कमी के कारण, चार से छह महीने की अवधि में कैंसर अपने अगले चरण तक पहुंच जाता है।

माननीय अध्यक्ष: कृपया अपना प्रश्न पूछें।

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे: जी, माननीय महोदया।

माननीय मंत्री जी से मेरा विशिष्ट प्रश्न है: कि क्या सरकार उन सभी सरकारी अस्पतालों में जहां इस कैंसर का इलाज होता है, ये रेडियोथेरेपी मशीनें उपलब्ध कराने की योजना बना रही है।

श्री जगत प्रकाश नड्डा: महोदया, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, हमने 20 राज्य कैंसर संस्थान और 50 तृतीयक कैंसर केंद्र शुरू किए हैं।

उनका प्रश्न विशिष्ट न होकर सामान्य है। सामान्य तौर पर, इतना ही नहीं, हम कैंसर की शुरूआती स्क्रीनिंग के लिए भी जा रहे हैं। इस वर्ष, हमने 100 जिलों को लिया है जहां हम गर्भाशय ग्रीवा कैंसर, स्तन कैंसर और मुंह के कैंसर की सार्वभौमिक जांच की सुविधा दे रहे हैं। इसलिए, एक प्रारंभिक जांच भी चल रही है।

जहां तक उपचार की बात है, यह एक सतत विकास प्रक्रिया है, जो हम कर रहे हैं। लेकिन अगर माननीय सदस्यगण किसी विशिष्ट अस्पताल के बारे में पूछते हैं, हम इस पर गौर करेंगे।

माननीय अध्यक्ष : अब, श्री पी. करुणाकरन। आपको स्पष्ट प्रश्न पूछना है, और भाषण नहीं देना है।

श्री पी. करुणाकरन: हालाँकि सरकारी अस्पतालों में दिक्कते हैं और सुविधाएँ कम हैं, फिर भी ये अस्पताल आम लोगों के लिए एक उपहार हैं क्योंकि उन्हें वहाँ जो इलाज मिलता है, वह मुफ़्त है, बिना किसी शुल्क के।

इस संबंध में मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, कि क्या सरकार के पास कुछ चुनिंदा सरकारी अस्पतालों को निजी क्षेत्र के हाथों में सौंपने का कोई प्रस्ताव है? यदि ऐसा है, तो यह वास्तव में समाज और आम लोगों के लिए हानिकारक होगा। कुछ रिपोर्ट हैं, जो बताती हैं कि सरकार ऐसा निर्णय लेने जा रही है।

तो, मुझे इस मुद्दे पर माननीय मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण की आवश्यकता है।

श्री जगत प्रकाश नड्डा: महोदया, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है; और सरकार इस पर विचार नहीं कर रही है।

माननीय अध्यक्ष : बहुत अच्छा।

अब, श्री वरुण गांधी। आपको एक बहुत ही स्पष्ट प्रश्न पूछना है और कुछ नहीं।

श्री फ़िरोज़ वरुण गांधी: भारत में पैदा होने वाले सभी शिशुओं में से लगभग 13 प्रतिशत बच्चे समय से पहले पैदा होते हैं; और हमारे यहां दुनिया में समय से पहले होने वाली शिशु मृत्यु की सबसे बड़ी संख्या है। सरकार ने इस समस्या को समझते हुए दिल्ली में एक राष्ट्रीय मानव दूध बैंक बनाया है, जो स्तनपान और दूध को जमा

करके इस समस्या का समाधान करने के लिए एक बहुत स्वागत योग्य कदम है। क्या यह देश भर के अस्पतालों में फैलेगा?

श्री जगत प्रकाश नड्डा: यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की गई एक नई पहल है; और हम इसे बढ़ाने जा रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष: धन्यवाद।

(प्रश्न संख्या 282)

[हिन्दी]

डॉ. भारतीबेन डी. श्याल: अध्यक्ष महोदया, हमारा देश मातृ शक्ति और नारी शक्ति की पूजा करना जानता है। नवरात्रि में 9 दिनों तक मातृशक्ति और नारीशक्ति की पूजा करता है लेकिन हमारा देश का दूसरा पहलू यह भी है कि अगर कोई महिला विधवा या तलाकशुदा हो जाती है या बलात्कार पीड़ित होती है तो पूरे समाज का नजरिया उसकी तरफ देखने का बदल जाता है। ऐसी स्थिति में उनको जिन्दगी जीना दुष्कर हो जाता है। मजबूरन उनको आत्महत्या कर लेनी पड़ती है।

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि क्या मंत्रालय ने कोई ऐसी योजना बनाई है। मेरी जानकारी में एक वन स्टॉप सेंटर जैसी कोई योजना देश में चली है। वन स्टॉप सेंटर क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और हिंसा पीड़ित महिलाएं जो शारीरिक और मानसिक हिंसा से पीड़ित होते हैं उनको क्या सेवा और सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। हमारे देश में ऐसे कितने सेंटर हैं खासकर गुजरात में मेरी कंस्टीट्यूएंसी भावनगर में ऐसा कोई सेंटर खोला गया है?

[अनुवाद]

श्रीमती मेनका संजय गांधी: माननीय अध्यक्ष महोदया, अभी 151 केंद्र हैं। इन्हें मोदी सरकार की एक नई पहल के रूप में शुरू किया गया था। ये केंद्र उन महिलाओं की जरूरतों को पूरा करते हैं, जो हिंसा के शिकार हुए हैं या जो हिंसा की आशंका रखते हैं। इन केंद्रों का उद्देश्य यह है कि जिन महिलाओं की चिकित्सा सुविधाओं तक पहुंच नहीं है या जिनकी पुलिस विधिक सुविधाओं तक पहुंच नहीं है या जो पुलिस स्टेशनों पर जाने से बहुत डरती हैं, वे यहां आ सकती हैं। शुरू हुए प्रत्येक केंद्र में, हमारे पास एक मनोवैज्ञानिक, एक डॉक्टर, एक नर्स, एक वकील और एक पुलिसकर्मी है। हमारे पास मुख्य रूप से आठ बिस्तरों की सुविधा है, जिसका विस्तार किया जा सकता है। हमारे पास 30,000 महिलाएं हैं जो इन केंद्रों पर आती हैं।

गुजरात में, हमने अब तक 2 केंद्र बनाए हैं - एक साबरकांठा जिले में और दूसरा राजकोट में। हम मुख्य रूप से इस अवधि के समाप्त होने से पहले 600 केंद्र बनाने करने की कोशिश कर रहे हैं।

[हिन्दी]

डॉ. भारतीबेन डी. श्याल: माननीय अध्यक्ष जी, हमें अपने देश की बेटियों पर गौरव महसूस होता है कि एवरेस्ट और स्पेस पर पहुंची हैं। देश के लिए क्रिकेट भी खेलती हैं। यहां तक कि जरूरत पड़ने पर देश का मोर्चा भी संभालती हैं। इस पर हमें गौरव होता है। हमारे देश में तीन वर्ष में हर डिपार्टमेंट में ट्रांसपेरेंसी आई है, बेटियां अपने स्वयं के टैलेंट के कारण भारी मात्रा में जॉब करने लगी हैं, कामकाजी महिलाएं बन रही हैं। ग्रामीण क्षेत्र की बेटियों को दिक्कत तब होती है, जब जॉब करने अलग क्षेत्रों में जाती हैं तो रहने के लिए बहुत मुश्किल होती है। बड़े शहरों में वर्किंग वूमेन होस्टल हैं लेकिन इनकी मात्रा बहुत कम है जिसके कारण बहुत महिलाएं इनमें नहीं रह पाती हैं।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि सरकार हमारे देश में डिस्ट्रिक्ट और तहसील लैवल पर वर्किंग वूमेन होस्टल चलाने का इरादा रखती है ताकि देश की महिलाएं आत्मनिर्भर हो कर आत्मसम्मान से जी सकें?

[अनुवाद]

श्रीमती मेनका संजय गांधी: महोदया, कार्यरत महिलाओं के छात्रावास योजना के अंतर्गत, उन महिलाओं के लिए छात्रावास के निर्माण और चलाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जो अकेली, विधवा, तलाकशुदा, अलग या शादीशुदा हैं, और उनके पति या करीबी परिवार उसी क्षेत्र में नहीं रहते हैं। अब तक, हमने 1972 में योजना शुरू होने के समय से 940 छात्रावास बनाए हैं। ये सभी स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने लगभग 70,600 महिलाओं को लाभान्वित किया है। गुजरात में, हमारे पास 26 छात्रावास हैं। यदि राज्य सरकार हमें आवेदन करेंगी, तो हमें उनकी सिफारिश करने में खुशी होगी। इन्हें मुख्य रूप से एन.जी.ओ. द्वारा चलाया जाता है। हम निर्माण के लिए एकमुश्त अनुदान देते हैं। हम एक किराया घटक प्रदान करते हैं और बाकी धनराशि को

शायद एक छोटी धनराशि वसूलकर स्व-वित्तपोषित किया जाता है। ये मूल रूप से शहरों और कस्बों के लिए हैं क्योंकि मुझे पूरा यकीन नहीं है कि हमें ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी आवश्यकता है।

माननीय अध्यक्ष: श्री राधेश्याम विश्वास - उपस्थित नहीं।

श्रीमती ममता ठाकुर।

[हिन्दी]

श्रीमती ममता ठाकुर: स्वाधार योजना के तहत रहने वाले बच्चों को शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए किस नीति का पालन किया जाता है? उसे शिक्षित करने और बाल मजदूरी से बचाने के लिए तीन वर्ष में कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है? अन्य राज्यों में राष्ट्रीय महिला हैल्पलाइन नंबर 181 ठीक से काम नहीं कर रहा है। राज्यों में अलग हैल्पलाइन नंबर भी है लेकिन उनमें बहुत से काम नहीं कर रहे हैं। इससे ग्रामीण महिलाएं मदद पाने के लिए भ्रमित हो रही हैं।

मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि क्या सरकार ने संकट में महिलाओं के लिए व्यावहारिक रूप से संयुक्त हैल्पलाइन द्वारा मदद करने की कौन सी योजनाएं बनाई हैं और कब तक केवल एक हैल्पलाइन नंबर रहेगा?

[अनुवाद]

श्रीमती मेनका संजय गांधी: महोदया, वास्तव में यह प्रश्न दायरे से बाहर है लेकिन मैं कोशिश करूंगी और उत्तर दूंगी।

कुछ राज्यों में हेल्पलाइन स्थापित की गई है। यह दूसरे राज्यों में सक्रिय नहीं है। कुछ राज्यों में, उदाहरण के लिए, जब यह दिल्ली में स्थापित किया गया था, पहले दिन दो लाख फालतू कॉल आए, जिससे सिस्टम लगभग ठप हो गया । मुझे लगता है कि जैसे-जैसे समय बीतता जाएगा, यह बेहतर होता जाएगा। जहां कहीं भी वन स्टॉप सेंटर है, उस सेंटर से हेल्पलाइन जुड़ी हुई है और जो भी महिला परेशानी में हो, उसके लिए हम एम्बुलेंस भेजते हैं। महिला हेल्पलाइन अंततः अप्रैल, 2015 में शुरू हुई है और यह हिंसा से प्रभावित

महिलाओं को अंततः 24 घंटे की आपातकालीन और गैर-आपातकालीन सहायता प्रदान करेगी। अब तक यह 22 राज्यों में संचालित हो रही है, लेकिन सफलता के विभिन्न स्तरों के साथ। इसके अलावा, हमारे पास मोबाइल फोन पर एक पैनिक बटन है जो देरी से आया है लेकिन हर एक नए फोन में वह डिवाइस है। जब मैं देरी से कहती हूं, तो मेरा मतलब है कि मैं चाहती हूं कि पुराने फोन भी ऐप्स के माध्यम से इस डिवाइस को प्राप्त करें। लेकिन यह सितंबर के अंत तक किया जाना चाहिए।

हमारे पास एक प्रस्ताव भी है जिसे गृह मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया है और इस पर काम चल रहा है, जो महिला पुलिस अधिकारियों के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण है। जागरूकता बढ़ाने से , यदि अधिक महिलाएं पुलिस में आती हैं, तो हम निश्चित रूप से पूरे भारत में महिला सुरक्षा में बहुत बेहतर करेंगे। अब तक, सात राज्य सहमत हो गए हैं और सभी केंद्रशासित प्रदेश सहमत हो गए हैं और भर्ती शुरू कर दी है।

हमारे पास महिला पुलिस स्वयंसेवी बल भी है, जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किए गए बहुत अच्छे कार्यों पर आधारित है। वे अपनी महिला सुरक्षा इकाइयों को शौर्य दल कहते हैं। हरियाणा महिला पुलिस स्वयंसेवक योजना को संचालित करने वाला एकमात्र राज्य रहा है। हम देखेंगे कि यह कैसे काम करता है और फिर देखेंगे कि क्या हम इसे अन्य राज्यों में लागू कर सकते हैं।

श्रीमती सुप्रिया सुले: महोदया, मेरा प्रश्न स्वाधार गृह के संबंध में है। मैं उस राज्य से हूँ, जहां देश में सबसे ज्यादा स्वाधार गृह होते हैं। आपने मंजुला मामले के बारे में सुना है जो हुआ है। इनमें से बहुत से स्वाधार गृह अच्छे इरादे वाले हैं। लेकिन, आपके उत्तर के भाग 'घ' में कहा गया है कि पिछले दशक में ये स्वाधार गृह कितने प्रभावी रहे हैं, इसका कोई विस्तृत मूल्यांकन नहीं किया गया है। तो, वास्तव में प्रभाव मूल्यांकन क्या है? मंजुला के मामले में जो हुआ, वह सामने आया। तो, हम यह कैसे सुनिश्चित करें कि स्वाधार गृह की प्रत्येक महिला पूरी तरह से सुरक्षित है? यदि कोई शोषण होता है, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति तक कैसे पहुंचती है जो उसे उस शोषण से बचाएगा, जो दुर्भाग्य से समाज में होता है?

श्रीमती मेनका संजय गांधी: यह एक अच्छा प्रश्न है। स्वाधार गृह लगभग पूरी तरह से एन.जी.ओ. द्वारा चलाए जाते हैं। वे जिला समाज कल्याण अधिकारी के अधीन आते हैं जिन्हें उनसे साप्ताहिक मुलाकात करनी होती है। फिर वह जिला स्तरीय इकाई को जानकारी देता है जो कलेक्टर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, एस.पी. और निश्चित रूप से, समाज कल्याण अधिकारी द्वारा संचालित होती है। प्रत्येक जिले में दो महिलाएं भी हैं। इसकी हर तीन महीने में एक बार बैठक होती है। एन.जी.ओ. को जिला समिति को त्रैमासिक रिपोर्ट देनी होती है और फिर वहां से यह राज्य समिति को जाती है, जिसे सचिव, समाज कल्याण द्वारा संचालित किया जाता है, जिसकी वर्ष में दो बार बैठक होती है। यह वास्तव में निरीक्षण की श्रृंखला है। हम केवल फंड देने के लिए कदम बढ़ाते हैं। अगर वहां कुछ गलत होता है, तो अन्य बैकअप सिस्टम मौजूद हैं। ये वन स्टॉप सेंटर हैं। अगर हमारे पास कोई विशेष शिकायत आती है तो हम उसे राष्ट्रीय महिला आयोग के माध्यम से उठाते हैं। हमारे पास राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर अन्य तंत्र हैं।

श्रीमती कोथापल्ली गीता: माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे स्वाधार योजना पर प्रश्न पूछने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। यह योजना वास्तव में केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई है और यह कठिनाइयों में महिलाओं के लिए एक अमरेला योजना है। इस योजना की आवश्यकता के अनुसार, 30-सदस्यीय महिला समिति है जिसे उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए और धन आबंटित करने के लिए जिला स्तर पर गठित किया जाना है। मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में यह देखा गया है कि 2016-17 में आंध्र प्रदेश को 1.3 करोड़ रुपये पहले ही आबंटित किए जा चुके हैं। ऐसा किया गया है, लेकिन मेरा मानना है कि संसद में किसी भी सांसद को नहीं पता कि यह योजना कैसे काम कर रही है और इसका कार्यान्वयन कैसे किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से जानना चाहती हूं कि क्या मंत्रालय के पास इस योजना की निगरानी और प्रभावी कामकाज में सांसदों को शामिल करने के लिए कोई नीति विकसित करने की आवश्यकता है ताकि हम सभी अंतिम बिंदु वितरण तंत्र सुनिश्चित कर सकें। धन्यवाद, महोदया।

श्रीमती मेनका संजय गांधी: हमने अपने अधीन संस्थानों पर विचार करने के लिए एक अभ्यास आयोजित किया। हम केवल स्वाधार गृहों को निधि देते हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा था। हालांकि, यह हमारी जिम्मेदारी से

उन्हें किसी भी तरह से चलाने से मुक्त नहीं करता। मैंने बार-बार संसद के सदस्यों से अनुरोध किया है कि वे उन सभी संस्थानों का निरीक्षण करें जो उनके जिलों में संचालित हैं, चाहे वे बच्चों के लिए हों या महिलाओं के लिए हों। हमने यह भी कहा है कि जब आप ऐसा करें, तो यह डी.आई.एस.एच.ए.(दिशा) का हिस्सा होना चाहिए। अब, मैं आप सभी को औपचारिक पत्र लिखने जा रही हूं, जिसमें मैं आपके अपने निर्वाचन क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के लिए सभी संस्थानों की सूची दूंगी और आपसे उन पर हमें एक रिपोर्ट देने के लिए कहूँगी। हमें पहले ही 9000 संस्थानों की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। उनमें से कुछ अच्छे से चल रहे हैं; कुछ ठीक से नहीं चल रहे हैं; और कुछ सचमुच बहुत बुरी तरह चल रहे हैं। इसलिए, यदि आप नियमित रूप से हमारे लिए जांच कर सकते हैं, तो हम बहुत आभारी होंगे।

(प्रश्न 283)

एडवोकेट जॉयस जॉर्ज: महोदया, सामूहिक और संगठित प्रयासों के बावजूद, हम स्थानिक खसरे के संचरण को समाप्त नहीं कर पाए हैं। खसरा वायरस स्ट्रेन दो प्रकार के अर्थात जीनोटाइप डी4 और जीनोटाइप डी8 होते हैं। यह भारत में आम है, लेकिन हाल ही में केरल के तिरूवनन्तपुरम से खसरे के जीनोटाइप बी3 के फैलने की सूचना मिली है जो या तो अन्य देशों से आए या अज्ञात स्वदेशी खसरे के प्रकार की ओर इंगित करता है।

इन परिस्थितियों में, जंगली प्रकार के वायरस के आनुवंशिक और एंटी-जेनेटिक गुणों पर अध्ययन महत्वपूर्ण होगा।

महोदया, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से प्रश्न है कि क्या मंत्रालय को प्रकृतिकृत वायरसों के प्रसार के आनुवंशिक और आनुवंशिक विकार के लक्षणों का अध्ययन करने के लिए तंत्र स्थापित करने का कोई विशिष्ट प्रस्ताव या योजना है। यह मेरा प्रश्न है।

[हिन्दी]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री जगत प्रकाश नड्डा): अध्यक्ष महोदया, जहां तक मीज़ल्ज़ का प्रश्न है, तो हमने इसे यूनीवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में लिया था। इसमें कई स्टेजेज में काम हुआ है। हमने इसे वर्ष 1985 में यूनीवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के फर्स्ट फेज में जोड़ा था और सैकिंड डोज़ हमने वर्ष 2010 में जोड़ी। फर्स्ट फेज में 9 महीने से लेकर 12 महीने तक के बच्चों को दिया जाता था और सैकिंड फेज में 16 महीने से लेकर 24 महीने तक के बच्चों को दिया जाता था। उसके बाद लगभग 14 स्टेट्स ऐसे थे, जहां मीज़ल्ज़ की दृष्टि से इम्यूनिटी लैवल 80 परसेंट से कम थी। उसके लिए हमने एक स्पेशल राउंड लिया और उसके तहत लगभग 12 करोड़ बच्चों को वैक्सीनेट किया गया। हम 14 स्टेट्स में उन्हें 80 प्लस लैवल पर लेकर आये हैं।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमने अभी वर्ष 2017 में मीज़ल्ज़ और रूबेला, दोनों का वैक्सीनेशन सिंगल डोज़ में कर दिया है। हमने अपना सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम शुरू कर दिया है। यह फाइव स्टेट्स में लांच हुआ था। अब, हम अन्य राज्यों को भी चरणबद्ध तरीके में ले रहे हैं।

जहां तक केरल का प्रश्न है, वह भी दूसरे चरण में है। उन्होंने कहा है कि डेंगू और अन्य चीजों के कारण जिसमें वे इन्वाल्व्ड हैं। वे इस कार्यक्रम को अक्तूबर के महीने में शुरू करना चाहते हैं।

जहां तक आनुवंशिक वायरस का संबंध है, वह भी निगरानी का ही हिस्सा है। तो, इस पर भी ध्यान दिया जाता है। हम इस पर बहुत आक्रामक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और हम यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि खसरा, रूबेला दोनों को हम सब स्टेट्स में रोल आउट कर सकें और बच्चों की इम्यूनिटी लैवल को बढ़ा सकें। हम मीज़ल्ज़ को एलिमिनेट कर सकें।

[अनुवाद]

एडवोकेट जॉयस जॉर्ज: महोदया, हमारे देश में यह एक सामान्य घटना है कि हमारे पास प्रवासी मजदूर हैं। वे देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जा रहे हैं। हमारे लिए टीकाकरण कार्यक्रम और इन सभी चीजों का संचालन करना बहुत मुश्किल है।

जब महामारी फैल रही हो, तब इन सारी चीज़ों को ट्रैक करने की कोई व्यवस्था नहीं है। मेरा प्रश्न यह है। वायरस उपभेदों की जीनोटाइपिंग सहित निगरानी तंत्र है जिसने ट्रैकिंग और ट्रांसमिशन मार्गों के लिए डेटा तैयार किया है।

महोदया, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास ऐसी निगरानी और ट्रैकिंग प्रणाली स्थापित करने की कोई योजना है जिससे खसरा और अन्य महामारी के प्रकोप की स्थिति में उन्हें एक क्षेत्र में नियंत्रित किया जा सके।

श्री जगत प्रकाश नड्डा: हमारे पास बहुत मजबूत निगरानी प्रणाली है। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र इसकी देखरेख करता है। मुझे यहां माननीय सदस्यों के साथ यह बात साझा करते हुए खुशी हो रही है कि हम इबोला का एक मामला भी देख पाए हैं और हम जीका के तीन या चार मामलों का पता लगाने में सफल हुए हैं। इसलिए निगरानी का हिस्सा बहुत मजबूत है जो हमारे पास है और यह एक सतत प्रक्रिया है जो चल रही है। तो हमारे पास इसके लिए भी यह व्यवस्था है।

जहां तक प्रवासी मजदूरों का प्रश्न है, हमने मिशन इंद्रधनुष नाम से एक कार्यक्रम चलाया है, जहां हम यह भी देखते हैं और ट्रैक करते हैं कि हर बच्चे का टीकाकरण हो।

माननीय अध्यक्ष : बहुत अच्छा।

श्री एम.बी. राजेश: माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री ने अभी कहा कि सरकार ने एम.आर. टीके यानी खसरा-रूबेला टीके शुरू किए हैं। हालांकि, सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ मांग कर रहे हैं कि एम.एम.आर., मंप्स-मीजल्स-रूबेला वैक्सीन को भी शुरू किया जाए। इसकी जगह सरकार ने सिर्फ एमआर टीके ही शुरू किये हैं।

दूसरी बात, इसमें शामिल एक अन्य मुद्दा कवरेज का है। केरल ने हमारे देश में उत्कृष्ट और सर्वोत्तम सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों में से एक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के लिए 80 प्रतिशत कवरेज प्राप्त किया है। मुझे उम्मीद है कि मंत्री जी केरल के बारे में सकारात्मक बातों पर भी ध्यान देंगे। हमने 80 प्रतिशत कवरेज हासिल किया है जबकि शेष भारत ने केवल 50 प्रतिशत से कम कवरेज हासिल किया है। तो मेरा स्पष्ट प्रश्न यह है: क्या सरकार एम.एम.आर. टीके लगाने के लिए कदम उठाएगी? साथ ही, कवरेज बढ़ाने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं? क्या आप कवरेज को बढ़ाने के लिए केरल मॉडल का अनुकरण करने जा रहे हैं?

श्री जगत प्रकाश नड्डा: महोदया, हमारे यहां ऐसी व्यवस्था है, जहां हम राज्यों से अपनी श्रेष्ठ पद्धतियों को प्रदर्शित करने के लिए कहते हैं और जहां तक इस बात का संबंध है, इसे हम अन्य राज्यों पर छोड़ देते हैं। जहां तक भारत सरकार का संबंध है, खसरा-मम्प्स-रूबेला कार्यक्रम विचाराधीन नहीं है क्योंकि अब मम्प्स एक ऐसा मामला नहीं है जिसे सार्वजनिक चिंता माना जाता है। यह एन.टी.ए.जी., राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह है जो यह तय करता है कि कौन सा टीकाकरण किया जाना है। केरल ने अच्छा किया है। मैं इसकी सराहना करता हूँ। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: ऐसा नहीं है।

श्री जगत प्रकाश नड्डा: तो मैं जो सुझाव देना चाहूंगा वह यह है कि जब एन.टी.ए.जी. कहने जा रहा है, तो निश्चित रूप से हम इसका ध्यान रखेंगे।

डॉ. कुलमणि सामल: माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे एक महत्वपूर्ण अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदया, मैंने माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत उत्तर का अध्ययन कर लिया है। मुझे लगता है कि इस खतरे को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार को जल्द ही कई प्रयास शुरू करने की जरूरत है। भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र बहुत चुनौतीपूर्ण है। कुछ अन्य बीमारियां भी हैं जिनके लक्षण और संकेत खसरे जैसे होते हैं। क्या यह सच नहीं है कि देश में केवल 11 प्रयोगशालाएं हैं जो खसरे का पता लगाने के लिए डब्ल्यू एच ओ मीज़ल्ज़ लैबोरेटरी नेटवर्क का हिस्सा हैं और खसरे की प्रयोगशाला आधारित पुष्टि केवल 2015 में शुरू हुई है? प्रयोगशालाओं की भारी कमी एक बहुत बड़ी समस्या है जिससे हमें चिंतित होना चाहिए। मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार खसरे का पता लगाने और इन प्रयोगशालाओं को कार्यात्मक बनाने के लिए प्रत्येक राज्य की राजधानी में प्रयोगशालाएं खोलने पर विचार करेगी ताकि बीमारी का शुरुआती चरण में पता लगाया जा सके?

श्री जगत प्रकाश नड्डा: यह एक सतत प्रक्रिया है। जब भी हम महसूस करेंगे, हम निश्चित रूप से इसे बढ़ाएंगे। लेकिन इस समय, जहां तक टीकाकरण का प्रश्न है, हम सावधानी बरत रहे हैं; हम टीकाकरण शुरू कर रहे हैं और आने वाले समय में देखेंगे कि यह कैसे काम करता है।

(प्रश्न संख्या 284)

डॉ. जे. जयवर्धन: माननीय अध्यक्ष महोदया, विश्व के विकसित एवं विकासशील दोनों देशों में सिजेरियन डिलीवरी की दर बढ़ी है। डब्ल्यू.एच.ओ. के अनुसार, सिजेरियन डिलीवरी की दर किसी देश में 10-15 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। किसी भी अन्य सर्जरी की तरह, सी-सेक्शन भी अल्पकालिक और दीर्घकालिक जोखिम से जुड़ा है, जो वर्तमान प्रसव के बाद भी कई वर्षों तक जारी रह सकता है और महिला, उसके बच्चे और भविष्य की गर्भावस्था के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। सी-सेक्शन की लागत सामान्य डिलीवरी की तुलना में 2-5 गुना अधिक है। इसके अलावा, प्राथमिक सिजेरियन जन्म सिजेरियन दर में वृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं। हमारे देश में सी-सेक्शन सर्जरी की दर को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए प्रभावी कदम क्या हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि लिखित उत्तर में इसका उल्लेख नहीं किया गया है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री जगत प्रकाश नड्डा) : महोदया, जहां तक सरकारी संस्थाओं का प्रश्न है, हम यह सुनिश्चित करते हैं कि जहां तक संभव हो, सामान्य प्रसव के मामले सामने आएं। हमने यह भी अनिवार्य कर दिया है कि यह प्रदर्शित किया जाना चाहिए कि कितने सीजेरियन ऑपरेशन किए गए हैं। हम सूचना शिक्षा और संचार (आई.ई.सी.) के माध्यम से मरीजों को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि वे सामान्य प्रसव कैसे करा सकते हैं और इसके क्या लाभ हैं। मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (ए.एस.एच.ए.) के माध्यम से, हम गर्भवती माताओं की काउंसलिंग भी करते हैं और उन्हें बताते हैं कि किन पहलुओं का ध्यान रखना है।

हां, मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि सीजेरियन डिलीवरी की संख्या में वृद्धि हुई है और वह भी ज्यादातर निजी संस्थानों में। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे मरीज की व्यक्तिगत पसंद। रोगियों की व्यक्तिगत पसंद में वृद्धि हो रही है, जहां वे सी-सेक्शन के लिए जाना चाहते हैं। फिर, उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था के मामले भी हैं। गर्भवती माताओं के समय की कमी भी एक पहलू है जो सी-सेक्शन प्रसव का कारण बन रही है। माताओं को एक या दो समस्याएं हैं। इसलिए, जीवन बहुत कीमती है। इस तरह भी माताएं सी-सेक्शन को

प्राथमिकता देती हैं। फिर, मां की गतिहीन जीवनशैली भी सी-सेक्शन का कारण बनती है। अतः ऐसे कई कारण हैं जिनके कारण सी-सेक्शन के मामलों में वृद्धि हुई है।

डॉ. जे. जयवर्धन: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं यह कहना चाहूंगा कि सी-सेक्शन दरों को कम करने के लिए एक मजबूत प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली समय की मांग है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल स्तर पर जटिलताओं का शीघ्र पता लगना तथा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में संसाधनों, उपकरणों के साथ-साथ डॉक्टरों की उपलब्धता, सी-सेक्शन की दरों को काफी हद तक कम करने में सहायक होगी।

यद्यपि स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना राज्य की प्राथमिक जिम्मेदारी है, फिर भी राज्य सरकार के प्रयासों को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा धन का आबंटन पूरी तरह अपर्याप्त है और यह एक मजबूत प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली बनाने में सहायक नहीं है। केंद्र सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल स्तर पर बेहतर संकाय प्रदान करने के अपने उद्देश्यों से वंचित रह गई है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं यहां यह उल्लेख करना चाहूंगा कि राज्य स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को बढ़ाने के लिए केंद्र द्वारा की गई नीतिगत पहल ने हमारे राज्य द्वारा की गई नीतिगत पहल को विफल कर दिया है।

मैं यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (एन.ई.ई.टी.) शुरू करने की नीतिगत पहल ने सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य की नीतिगत पहल को निरर्थक बना दिया है। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए तमिलनाडु सरकार उन लोगों को प्राथमिकता देती है, जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा की है, तथा पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में काम करने वालों को विशेष महत्व दिया जाता है। महोदया, अब केन्द्र सरकार की नीति और दृष्टिकोण ने हमारे राज्य में ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के सुदृढ़ीकरण को पूरी तरह से अमान्य कर दिया है।

मैं माननीय मंत्री जी से निश्चित रूप से पूछना चाहूंगा कि क्या नीति को वापस लिया जाएगा और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश एन.ई.ई.टी. के माध्यम से नहीं होगा, जिससे प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों में मौजूदा प्रणाली को हमारी राज्य सरकार द्वारा मजबूत किया जा सके।

श्री जगत प्रकाश नड्डा: महोदया, दो प्रश्न हैं। एक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों की स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं से संबंधित है और दूसरा एन.ई.ई.टी. के बारे में है। एन.ई.ई.टी. के संबंध में प्रश्न एक अलग प्रश्न है और इसका उत्तर अलग से देना होगा।

जहां तक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का प्रश्न है, इसकी पहल संबंधित राज्यों द्वारा की जाती है और उन्हें ही इसका ध्यान रखना होता है। जहां तक केन्द्र सरकार का प्रश्न है, उसके पास धन की कोई कमी नहीं है। यह एक राशि है जो राज्य को दिया गया है और उसे यह देखना है कि वह इसे कहां खर्च करेगा।

मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूँ कि जो भी राज्य का कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पी.आई.पी.) प्रस्तुत करता है, हम उसके अनुसार धन प्रदान करते हैं। जहां तक स्वास्थ्य सेवा का संबंध है, तो केंद्र सरकार के पास धन की कोई कमी नहीं है।

डॉ. हिना विजयकुमार गावीत: माननीय अध्यक्ष महोदया, सीजेरियन सेक्शन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझे पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद।

महोदया, सिजेरियन सेक्शन सभी निजी अस्पतालों में नियमित आधार पर किए जाते हैं। माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में उन कारणों का उल्लेख किया है कि सिजेरियन ऑपरेशन क्यों किया जाता है। लेकिन महोदया, मैं कुछ आंकड़ों पर प्रकाश डालना चाहूंगी, जो माननीय मंत्री ने सी.जी.एच.एस. पैनल में शामिल निजी अस्पतालों के संबंध में दिए हैं, लगभग 55.75 प्रतिशत सीजेरियन सेक्शन किए जाते हैं।

महोदया, मैं अपने राज्य, अर्थात महाराष्ट्र से संबंधित कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूंगी । सरकारी अस्पतालों में, सिजेरियन वर्गों का प्रतिशत लगभग 27 प्रतिशत है जबकि निजी अस्पतालों में यह लगभग 70 से 80 प्रतिशत है। इसका एक कारण है, निजी अस्पतालों में कुछ विशेष व्यक्तियों के लिए विशेष संज्ञान या

"वी.आई.पी. सिंड्रोम" है । जब कोई वी.आई.पी. वहां जाता है तो डॉ. उन्हें सामान्य प्रसव न कराने तथा सिजेरियन कराने को कहते हैं।

दूसरा, डॉक्टरों द्वारा अनुचित परामर्श किया जाता है। वे मरीज को यह नहीं बताते कि यदि माँ सामान्य प्रसव भी कराती है, तो वह ठीक रह सकती है और बिना किसी जटिलता के सामान्य प्रसव हो सकता है। हमेशा सिजेरियन सेक्शन के पक्ष में काउंसलिंग की जाती है।

महोदया, मातृ मृत्यु दर में सुधार के लिए सरकार ने स्त्री रोग और बाल रोग के विशेषज्ञों की एक समिति गठित की है, जो प्रसव-पूर्व और प्रसव-पश्चात अवधि के दौरान माताओं की मृत्यु की समीक्षा करती है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि क्या सरकार द्वारा गठित एक समिति नियमित आधार पर उन मामलों की समीक्षा कर सकती है, जिनमें विशेष रूप से सिजेरियन सेक्शन किया जाता है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वास्तव में सिजेरियन सेक्शन की आवश्यकता थी या केवल पैसा कमाने और माताओं का शोषण करने के लिए सिजेरियन सेक्शन किया गया था।

श्री जगत प्रकाश नड्डा: यह एक अच्छा सुझाव है।

माननीय अध्यक्ष: सुझाव अच्छा है।

श्री के.सी. वेणुगोपाल: महोदया, माननीय सदस्य ने बहुत प्रासंगिक प्रश्न उठाया है।

माननीय मंत्री द्वारा बताए गए आंकड़ों के अनुसार, सी.जी.एच.एस. स्वीकृत 55 प्रतिशत निजी अस्पताल यह कार्य कर रहे हैं। बेशक, निजी अस्पतालों में सिजेरियन सर्जरी करने की एक अस्वास्थ्यकर प्रथा चल रही है। इसलिए, भारत सरकार द्वारा इस संबंध में वास्तविक कार्रवाई की आवश्यकता है। मैं जानता हूं कि माननीय मंत्री जी एक सज्जन व्यक्ति हैं। उन्हे इस समस्या को दूर करने के लिए पर्याप्त कार्रवाई करनी चाहिए।

महोदया, माननीय मंत्री जी ने 2014 में ही केरल को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान शुरू करने का वादा किया था। दो वर्ष पहले ही पूरे हो चुके हैं। केरल के लोग पीड़ित हैं। केवल एक वर्ष है। इसलिए, मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी केरल के लिए ए.आई.आई.एम.एस. की घोषणा करने जा रहे हैं या नहीं।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न अलग है। आपका प्रश्न इससे संबंधित नहीं है।

श्री जगत प्रकाश नड्डा: महोदया, सीजेरियन सेक्शन की बढ़ती संख्या हम सभी के लिए चिंता का विषय है। हम जो काम कर रहे हैं, वह है कि हम परामर्श प्रक्रिया की शुरुआत कर रहे हैं। यह कार्य अस्पताल और डॉक्टरों के स्तर पर किया जा रहा है। यही वह है जो हम कर सकते हैं।

दरअसल, यह डॉ. और मरीज के बीच की समझ है। हर बच्चा अपनी माँ के लिए अनमोल होता है। इसी वजह से, जब भी डॉ. सुझाव देते हैं, मरीज भी वैसा ही करते हैं।

जहां तक परामर्श का संबंध है हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और यही एकमात्र तरीका है।

[हिन्दी]

श्री भोला सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदया, सीजीएचएस के अंतर्गत निजी पैनल वाले अस्पतालों द्वारा सी-सेक्शन सर्ज़री एवं नॉर्मल डिलीवरी के लिए उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 444 और मेरठ में 177 अस्पतालों की संख्या माननीय मंत्री जी के लिखित उत्तर में दी गयी है। यदि देखें, तो यह संख्या अन्य प्रदेशों के मुकाबले बहुत कम नज़र आती है। उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में विभिन्न स्थानों पर इस सर्ज़री के लिए प्राइवेट अस्पताल पैनल पर हैं या नहीं, यदि हैं, तो उनकी कितनी संख्या है? इसके अलावा ऐसी कितनी डिलीवरियाँ वहाँ पर हुई हैं?

श्री जगत प्रकाश नड्डा : मैडम, इस प्रकार की जानकारी हमारे पास नहीं है। माननीय सदस्य अलग से इस संबंध में प्रश्न करेंगे, तो उनको उत्तर दे दूँगा।

(प्रश्न संख्या 285)

श्री भैरों प्रसाद मिश्र: माननीय अध्यक्ष महोदया, हमारे देश के सैनिक बॉर्डर पर काम करते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा-रेखा है, वैसे तो वहाँ पर हमारी सरकार ने बहुत-सी व्यवस्थाएँ की हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान अपनी नाफाक़ हरक़तों से बाज़ नहीं आता है। वह लगातार हमारे सैनिकों की हत्याएँ कर रहा है, हमारी सीमा-चौकियों पर हमले कर रहा है। इसके साथ ही, हमारे नागरिकों पर भी आक्रमण कर रहा है।

वैसे तो, उन्होंने लिखित उत्तर में बताया है कि सीमा को सील करने के लिए बाड़ आदि और आधुनिक उपकरण लगाये जा रहे हैं, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि उसमें कितना काम हो चुका है और कितना बाकी है तथा उस काम को कब तक पूरा कर लिया जाएगा ताकि पूरी सीमा सील हो जाए?

श्री अरुण जेटली : अध्यक्ष जी, सीमा को सुरक्षित करने का काम एक कंटिन्युअस प्रोसेस है। इसमें कोई ऐसा काम नहीं रहता है, जो अधूरा हो। बॉर्डर फेन्सिन्ग के आतिरिक्त वहाँ 'एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑब्सटिकल सिस्टम' भी है, जिसके माध्यम से वहाँ आने वाले घुसपैठियों की जानकारी प्राप्त की जाती है और उन्हें रोकने का प्रयास किया जाता है। इसके लिए कई टैक्निकल गैजेट्स की भी आवश्यकता होती है, जिन्हें सेना सीमा पर लगाती है। यहाँ उनकी डिटेल्स देने की मैं आवश्यकता नहीं समझता हूँ, लेकिन पर्याप्त मात्रा में सीमा और लाइन ऑफ कंट्रोल को सेना ने सुरक्षित किया हुआ है। आज पूरी सीमा और वेस्टर्न बॉर्डर पर लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर हमारी सेना का प्रभाव और डॉमिनेशन है।

माननीय अध्यक्ष : सैकेण्ड सप्लिमेंट्री।

श्री भैरों प्रसाद मिश्र: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री ने जो कहा है, मैं उससे संतुष्ट हूँ। उन्होंने बताया है कि वे हमारी सीमाओं पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था करने का काम कर रहे हैं और हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं, लेकिन

आज हमारे सैनिक ऐसी जगहों पर काम करते हैं, जहाँ ज़ीरो तापमान रहता है। हमारे सैनिक ऐसी जगहों पर अपनी बहादुरी प्रदर्शित करते हैं। कारगिल युद्ध में भी उन्होंने अपनी बहादुरी का प्रदर्शन किया था और समय-समय पर ऐसी विशम परिस्थितियों और विशम मौसम में रहकर भी वे अपनी बहादुरी का परिचय देते हैं।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि हमारे ये सैनिक जो ज़ीरो तापमान से नीचे रहकर भी काम करते हैं, उनके लिए सरकार ने क्या पर्याप्त व्यवस्थाएं की हैं? हमारे इन सैनिकों को प्रोत्साहन देने के लिए और उनका मनोबल बनाए रखने के लिए, क्या उनके लिए विशेष भत्ते और विशेष इंक्रीमेन्ट देने के लिए क्या मंत्री जी कोई व्यवस्था करेंगे?

श्री अरुण जेटली : मैडम, जो सैनिक इस प्रकार के कठिन स्थानों में कार्य करते हैं, यह स्वाभाविक है कि वहाँ जितनी भी सुविधाएं दी जा सकें, वे वहाँ की आवश्यकताओं की तुलना में कम रहती हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही कठिन मौसम और डिफिकल्ट कंडीशंस होती हैं।

इस संबंध में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे सैनिकों के लिए इन विशेष स्थानों में काम करने के लिए विशेष अलाउंसिज़ होते हैं, जो उन्हें वेतन के आतिरिक्त इंसानों की सेवा करने के लिए मिलते हैं। हाल ही में सातवें वेतन आयोग ने उन अलाउंसिज़ को अनाउंस किया था। उन अलाउंसिज़ पर पुनरविचार करने के लिए सरकार ने एक कमेटी बनाई थी। जो सैनिक सियाचिन ग्लेशियर में काम करते हैं, उनके लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों में सरकार ने थोड़ी और बढ़ोत्तरी की है, जिसकी घोषणा सरकार ने कुछ दिन पहले ही की है।

माननीय अध्यक्ष : श्री रवनीत सिंह, शॉर्ट क्वेश्चन।

श्री रवनीत सिंह: मैडम, आपका धन्यवाद।

मैडम, मैं खास तौर पर पंजाब की बात करना चाहता हूँ। मंत्री जी भी इस बात को जानते हैं। वहाँ ड्रग्स का इन्फ्लो बहुत ज्यादा है। वहाँ कांग्रेस गवर्न्मेन्ट ने बहुत काम किया है। वहाँ की पिछली सरकार में बहुत खामियाँ थीं। एन.डी.ए. गवर्न्मेन्ट के मेन मेनिफेस्टो में 'बॉर्डर मॉडर्नाइज़ेशन' का वादा था। वहाँ बहुत बड़े

रिवराइन्स और दरिया हैं। वहाँ 'अनमैन्ड एरियल व्हीकल' की जरूरत है। जब हमारे प्रधान मंत्री इज़रायल गए थे, तो वे यह बोल के गए थे कि वे वहाँ से ये सारी चीज़ें लाएंगे। वहाँ पर लेज़र टैक्नोलॉजी की लेज़र वॉल्स की भी जरूरत है।

मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इन दोनों चीज़ों के बारे में सरकार कोई विचार करेगी, क्योंकि ये दोनों ही बातें, खास तौर पर वहाँ ड्रग्स रोकने की बात वहाँ के नौजवानों से संबंधित है। पठानकोट अटैक भी इन चीज़ों की वजह से ही हुआ था।

मैं चाहूँगा कि मंत्री जी इन दोनों चीज़ों के बारे में विस्तार से बताएं।

श्री अरुण जेटली : मैडम, मैंने पहले भी कहा है कि इस संबंध में जो स्पेसिफिक इंस्ट्रुमेंट्स वहाँ हैं, उनकी विशेष जानकारी यहाँ देना उपयुक्त नहीं है। जितनी भी लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशल बॉर्डस हैं, वहाँ रडार्स, सेंसर्स, थर्मल इमेज़िंग के द्वारा उनकी सर्विलेन्स की आवश्यकता होती है। इसको इस सरकार या पिछली सरकार की दलगत राजनीति के रूप में न देखें। देश में जो भी सरकार रहती है, वह इसके लिए दिन-प्रतिदिन व्यवस्थाएं बढ़ाती चली जा रही है। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ महीनों में हमारी सेना ने न केवल पंजाब बल्कि जम्मू-कश्मीर जैसे क्षेत्रों में भी जितने आधिक इन्फिल्ट्रेशंस रोकने में सफलता प्राप्त की है, उसमें इन सबका योगदान है।

श्री मोहम्मद सलीम: महोदया, मेरा प्रश्न संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए होगा और ज्यादा ब्योरा वह नहीं देना चाहें और होना भी नहीं चाहिए, लेकिन भारत-पाकिस्तान सीमा पर पिछले एक वर्ष में कितने इनक्र्शन और एक्सकर्शन हुए हैं और उनमें हताहत होने वालों की संख्या कितनी है? सैनिक, अर्द्ध-सैनिक और सीविलयन्स की संख्या पिछले एक वर्ष में कितनी थी, यह मैं जानना चाहता हूं।

मध्याह्न 12.00 बजे

श्री अरुण जेटली : महोदया, दो प्रकार के एरियाज़ हैं, कुछ ऐसे हैं, जिनको आर्मी गार्ड करती है और कुछ ऐसे एरियाज़ हैं, जिनको बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सिस गार्ड करती हैं। इन दोनों का अलग-अलग कार्यक्षेत्र होता है। आप यह समझ लीजिए कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, वह आर्मी के तहत है, कुछ इंटरनेशनल बॉर्डर का हिस्सा आर्मी के पास होता है, बाकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स गार्ड करती है। वर्ष 2016 में सीज़फायर वॉयलेशन आर्मी के क्षेत्र में लगभग 228 हुए और बीएसएफ नियंत्रित क्षेत्र में 221 के करीब हुए थे। जिसमें आठ आर्मी की केजुअल्टीज़ हुईं। मेरे पास आर्मी की केज़ुअल्टीज़ का डेटा है। इस वर्ष पाकिस्तान की तरफ से एलओसी पर इंफल्ट्रेशन बढ़ाने की काफी कोशिशें हुई हैं और यह संख्या 1 अगस्त, 2017 तक 285 हो चुकी है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इस सबमें दूसरी साइड से इंफिल्ट्रेट करने की वजह से भी केज़ुल्टीज़ हुई हैं, इस वजह से भी रिकार्ड हाई है।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हो गया है।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ सदस्यों से विभिन्न मुद्दों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं। निस्संदेह, वे महत्वपूर्ण हैं। लेकिन उन्हें अन्य अवसरों के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है। इसलिए, मैंने स्थगन प्रस्ताव की सभी सूचनाओं को अस्वीकार कर दिया है।

… (*व्यवधान*)

[2*]प्रश्नों के लिखित उत्तर

(तारांकित प्रश्न संख्या 286 से 300

अतारांकित प्रश्न संख्या 3221 से 3450)

[2*] प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाए। https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

<u>अपराह्न 12.03 बजे</u>

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगें।

[हिन्दी]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): माननीय अध्यक्ष जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

(1) (एक) नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेन्ट, मुम्बई के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेन्ट, मुम्बई के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी.-7350/16/17)

(2) भारतीय महिला बैंक, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

. (ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी.-7351/16/17)

(3) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण आधिनियम, 1999 की धारा 27 के अंतर्गत बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (पालिसी धारकों के हित का संरक्षण) विनियम, 2017 जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. आईआरडीएआई/रेग./8/145/2017 में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

. (ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी.-7352/16/17)

(4) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली आधिनियम, 1993 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(1) ऋण वसूली अपील अधिकरण, कोलकाता (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 893(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(2) ऋण वसूली अपील अधिकरण, चेन्नई (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 894(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(3) ऋण वसूली अपील अधिकरण, मुंबई (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 895(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(4) ऋण वसूली अपील अधिकरण, इलाहाबाद (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 896(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(5) ऋण वसूली अपील अधिकरण, दिल्ली (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 897(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(6) ऋण वसूली अपील अधिकरण -एक, अहमदाबाद (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 898(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(7) ऋण वसूली अपील अधिकरण-दो, अहमदाबाद (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 899(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(8) ऋण वसूली अपील अधिकरण, इलाहाबाद (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 900(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(9) ऋण वसूली अपील अधिकरण, औरंगाबाद (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 901(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(10) ऋण वसूली अपील अधिकरण -एक, बेगलुरू (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 902(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(11) ऋण वसूली अपील अधिकरण -एक, चंडीगढ़ (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 903(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(12) ऋण वसूली अपील अधिकरण -दो, चंडीगढ़ (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 904(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(13) ऋण वसूली अपील अधिकरण -एक, चेन्नई (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 905(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(14) ऋण वसूली अपील अधिकरण-दो, चेन्नई (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 906(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(15) ऋण वसूली अपील अधिकरण-तीन, चेन्नई (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 907(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(16) ऋण वसूली अपील अधिकरण, कोयम्बटूर (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 908(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(17) ऋण वसूली अपील अधिकरण , कटक (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 909(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(18) ऋण वसूली अपील अधिकरण-एक, दिल्ली (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 910(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(19) ऋण वसूली अपील अधिकरण-दो, दिल्ली (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 911(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(20) ऋण वसूली अपील अधिकरण-तीन, दिल्ली (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 912(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(21) ऋण वसूली अपील अधिकरण, एर्णाकुलम (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 913(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(22) ऋण वसूली अपील अधिकरण, गुवाहाटी (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 914(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(23) ऋण वसूली अपील अधिकरण-एक, हैदराबाद (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 915(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(24) ऋण वसूली अपील अधिकरण, जबलपुर (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 916(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(25) ऋण वसूली अपील अधिकरण, जयपुर (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 917(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(26) ऋण वसूली अपील अधिकरण -एक, कोलकाता (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 918(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(27) ऋण वसूली अपील अधिकरण -दो, कोलकाता (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 919(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(28) ऋण वसूली अपील अधिकरण -तीन, कोलकाता (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 920(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(29) ऋण वसूली अपील अधिकरण, लखनऊ (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 921(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(30) ऋण वसूली अपील अधिकरण, मदुराई (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 922(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(31) ऋण वसूली अपील अधिकरण -एक, मुंबई (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 923(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(32) ऋण वसूली अपील अधिकरण -दो, मुंबई (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 924(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(33) ऋण वसूली अपील अधिकरण -तीन, मुबई (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 925(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(34) ऋण वसूली अपील अधिकरण, नागपुर (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 926(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(35) ऋण वसूली अपील अधिकरण, पटना (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 927(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(36) ऋण वसूली अपील अधिकरण, पुणे (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 928(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(37) ऋण वसूली अपील अधिकरण, राँची (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 929(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(38) ऋण वसूली अपील अधिकरण, विशाखापत्तनम (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 930(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी.-7353/16/17)

(5) सीमा-शुल्क आधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 722(अ) जो 29 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित वस्तुओं का पुनर्निर्यात (सीमा शुल्क की खामी) संशोधन नियम, 2017 तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 727(अ) जो 29 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिनके द्वारा विभिन्न अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 853(अ) जो 10 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिनके द्वारा 30 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 50/2017-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि.881(अ) जो 14 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित विभिन्न अधिसूचनाओं कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पाँच) सा.का.नि.762(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय 16 सितम्बर, 1993 की अधिसूचना संख्या 171/1993-सी.शु. को निरस्त करना है एवं इसके परिणामस्वरूप उपहार आयातों पर कोई छूट नहीं होगी और इसके परिणामस्वरूप सदाशयी उपहारों पर 28 प्रतिशत आईजीएसटी एवं लागू मूल सीमा शुल्क लगेगा तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि.763(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय 14 मई, 1982 की अधिसूचना संख्या 151/1982-सी.शु. को निरस्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि.764(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय स्पेसीमेन, मॉडल्स, वाल पिक्चर्स और डायग्राम

पर मूल सीमा शुल्क से मिली छूट को जारी रखना है तथा एक व्याख्यात्मक

ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि.765(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा चल तस्वीरों, संगीत, गेमिंग सॉफ्टवेयर पर मूल सीमा शुल्क से मिली छूट को जारी रखना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि.766(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दावा नहीं किए गए डाक आर्टिकल्स के पुर्नआयात पर मूल सीमा शुल्क से मिली छूट को जारी रखना है एवं इसे समेकित कर से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि.767(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय 100 वर्ष से अधिक पुरानी कलाकृतियों और पुस्तकों पर मूल सीमा शुल्क से मिली छूट को जारी रखना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि.768 (अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय मूल रक्षा इकाइयों द्वारा जीते गए चैलेंज कप और ट्राफियों पर मूल सीमा शुल्क से मिली छूट को जारी रखना है एवं इसके निर्यात पर एकीकृत कर से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि.769 (अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय टैग्स और लेबेल्स या मरम्मत और लौटाने के लिए विदेशी मूल के आयातित छपे हुए थैलों पर मूल सीमा शुल्क से मिली छूट को जारी रखना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि.770 (अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय इंडियन एयरलाइन्स, यूनाइटेड अरब एयरलाइन्स और भारतीय वायुसेना द्वारा वायुयानों के टैंकों में एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर मूल सीमा शुल्क और अतिरिक्त सीमा शुल्क से मिली छूट को जारी रखना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.नि.771 (अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय उपराष्ट्रपति द्वारा आयातों पर मूल सीमा शुल्क से मिली छूट को जारी रखना है एवं इसे एकीकृत कर एवं माल तथा सेवा प्रतिकर उपकर से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) सा.का.नि.772 (अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय रक्षा और आंतरिक सुरक्षा बलों से संबंधित आयातों पर मूल सीमा शुल्क से मिली छूट को जारी रखना है एवं इसे एकीकृत कर से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा.का.नि.773 (अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय वायुयान के इंजनों और कलपुर्जों के पुर्नआयात पर मूल सीमा शुल्क से मिली छूट को जारी रखना है एवं इसे एकीकृत कर से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा.का.नि.774 (अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय 8 जनवरी, 1957 की अधिसूचना सं० 3/57- सी.शु. में संशोधन करना है ताकि राजनयिकों द्वारा आयातों पर मूल सीमा शुल्क से मिली छूट को जारी रखा जा सके एवं इसे एकीकृत कर एवं माल तथा सेवा प्रतिकर उपकर से छूट दी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) सा.का.नि.775 (अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय भूटान और नेपाल से आयातित विशिष्ट वस्तुओं के आयात पर बुनियादी सीमा शुल्क से मिली छूट को जारी रखना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सा.का.नि.776(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय भारतीय खिलाड़ियों द्वारा जीते गए चैलेंज कप, ट्राफियों और पदकों एवं पुरस्कारों आदि पर बुनियादी सीमा शुल्क से मिली छूट को जारी रखना है एवं इसे समेकित कर से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) सा.का.नि.777(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय 14 सितम्बर, 2007 की अधिसूचना संख्या 102/2007, 8 जनवरी, 1999 की 4/99 और 30 सितम्बर, 1994 की 172/1994 में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) सा.का.नि.778(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय रक्षा, सुरक्षा, खिलाड़ियों आदि द्वारा पुर्नआयात, द्विपक्षीय/बहुपक्षीय समझौतों, आयातों से जुड़ी कतिपय छूट वाली अधिसूचनाओं में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) सा.का.नि.779(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय व्यक्तिगत निजी सम्पत्ति, वारंटी के अंतर्गत निःशुल्क आपूर्ति की गई वस्तुओं, निःशुल्क उपहारों, खैराती संगठनों आदि द्वारा अभिदान से जुड़ी विशिष्ट छूट वाली अधिसूचनाओं में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) सा.का.नि.780(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय 1 जुलाई, 2017 को या उसके पश्चात् शुल्क ड्रॉबैक, शुल्क में छूट या बॉण्ड के अधीन निर्यातित वस्तुओं के पुर्नआयात पर बुनियादी सीमा शुल्क से मिली छूट को जारी रखना है एवं इसे एकीकृत कर और माल एवं सेवा प्रतिकर उपकर से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौबीस) सा.का.नि. 781(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय अधिसूचना सं. 94/1996-सी.शु. का आतिक्रमण करना है ताकि 30 जून, 2017 को या उसके पूर्व शुल्क ड्रॉ बैक, शुल्क में छूट या बॉण्ड के अधीन निर्यातित वस्तुओं के पुनर्जायात पर बुनियादी सीमा शुल्क से मिली छूट को जारी रखना है एवं इसे एकीकृत कर और माल एवं सेवा प्रतिकर उपकर से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पच्चीस) सा.का.नि. 782(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय शुल्क ड्रॉ बैक, शुल्क में छूट या बॉण्ड के अधीन निर्यातित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की चौथी अनुसूची के अंतर्गत वस्तुओं के पुनर्आयात पर बुनियादी सीमा शुल्क से मिली छूट को जारी रखना है एवं इसे अतिरिक्त सीमा शुल्क से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छब्बीस) सा.का.नि.783(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय इंडियन एयरलाइन्स, द्वारा कैटरिंग केबिन इक्यूपमेंट आदि के पुनर्आयात पर बुनियादी सीमा शुल्क से मिली छूट को जारी रखना और एकीकृत कर से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्ताईस) सा.का.नि.784(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आधिनियम, 1944 की चौथी अनुसूची के अंतर्गत शामिल वस्तुओं पर एसएडी से मिली छूट को जारी रखना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अट्ठाईस) सा.का.नि. 785(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय 17.03.2012 की अधिसूचना सं. 12/2012-सी.शु. का अतिक्रमण करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्तीस) सा.का.नि.786(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय अधिसूचना सं. 21/2012-सी.शु. का आतिक्रमण करना है ताकि परिवहन क्षेत्र में उपयोग हेतु पेट्रोलियम ब्रूड, पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम गैसों और ईंधनों एवं सीएनजी पर विशेष अतिरिक्त शुल्क शून्य करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीस) सा.का.नि.787(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय सीमा शुल्क टैरिफ आधिनियम, के अध्याय 27 की मदों पर बुनियादी सीमा शुल्क और अतिरिक्त सीमा शुल्क की प्रभावी दर को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा जाना जारी रखना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इकतीस) सा.का.नि.788(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय पेट्रोलियम व्रूड, पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, एलएनजी एवं प्राकृतिक गैस पर विशेष आतिरिक्त शुल्क जारी रखना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बत्तीस) सा.का.नि.789(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय आईजीएसटी पर शिक्षा उपकर तथा वस्तुओं के आयात पर प्रतिकर उपकर से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तैंतीस) सा.का.नि.790(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय आईजीएसटी पर सेकेंडरी और उच्चतर शिक्षा उपकर तथा वस्तुओं के आयात पर प्रतिकर उपकर से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी.-7354/16/17)

(6) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचना ओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का. नि. 755(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित दस अधिसूचना ओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 931(अ) जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पूर्ववर्ती केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आधिनियम, 1944 के अंतर्गत क्षेत्र आधारित छूट से जुड़ी छह जारी अधिसूचनाओं को निरस्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 932(अ) जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पूर्ववर्ती केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आधिनियम, 1944 की धारा 3क के अंतर्गत जारी पांच केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गैर टैरिफ) अधिसूचनाओं को निरस्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 791(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय माल और सेवा कर में वस्तुओं को छूट प्रदान करने वाली केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिसूचना ओं को निरस्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पाँच) सा.का.नि. 792(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को उनके आधिकारिक उपयोग की उत्पाद शुल्क युक्त वस्तुओं की आपूर्ति से छूट देने के लिए अधिसूचना सं. 108/95-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को निरस्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 793(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय पेट्रोल, ईथेनॉल मिश्रित पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, मिश्रित एचएसडी, जैव डीजल एविएशन टर्बाइन ईंधन, एलएनजी और प्राकृतिक

गैस पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की प्रभावी दर निधाररित करने के लिए अधिसूचना सं. 12/2012-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को निरस्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 794(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय 30 जून, 2017 को या इसके पूर्व विनिर्मित वस्तुओं परंतु 1 जुलाई, 2017 के पूर्व उत्पादन कारखाने से नहीं भेजी गई वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 795(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय भारतीय नौ सेना और तट रक्षक को वैसेल पर उपभोग के लिए भंडार के रूप में आपूर्ति किए गए सिगरेट और पेट्रोलियम उत्पादों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से छूट जारी रखने के लिए अधिसूचना सं. 64/95-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का आतिक्रमण करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का. नि. 796(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, 1944 क चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट वस्तुओं को ही अधीसूचना सं. 52/2002-के.उ.शु., 8/2003-के.उ.शु., 3/2006-के.उ.शु. एवं 29/2008-के.उ.शु. में प्रदत्त छूटों को सीमित करने के लिए इन अधिसूचना ओं में संशोधन करना तथा अधीसूचना सं. 38/2004-के.उ.शु., 62/2008-के.उ.शु. और 21/2009-के.उ.शु. में विनिर्दिष्ट स्थानों पर ''उपयुत्त उत्पाद शुल्कों'' शब्दों को ''उपयुत्त केनद्रीय कर, राज्यकर,

संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर '' शब्दों से प्रतिस्थापित करने के लिए संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 823(अ) जो 3 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 13 मई, 2002 की अधिसूचना सं. 28/2002-केउशु में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी.-7355/16/17)

(7) सीमा शुल्क आधिनियम, 1962 की धारा 159, एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 1944 की धारा 38 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचना ओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक)	सा.का.नि. 954(अ) जो 26 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 31 अत्तबूर, 2016 की अधिसूचना सं. 131/2016-सी.शु.(एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
(दो)	सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निपटान आयोग (संशोधन) प्रक्रिया, 2017 जो 9 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 447(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। (ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी.-7356/16/17 देखें)

(8) प्रतिकर उपकर माल और सेवा कर आधिनियम, 2017 की धारा 13 के अंतर्गत अधिसूचना सं. सा.का.नि.938(अ) जो 20 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय किसी गैर-प्रदायकर्ता से ऐसे व्यत्ति, जो पुराने सामानों की खरीद और विक्रय का काम करता हो और ऐसे पुराने सामान पर केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 32 के उपनियम(5) के अंतर्गत यथाअवधारित विक्रय और खरीद मूल्य के बीच के अंदर की धनराशि पर माल और सेवा कर प्रतिकर उपकर का संदाय करता हो, के द्वारा प्राप्त पुराने माल की अंतरराज्यीय प्रदाय पर माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) आधिनियम, 2017 की धारा 8 के अंतर्गत उद्ग्रहणीय माल और सेवा कर प्रतिकर उपकर से पूरी तरह छूट प्रदान करनी है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी.-7357/16/17)

(9) सीमा शुल्क टैरिफ आधिनियम, 1975 की धारा 9क की उप-धारा (7) के अंतर्गत अधिसूचना सं. सा.का.नि. 878(अ) जो 13 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय 16 जुलाई, 2012 की अधिसूचना सं. 36/2012-सी.शु.,(एडीडी) के अंतर्गत थाईलैंड और चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से नियारतित ''ग्राइंडिंग मीडिया बाल्स (फोर्ज्ड ग्राइंडिंग मीडिया बाल्स को छोड़कर)'' के आयात पर आधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क के उद्ग्रहण को बढ़ाना है और उत्त आधिनियम की धारा 9क की उप-धारा(5) के अनुसार प्रतिपाटन शुल्क को बढ़ाने की अनुशंसा की थी, की एक प्रति(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी.-7358/16/17)

(10) वित्त आधिनियम, 1994 की धारा 94 की उप-धारा(4) के अंतर्गत सेवा कर (चौथा संशोधन) नियम, 2017 जो 22 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.625(अ) में प्रकाशित हुआ था की एक प्रति(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी.-7359/16/17)

(11) अधिसूचना सं. सा.का.नि.647(अ) जो 27 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय यह विहित करना है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश राज्यों के अलावा अन्य राज्यों में रजिस्ट्रीकृत कोई पात्र रजिस्ट्रीकृत व्यत्ति, जिसका पिछले वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 75 लाख से अनधिक था, सम्मिश्रण उद्ग्रहण का पात्र होगा, की एक प्रति(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। साथ ही अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड,सिक्किम, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश राज्यों में रजिस्ट्रीकृत कोई पात्र रजिस्ट्रीकृत व्यत्ति, जिसका पिछले वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 50 लाख से अनधिक था, केन्द्रीय माल और सेवा कर आधिनियम, 2017 की धारा 10 की उप-धारा(1) के अंतर्गत सम्मिश्रण उद्ग्रहण का पात्र होगा। इसके अलावा अधिसूचना का आशय यह उपबंध करना है कि केन्द्रीय माल और सेवा कर आधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत यदि कोई व्यत्ति निम्न माल का विनिर्माण करता है तो वह सम्मिश्रण उद्ग्रहण का विकल्प चुनने का पात्र नहीं होगा (एक) आइसक्रीम और अन्य खाद्य बर्फ, चाहे कोको युत्त हो या नहीं (दो) पान मसाला (तीन) सभी माल अर्थात् तंबाकू और विनिर्मित तंबाकू अनुकल्प।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी.-7360/16/17)

(12) अधिसूचना सं. सा.का.नि.648(अ) जो 27 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय यह विहित करना है कि कोई पात्र रजिस्ट्रीकृत व्यत्ति, जिसका पिछले वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 75 लाख से अनधिक था, संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर आधिनियम, 2017 की धारा 21 के साथ पठित केन्द्रीय माल और सेवा कर आधिनियम, 2017 की धारा 10 की उप-धारा(1) के अंतर्गत सम्मिश्रण उद्ग्रहण का पात्र होगा, की एक प्रति(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। इसके अलावा अधिसूचना का आशय यह उपबंध करना है कि संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर आधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत यदि कोई व्यत्ति निम्न माल का विनिर्माण करता है तो वह सम्मिश्रण उद्ग्रहण का विकल्प चुनने का पात्र नहीं होगा (एक) आइसक्रीम और अन्य खाद्य बर्फ, चाहे कोको युत्त हो या नहीं (दो) पान मसाला (तीन) सभी माल अर्थात् तंबाकू और विनिर्मित तंबाकू अनुकल्प।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी.-7361/16/17)

(13) धन-शोधन आधिनियम, 2002 की धारा 74 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचना ओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) धन-शोधन निवारण (आभिलेख रखना) दूसरा संशोधन नियम, 2017 जो 1 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 538(अ) में प्रकाशित हुआ था (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) धन-शोधन निवारण (आभिलेख रखना) संशोधन नियम, 2017 जो 12 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 347(अ) में प्रकाशित हुआ था (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी.-7362/16/17)

(14) (एक) एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी.-7363/16/17)

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के तहत निम्नलिखित पत्रों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) धारा 115जेबी के विशेष उपबंधों के अधीन कतिपय कंपनियों द्वारा कर के भुगतान के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (2017 का संख्यांक 30)-(राजस्व विभाग- प्रत्यक्ष कर) ।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखिए सं एल.टी.-7364/16/17)

(दो) मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन - संघ सरकार (2017 का संख्यांक 31)-(अप्रत्यक्ष कर-सेवा कर) -मनोरंजन क्षेत्र पर सेवा कर लगाना और संग्रहण, राजस्व विभाग।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखिए सं एल.टी.-7365/16/17)

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखिए सं एल.टी.-7369/16/17)

(7) सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 की धारा 25 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) स्वामी चिन्मयानंद जन्म शताब्दी स्मरणोत्सव के अवसर पर एक सौ रुपये और दस रुपये के सिक्के बनाना नियम, 2015, जो 30 अप्रैल, 2015 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 335(अ) में प्रकाशित हुआ था।

. (दो) लाला लाजपत राय की 150वीं जयंती के अवसर पर एक सौ पचास रुपये और दस रुपये के सिक्के बनाने के नियम, 2015, जो 13 मई, 2015 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 381(अ) में प्रकाशित हुए।

. (तीन) "अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस" के अवसर पर एक सौ पचास रुपये और दस रुपये के सिक्के बनाने के नियम, 2015, जो 12 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 487 (अ) में प्रकाशित हुए।

. (चार) डॉ. एस. राधाकृष्णन की 125वीं जयंती के अवसर पर एक सौ पच्चीस रुपये और दस रुपये के सिक्के बनाने के नियम, 2015, जो 25 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 512(अ) में प्रकाशित हुआ था।

. (पाँच) भारत-पाक युद्ध 1965 की स्वर्ण जयंती के अवसर पर पचास रुपये और पांच रुपये के सिक्के बनाने के नियम, 2015, जो 28 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 667(अ) में प्रकाशित हुए।

. (छः) भारत-अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन के तीसरे अवसर पर स्मरणोत्सव मनाने के लिए पांच सौ रुपये और दस रुपये के सिक्के बनाना नियम, 2015, जो 21 अक्तूबर, 2015 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 798(अ) में प्रकाशित हुआ था।

. (सात) डॉ. बी. आर. अम्बेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर एक सौ पच्चीस रुपये और दस रुपये के सिक्के बनाने के नियम, 2015, जो 29 अक्तूबर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 815(अ) में प्रकाशित हुआ था।

. (आठ) महाराणा प्रताप की 475वीं जयंती के अवसर पर एक सौ दस रुपये के सिक्के बनाने के नियम, 2015, जो 9 दिसंबर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 947(अ) में प्रकाशित हुआ था।

. (नौ) तात्या टोपे की 200वीं जयंती के अवसर पर दो सौ रुपये और दस रुपये के सिक्के बनाने के नियम, 2015, जो 29 अक्तूबर, 2015 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 816(अ) में प्रकाशित हुआ था।

. (दस) श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के वृंदावन आगमन की "500वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्मरणोत्सव मनाने के लिए पांच सौ रुपये और दस रुपये के सिक्के बनाने के नियम, 2016, जो 28 जनवरी, 2016 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 116(अ) में प्रकाशित हुआ था।

. (ग्यारह) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की 150वीं जयंती के अवसर पर एक सौ पचास रुपये और पांच रुपये के सिक्के बनाने के नियम, 2016, जो 24 फरवरी, 2016 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 191(अ) में प्रकाशित हुए।

. (बारह) "बीजू पटनायक जन्म शताब्दी" के अवसर पर एक सौ रुपये और पांच रुपये के सिक्के बनाना नियम, 2016, जो 17 फरवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 172(अ) में प्रकाशित हुआ था।

. (तेरह) सिक्का निर्माण (भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की एक सौ पच्चीसवीं वर्षगांठ के अवसर पर स्मारक सिक्के जारी करना) नियम, 2016, जो 26 फरवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 197(अ) में प्रकाशित हुए।

. (चौदह) सिक्का निर्माण (काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह के अवसर पर स्मारक सिक्के जारी करना) नियम, 2016, जो 11 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 292(अ) में प्रकाशित हुए।

. (पंद्रह) सिक्का निर्माण (मैसूर विश्वविद्यालय शताब्दी समारोह के अवसर पर स्मारक सिक्के जारी करना) नियम, 2016, जो 26 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 825(अ) में प्रकाशित हुए।

. (सोलह) सिक्का निर्माण (पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी के अवसर पर स्मारक सिक्के जारी करना) नियम, 2016, जो 31 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 836(अ) में प्रकाशित हुए।

. (सत्रह) एक रुपया करेंसी नोट मुद्रण नियम, 2016, जो 24 फरवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 192(अ) में प्रकाशित हुए।

. (ग्रंथालय में रखा गया, देखिए सं एल.टी.-7370/16/17)

(8) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 की उप-धारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

. (एक) कंपनियां (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) संशोधन नियम, 2017 जो 30 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 307(अ) में प्रकाशित हुए।

. (दो) कंपनी (बोर्ड की बैठकें और उसकी शक्तियां) संशोधन नियम, 2017 जो 30 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 309(अ) में प्रकाशित हुए।

. (तीन) कंपनी (प्रभारों का पंजीकरण) संशोधन नियम, 2017 जो 10 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 339(अ) में प्रकाशित हुए।

. (चार) कंपनी (कंपनियों के रजिस्टर से कंपनियों के नाम हटाना) संशोधन नियम, 2017 जो 13 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 355(अ) में प्रकाशित हुए।

. (पाँच) कंपनी (समझौता, व्यवस्था और समामेलन) संशोधन नियम, 2017 जो 13 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 368(अ) में प्रकाशित हुए।

. (छः) कंपनी (जमा की स्वीकृति) संशोधन नियम, 2017 जो 11 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 454(अ) में प्रकाशित हुए।

. (सात) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) दूसरा संशोधन नियम, 2017 जो 22 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 621(अ) में प्रकाशित हुआ।

. (आठ) कंपनी (लंबित कार्यवाही का हस्तांतरण) दूसरा संशोधन नियम, 2017 जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 732(अ) में प्रकाशित हुआ।

. (नौ) कंपनी (निदेशक की नियुक्ति और योग्यता) संशोधन नियम, 2017 जो 6 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 839(अ) में प्रकाशित हुए।

. (दस) राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (संशोधन) नियम, 2017 जो 6 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 840(अ) में प्रकाशित हुए।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखिए सं एल.टी.-7371/16/17)

(10) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 467 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

. (एक) सा.का.नि. 308(अ) जो 30 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 3 में कुछ संशोधन हुए।

. (दो) सा.का.नि. 2113(अ) जो 6 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 4 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(11) उपरोक्त (10) की मद सं० (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखिए सं एल.टी.-7372/16/17)

(12) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 462 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

. (एक) सा.का.नि. 582(अ) जो 13 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 5 जून, 2015 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 463(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

. (दो) सा.का.नि. 583(अ) जो 13 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 5 जून, 2015 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 464(अ) दिनांक 5 जून, 2015 में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा 13 जुलाई, 2017 की अधिसूचना सं. का.आ. 2218(अ) में प्रकाशित उसका एक शुद्धिपत्र।

. (तीन) सा.का.नि. 584(अ) जो 13 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 5 जून, 2015 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 466(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखिए सं एल.टी.-7373/16/17)

.

(13) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 470 की उपधारा (2) के अंतर्गत कंपनी (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 2017 जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 2042(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

. (ग्रंथालय में रखा गया, देखिए सं एल.टी.-7374/16/17)

(14) वर्ष 2015-2016 के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा बाजार से लिए गए उधार के विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

. (ग्रंथालय में रखा गया, देखिए सं एल.टी.-7375/16/17)

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा राज) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं -

(1) (एक राष्ट्रीय महिला कोष, नई दिल्ली के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

. (दो) राष्ट्रीय महिला कोष, नई दिल्ली के वर्ष 2015-16 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

. (ग्रंथालय में रखा गया, देखिए सं एल.टी.-7376/16/17)

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी. आर. चौधरी): महोदय, मैं संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारतीय खाद्य निगम, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की अनुपालन लेखा परीक्षा के संबंध में भारत के नियंत्रण-महालेखापरीक्षक-संघ सरकार (2017 का संख्यांक 18) के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखिए सं एल.टी.-7377/16/17)

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष रामराव भामरे): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं: -

(एक) मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड और रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2017-2018 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखिए सं एल.टी.-7378/16/17)

(दो) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड और रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2017-2018 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखिए सं एल.टी.-7379/16/17)

(तीन) गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2017-2018 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखिए सं एल.टी.-7380/16/17)

(चार) भारत डायनैमिक्स लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2017-2018 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखिए सं एल.टी.-7381/16/17)

———————

अपराह्न 12.03 ½ बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) आर्थिक मामले, व्यय, वित्तीय सेवाएं और डी.आई.पी.ए.एम. विभाग, वित्त मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2017-18) पर वित्त संबंधी स्थायी समिति के 46वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति[3*]

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री और रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली): अध्यक्ष महोदया, मैं वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामले, व्यय, वित्तीय सेवाएं, डी.आई.पी.ए.एम. विभागों से संबंधित अनुदानों की मांगों (2017-18) के लिए वित्त संबंधी स्थायी समिति के 46वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

———————

[3*]सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 7382/16/17

<u>अपराह्न 12.04 बजे</u>

(दो) भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव (आई.आई.एस.एफ.) का आयोजन

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्री और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री (डॉ. हर्ष वर्धन): अध्यक्ष महोदया और माननीय सदस्यगण, मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के आगामी महत्वपूर्ण कार्यक्रम के बारे में प्रस्तुति देने के लिए सभा के समक्ष खड़ा हूं। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, जिसे 'आई.आई.एस.एफ.' के रूप में जाना जाता है, अक्तूबर 2017 में अपने तीसरे संस्करण में प्रवेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह विज्ञान महोत्सव मंत्रालय द्वारा विज्ञान भारती (वी.आई.बी.एच.ए.) के साथ आयोजित किया जाता है। पहला आई.आई.एस.एफ. आई.आई.टी. दिल्ली में आयोजित किया गया था, और दूसरा संस्करण सी.एस.आई.आर. - राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। दोनों ही सफल घटनाएँ थीं और मेरा मंत्रालय 'आम जनता तक विज्ञान के प्रचार-प्रसार' के अपने उद्देश्य में सफल रहा।

माननीय अध्यक्ष महोदया, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव तकनीकी आत्मनिर्भरता और वैज्ञानिक उन्नति की दिशा में भारत की प्रगति को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए आम जनता में, विशेष रूप से युवाओं और बच्चों की भागीदारी के माध्यम से वैज्ञानिक सोच पैदा करने का एक गंभीर प्रयास है। विज्ञान का यह उत्सव सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों जैसे "स्वच्छ भारत अभियान", स्वस्थ भारत अभियान", "मेक इन इंडिया", "डिजिटल इंडिया", स्मार्ट विलेज" "स्मार्ट सिटीज़" आदि पर प्रकाश डालता है।

पहले संस्करण में, हमने 'सबसे बड़े विज्ञान व्यावहारिक सत्र के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड' हासिल किया, जो अब भारत के नाम पर अंकित है। आई.आई.एस.एफ.2015 ने वैज्ञानिक ज्ञान और विचारों के आदान-प्रदान के लिए भारत भर के युवा छात्रों, वैज्ञानिकों और तकनीकि विशेषज्ञों को एक जीवंत मंच भी प्रदान किया।

2016 में 'विज्ञान महोत्सव' के दूसरे संस्करण में, युवा वैज्ञानिक सम्मेलन, डी.एस.टी. - इंस्पायर राष्ट्रीय शिविर, विज्ञान फिल्म महोत्सव, एन.जी.ओ. बैठक, उद्योग-अकादमिक बातचीत जैसे कई कार्यक्रम राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, दिल्ली में आयोजित किए गए थे। आई.आई.एस.एफ. 2016 में अनुसंधान एवं विकास संस्थानों और विज्ञान संगठनों के 10,000 से अधिक प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी के साथ 5 लाख से अधिक लोगों की उपस्थिति दर्ज की गई।

माननीय अध्यक्ष: आप इसे सभा पटल पर रख सकते हैं।

डॉ. हर्ष वर्धन: महोदया, मैं शेष [4*]वक्तव्य को सभा पटल पर रखता हूँ।

———————

[4*]शेष वक्तव्य सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए सं. एल.टी. 7383/16/17

<u>अपराह्न 12.07 बजे</u>

सभा का कार्य

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. अहलुवालिया): महोदया, मैं आपकी अनुमति से, सत्र के शेष भाग के लिए सरकारी कार्य के संबंध में एक [5*]वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं। । इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:-

1. आज के आदेश पत्र से लिए गए सरकारी कार्य की किसी भी मद पर विचार:-

   इसमें (एक) भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान (आई.आई.पी.ई.) विधेयक, 2017 और (दो) अचल संपत्ति की मांग और अधिग्रहण संशोधन विधेयक, 2017 पर विचार और पारित करना शामिल है)

2. निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं पारित करना:-

   (क) राज्य बैंक (निरसन और संशोधन) विधेयक, 2017

   (ख) निरसन और संशोधन विधेयक, 2017

   (ग) केंद्रीय सड़क निधि (संशोधन) विधेयक, 2017

   (घ) प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष (संशोधन) विधेयक, 2017

   (ङ) सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जेदारों की बेदखली) संशोधन विधेयक, 2017

[5*] सभा पटल पर रखा गया

[हिन्दी]

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) : अध्यक्ष महोदया जी, धन्यवाद। कृपया अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों का समावेश किया जाए :-

1. मेरे संसदीय क्षेत्र टीकमगढ़ में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इण्डिया द्वारा हॉकी प्रशिक्षण केंद्र प्रारंभ किया गया है। वहां पर इनडोर गेम्स के लिए हॉल भी बनवाए गए तथा मैदान भी है परंतु बाहर से आने वाले खिलाड़ियों के लिए छात्रावास की सुविधा नहीं है। अतः देश के सभी क्रीड़ा स्थलों के साथ ही टीकमगढ़ में भी खिलाड़ियों के लिए छात्रावास भवन निर्माण कराने हेतु खेल प्राधिकरण से धनराशि दिलाए जाने की आवश्यकता है।

2. मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में पर्याप्त मात्रा में मिनरल्स उपलब्ध है। खनन का कार्य केवल निजी क्षेत्र के सम्पन्न लोगों द्वारा ही किया जा रहा है। ग्रेनाईट यहां से बड़ी मात्रा में कांडला बंदरगाह से होकर विदेशों में जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा वहां प्लांट लगाकर क्षेत्र के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री रवीन्द्र कुमार जेना (बालासोर): महोदया, मैं आगामी सप्ताह की कार्य सूची में शामिल करने के लिए निम्नलिखित दो मामले प्रस्तुत करना चाहूंगा:

1) हमारी अर्थव्यवस्था में गैर-कॉर्पोरेट क्षेत्र पर ध्यान देने की आवश्यकता: यह देखा गया है कि विशेष रूप से 1991 के सुधारों के बाद हमारी उच्च आर्थिक वृद्धि का ईंधन असंगठित क्षेत्र के व्यवसायों (ज्यादातर साझेदारी और स्वामित्व) से आया है। 2012 में, इस क्षेत्र का राष्ट्रीय आय में लगभग 45 प्रतिशत योगदान था जबकि कॉर्पोरेट क्षेत्र का केवल लगभग 18-21 प्रतिशत योगदान है। इन पी एंड पी फर्मों को बचत डेटा के लिए घरेलू के अंतर्गत गिना जाता है और यह देखा गया है कि परिवार हमारी अर्थव्यवस्था में बचत का 60-65 प्रतिशत योगदान करते हैं, जबकि औपचारिक ऋण में उनकी हिस्सेदारी 1990 में 58 प्रतिशत से घटकर 2012 में 36 प्रतिशत हो गई है। कारपोरेट

क्षेत्र के लिए जो बचत में कम योगदान देता है, ऋण की हिस्सेदारी बढ़ी है। इसलिए, हमारे देश में क्षेत्रीय ऋण आबंटन और आर्थिक नियोजन में समानता नहीं है।

2) आई.जी.एन.डी.पी. के मानदंडों को संशोधित करने की आवश्यकता: भारत में विकलांगता पेंशन समाज के सबसे कमजोर लोगों: दिव्यांगों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस आलोक में, यह देखा गया है कि इंदिरा गांधी विकलांगता पेंशन (आई.जी.एन.डी.पी.) के लिए कुछ सख्त पात्रता मानदंड हैं जैसे 18 वर्ष और उससे अधिक, गरीबी रेखा से नीचे की आय, न्यूनतम 80 प्रतिशत विकलांगता और यदि कोई लाभार्थी इन सभी के तहत पात्र है तो भुगतान की जाने वाली धनराशि मानदंड 300 रुपये है। यह कठोर मापदंड, खासकर 80 प्रतिशत विकलांगता योग्यता एक बड़ी संख्या में दिव्यांगों को बाहर निकालते हैं और, इसलिए, तत्काल परिवर्तन की आवश्यकता है। ओडिशा राज्य की मधु बाबू पेंशन योजना के तहत मानदंड जैसी सर्वोत्तम प्रथाएं हैं, जिसमें न्यूनतम 40 प्रतिशत की विकलांगता के साथ 5 वर्ष से अधिक आयु का हर व्यक्ति पात्र है।

[हिन्दी]

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : महोदया, कृपया अगले सप्ताह की कार्य सूची में मेरे दो विषयों को सम्मिलित किया जाए।

1. मेरे द्वारा गोद लिए गये 'सांसद आदर्श ग्राम पंचायत-मल्हीपुर,' थाना-चेनारी, जिला-रोहतास (सासाराम) बिहार में इस क्षेत्र के नागरिकों के सर्वांगीण विकास एवं मूलभूत सेवाओं को विकसित करने हेतु 'प्लास्टिक पार्क' स्थापित किया जाए, जिससे इस क्षेत्र के बेरोजगार युवक-युवतियां व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर आत्म निर्भर हो सकें। यहां पर्याप्त मात्रा में जल संसाधन विभाग की बेकार पड़ी भूमि भरपूर मात्रा में उपलब्ध है।

2. मेरे संसदीय क्षेत्र सासाराम (बिहार) में योग प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित कर सभी विद्यालय/महाविद्यालयों में योग शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। [हिन्दी] योग गुरू बाबा रामदेव जी एवं माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र

मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 'योग दिवस' का शुभारम्भ कर देश को शिखर पर पहुंचाया, जिसके लिए हम सब आभारी हैं। योग के निरंतर अभ्यास से शरीर ही नहीं बल्कि मन एवं मस्तिक भी स्वस्थ रहता है, जिससे मैं स्वयं लाभान्वित हूं। योग भावनात्मक और अध्यात्मिक स्तर पर स्वस्थ रहने की जीवन शैली है।

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन) : महोदया, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण नदियां यमुना, चम्बल, क्वारी, सिंधु और पहुज के जनपद जालौन उ.प्र. में संगम स्थान पंचनदा पर बांध निर्माण को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित करने का कट करें।

कोंच-जालौन-उरई रेल मार्ग परियोजना जिसका सर्वे अभी हाल ही में उत्तर मध्य रेलवे द्वारा पूरा कर लिया गया है, इस परियोजना को मंत्रालय द्वारा स्वीकृत करने को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित करने का कष्ट करें।

[अनुवाद]

डॉ. ए. सम्पत (अट्टिंगल): अट्टिंगल लोक सभा क्षेत्र में पल्लीकल ग्राम पंचायत के नेमोम में रेलवे कोचिंग यार्ड की घोषणा अभी तक पूरी नहीं हुई है। तिरूवनन्तपुरम मंडल में रेलवे यातायात की भीड़ दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। इसलिए, मैं एक रेलवे जोन के गठन का अनुरोध करता हूं जिसका मुख्यालय केरल में हो। चिरायंकीझू में लोगों की परशुराम एक्सप्रेस के दो मिनट के ठहराव की मांग लंबे समय से चली आ रही है। 113 वर्ष पुराने कडक्कावूर रेलवे स्टेशन को एक विरासत स्टेशन के रूप में घोषित किया जाना चाहिए और वारकला शिवगिरि स्टेशन पर अधिक ट्रेनों के लिए ठहराव प्रदान किया जाना चाहिए।

अट्टिंगल शहर मेरे लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र का केंद्र है और पूरे केरल राज्य में सबसे पुराने शहरों में से एक है, जिसका इतिहास और परंपरा स्वतंत्रता-पूर्व युग से है। यह लगातार बढ़ता शहरी क्षेत्र एन.एच.-47 पर गंभीर ट्रैफिक जाम और भीड़भाड़ का सामना कर रहा है वर्तमान में, अट्टिंगल नगर पालिका लोगों की भागीदारी से शहर से गुजरने वाले एन.एच.-47 के हिस्से को चौड़ा करने की पूरी कोशिश कर रही है। एन.एच.ए.आई. द्वारा अट्टिंगल में मौजूदा एन.एच. के लिए एक बाईपास के निर्माण की भी परिकल्पना की गई है। इसलिए, मैं आपसे

अनुरोध करता हूं कि एन.एच.-47 के इस खंड में उक्त अट्रिंटगल बाईपास के निर्माण के लिए तत्काल कदम उठाने की कृपा करें।

[हिन्दी]

श्री रामसिंह राठवा (छोटा उदयपुर): महोदया, निम्नलिखित दो विषयों पर अगले सप्ताह की कार्यसूची में सबमिशन के अंतर्गत मुझे बोलने की अनुमति दी जाए।

(1) मेरा छोटा उदयपुर लोक सभा संसदीय मत क्षेत्र आदिवासी जनसमुदाय एवं पहाड़ी पिछड़ा क्षेत्र है। छोटा उदयपुर जिला के कवांट तहसील के "पडवानी," "कोटंबी," नसवाडी तहसील के "केवडी-घारसीमेल" बोडेली तहसील के "झंड हनुमान" एरिया में बीएसएनएल टेलीफोन और ब्रॉडबैंड इंटरनेट की सुविधा न होने की वजह से आम जनता को परेशानी हो रही है। इसी को मद्देनजर रखते हुए जल्द से जल्द यह सुविधा देने का प्रबंध किया जाए।

(2) मेरा लोक सभा संसदीय मत क्षेत्र आदिवासी जनसमुदाय एवं पहाड़ी पिछड़ा क्षेत्र है और देश की सबसे बड़ी योजना सरदार सरोवर नर्मदा योजना का मूल स्थान मेरे संसदीय मत क्षेत्र नर्मदा जिले के नांदोद तहसील के "उमरवा", “नावरा,” “राजपरा,” “खुटा-आबा”, “बोरी," गरुडेश्वर तालुका का "साकवां," “भीलसी" एरिया में मोबाइल ब्रोडबैंड इंटरनेट की सुविधा न मिलने के कारण जैसे कि 108 और इमरजेन्सी आपातकालीन सेवा में आम जनता को परेशानी हो रही है और हमारी जनता नाराजगी महसूस कर रही है।

इसको मद्देनजर रखकर हम टेलीफोन और ब्रोडबैंड की सुविधा शुरू करना चाहते हैं। आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी की ओर से कोई ठोस कदम उठाये जाने के लिए मैं निवेदन एवं अनुरोध करता हूं।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : अध्यक्ष महोदया, अगले सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित विषयों को शामिल करते हुए चर्चा कराने की कृपा की जाए।

(1) धनबाद, कतरास, चंद्रपुरा रेल लाइन विगत दो माह से बंद होने के कारण भारी संख्या में आम जनता को कठिनाई हो रही है। विभिन्न संगठन एवं आम जनता विगत दो माह से लगातार आंदोलनरत है। इसलिए भारत सरकार से माँग करता हूँ कि धनबाद मण्डल के अंतर्गत उक्त रेल लाइन को आविलंब चालू किया जाए।

(2) कोल इण्डिया की अनुषांगिक कंपनी सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड का कथारा क्षेत्र के अंतर्गत कथारा बाशरी एवं स्वांग बाशरी में वर्षों से स्थायी प्रकृति के कार्य में लगातार कार्यरत सैकड़ों ठेका श्रमिकों की अचानक छँटनी कर दी गयी है। उनका बकाया वेतन का भुगतान भी नहीं किया जा रहा है। अतएव उक्त श्रमिकों को पुनः नियोजित किया जाए एवं उनके बकाया वेतन का भुगतान कराने हेतु यथोचित कार्रवाई की जाए।

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) : अध्यक्ष महोदया, कृपया निम्नलिखित विषय आगामी सप्ताह की कार्य सूची में शामिल करने का कष्ट करें।

(1) प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्र, भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य लोगों से सस्ते दामों पर दवाएं उपलब्ध कराना है। [हिन्दी] उक्त औषधि केन्द्रों को लाइसेंस व स्थान उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश सरकारों व संबंधित आधिकारियों व विभागों को स्पष्ट व व्यावहारिक निर्देश दिए जाएं। ... [6*]

माननीय अध्यक्ष : श्री आश्विनी कुमार चौबे - उपस्थित नहीं।

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद) : अध्यक्ष महोदया, मेरा आपसे निवेदन है कि अगले सप्ताह की कार्य सूची में उक्त विषय का समावेश किया जाए।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर फाउंडेशन के जीर्णोद्धार के लिए गुजरात सरकार ने छह करोड़ रूपये की धनराशी आबंटित की है। उक्त फाउंडेशन के लिए केंद्र सरकार भी इतनी ही धनराशी आबंटित करे, जिससे

[6*] कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उक्त फाउंडेशन में स्थित लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम व रिसर्च सेंटर को वातानुकूलित एवं अन्य सुविधाओं से सुशोभित किया जाए।

<u>अपराह्न 12.16 बजे</u>

केन्द्रीय निःशक्तता सलाहकार बोर्ड के लिए दो सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: अब हम मद सं 10 पर विचार करेंगे। माननीय मंत्री श्री थावर चंद गेहलोत प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

[हिन्दी]

सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्री (श्री थावर चंद गहलोत) : अध्यक्ष महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि -

" निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 60 की उप-धारा(2) के खण्ड (ग) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त आधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन केन्द्रीय निःशक्तता सलाहकार बोर्ड के सदस्यो के रूप में सभा के सदस्य बने रहने तक की अवधि के लिए कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें। "

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 60 की उप-धारा(2) के खण्ड (ग) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त आधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन केन्द्रीय निःशक्तता सलाहकार बोर्ड के सदस्यो के

रूप में सभा के सदस्य बने रहने तक की अवधि के लिए कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

<u>अपराह्न 12.17 बजे</u>

केन्द्रीय रेशम बोर्ड के लिए चार सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

माननीय अध्यक्ष: अब हम मद सं 11 पर विचार करेंगे। माननीय मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगी।

वस्त्र मंत्री और सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी): मैं प्रस्ताव करती हूं:

"कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 4 की उप-धारा (3) के खण्ड (ग) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्यों के रूप में सभा के सदस्य बने रहने तक की अवधि के लिए कार्य करने के लिए अपने में से चार सदस्य निर्वाचित करें।"।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 4 की उप-धारा (3) के खण्ड (ग) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन केन्द्रीय रेशम बोर्ड के

सदस्यों के रूप में सभा के सदस्य बने रहने तक की अवधि के लिए कार्य करने के लिए

अपने में से चार सदस्य निर्वाचित करें।"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री अनन्तकुमार): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपसे भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान विधेयक 2017 पर तुरंत विचार करने का अनुरोध करूंगा। ... (*व्यवधान*) यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है। मैं विपक्ष के अपने मित्रों से भी अनुरोध करूंगा कि इसे शून्यकाल के बाद लिया जा सकता है। ... (*व्यवधान*) आइए पहले हम भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान विधेयक 2017 विधेयक पर विचार करें और पारित करें और हम बाद में शून्यकाल लें... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : बिल ले सकते हैं। यह बिल कराकर इसके तुरन्त बाद जीरो ऑवर ले लेंगे, क्योंकि आज फ्राइडे है, सभी लोग चाहेंगे कि जीरो भी जल्दी होना चाहिए। पहले बिल करा लेते हैं और उसके तुरन्त बाद जीरो ऑवर ले लेंगे। उसके बाद प्राइवेट मेंबर बिल होगा।

जितेन्द्र रेड्डी जी, आपको क्या कहना है।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री के.सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा): महोदया, हमारे पास बाद में 'शून्य काल' के लिए समय नहीं होगा क्योंकि हमें अपराह्न 3.30 बजे गैर सरकारी सदस्यों के कार्य लेना है। ... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आपको क्या कहना है, मैं इनके बाद आपको मौका देती हूँ।

... (व्यवधान)

अपराह्न 12.20 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) सरकार द्वारा प्रायोजित चालू स्कीमों पर माल और सेवा कर से छूट की आवश्यकता के बारे में

[अनुवाद]

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी (महबूबनगर): महोदया, आज मुझे यह अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ... (*व्यवधान*)

यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। हमने स्थगन प्रस्ताव के लिए एक नोटिस दिया है। ... (*व्यवधान*) जी.एस.टी. के कार्यान्वयन को मिशन काकतिया, मिशन भागीरथ, सिंचाई परियोजनाओं, और गरीब लोगों के लिए डबल बेडरूम आवास योजना जैसे चल रहे सरकारी प्रायोजित कार्यक्रमों और योजनाओं पर लागू नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये कार्यक्रम और योजनाएं पहले के करों, जैसे वी.ए.टी., आदि के अनुसार पहले से ही बजट की गई हैं। (*व्यवधान*) इन परियोजनाओं पर जी.एस.टी. का वित्तीय प्रभाव इनकी प्रगति को अत्यधिक बाधित करेगा।

यदि 18 प्रतिशत जी.एस.टी. को लागू किया जाता है, तो कार्य अनुबंधों पर राज्य के लिए 19,200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ आएगा। (*व्यवधान*) तेलंगाना के हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने माननीय पी.एम. को इस संबंध में पत्र लिखा है। माननीय वित्त मंत्री को भी इसकी जानकारी है. ... (*व्यवधान*) कई बार, यह

जी.एस.टी. परिषद में उठाया गया है। अगर इसे पांच फीसदी से बढ़ाकर 18 फीसदी जी.एस.टी. कर दिया जाए तो काफी बोझ पड़ेगा। बजटीय आबंटन पर फिर से काम करना होगा। … (*व्यवधान*)

ये गरीब लोगों के लिए योजनाएं हैं। वे सार्वजनिक उपयोग के लिए हैं। वे पहले से ही निष्पादन और कार्यान्वयन के तहत हैं। इसलिए, चल रही परियोजनाओं पर 18 प्रतिशत के नए जी.एस.टी. के अनुसार कर नहीं लगाया जाना चाहिए। … (*व्यवधान*)

हम हमारे माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करते हैं जो यहाँ हमारे सामने बैठे हैं कि कृपया हमें सुनें और इस छोटी सी बात पर एक वक्तव्य दें। ... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आप ऐसी अपेक्षा मत कीजिए।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी: इस पर बहुत कानूनी विवाद होगा। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह वक्तव्य दें। ... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : ऐसे रोज-रोज एक जीएसटी पर बोलना शुरू करेंगे तो गड़बड़ होगी। इसके लिए काउन्सिल है।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी: महोदया, 1 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं पर इसका प्रभाव पड़ेगा । वे सभी ठप हो जाएंगे। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्षः आपने अपना मामला उठाया है और उन्होंने इसे सुना है। मैं उन्हें विवश नहीं कर सकता।

… (*व्यवधान*)

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी: महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि कृपया इस मामले में हस्तक्षेप करें। … (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : ऐसा नहीं होता है। हर दिन, कुछ न कुछ सामने आएगा।

… (*व्यवधान*)

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी: महोदया, वह उत्तर देने को तैयार हैं। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली): श्री रेड्डी ने जो मामला उठाया है, मैं उसे परिषद के ध्यान में लाऊंगा। … (*व्यवधान*)

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी: धन्यवाद महोदय ।

[हिन्दी]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : अनन्तकुमार जी ने मुझसे पूछा कि यह बिल लेना है, मैंने उनसे कहा कि कल भी जीरो ऑवर नहीं हुआ।

माननीय अध्यक्ष : आज पक्का जीरो ऑवर करेंगे।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : आज भी अगर जीरो ऑवर नहीं हुआ, तो यह ठीक नहीं रहता है, क्योंकि मेंबर्स अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखना चाहते हैं। कृपया आप जीरो ऑवर अलाऊ करें। बिल आप सोमवार को लें। हम तो कोआपरेट कर रहे हैं, रात के 7-8 बजे तक बैठ रहे हैं। यह अच्छा नहीं है।

माननीय अध्यक्ष : यह छोटा सा बिल है। इसके बाद जीरो ऑवर लेंगे।

... (व्यवधान)

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री अनन्तकुमार): हम जरूर जीरो ऑवर करेंगे। यह छोटा सा बिल है, इसे पहले करते हैं। इसके बाद जीरो ऑवर करेंगे।...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: आप शान्ति से बैठिए। आप थोड़ा शान्ति सीख लीजिए।...(व्यवधान) आप बुलडोज करने का मत कीजिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपको मौका दे दूँगी। इसके ठीक बाद जीरो ऑवर ले लूँगी। मैं आपको मौका दे दूँगी।

… (*व्यवधान*)

[अनुवाद]

श्री के.सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा): महोदया, कल भी 'शून्य काल' नहीं हुआ । … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: इसके बारे में चिंता न करें।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : इसके तुरन्त बाद जीरो ऑवर ले लूँगी। अभी इसे जल्दी करा देते हैं। आज लंच नहीं करेंगे। आज जीरो ऑवर जरूर करेंगे।

... (व्यवधान)

अपराह्न 12.24 बजे

भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान विधेयक, 2017[7*]

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: सभा अब मद सं. 12 – भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान विधेयक पर विचार करेगा।

[हिन्दी]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान) : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ :-

> "कि भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान नामक संस्था को राष्ट्रीय महत्व की संस्था होना घोषित करने के लिए तथा उसके निगमन और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"महोदया, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे अनुमति दी। सदन में एक नया कानून बनाने के लिए मैं आपकी अनुमति से सदन की अनुमति चाहता हूँ।...(व्यवधान) जब वर्ष 2014 में आन्ध्र पुनर्गठन का कानून बना।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : जीरो ऑवर भी ले लेंगे। आज जीरो ऑवर लिये बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं कह रही हूँ कि आज जीरो ऑवर लिये बिना मैं नहीं जाऊँगी।

... (व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : दोनों राज्यों का बँटवारा हुआ।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

[7*] राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत

श्री के.सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा): हमने तीन विधेयकों में सहयोग किया। ... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री अनन्तकुमार): मैडम, मैं आपको, खड़गे साहब को और सदन के सभी सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूंगा। कल जितने बिजनेस आइटम्स 'लिस्ट-ऑफ-बिजनेस' में थे, पूरा इस सदन ने पहली बार कम्प्लीट किया। इतना ही नहीं, कल का दिन संसदीय इतिहास में एक अनोखा दिन था, एक रिकॉर्ड भी बना दिया, यानी तीन बिल्स, सब ने मिलकर, सबके सहयोग से हमने चर्चा करके पारित भी कर दिये।

माननीय अध्यक्ष : सभी सहयोग कर रहे हैं।

... (व्यवधान)

श्री अनन्तकुमार : मैडम, मैं आपके द्वारा यह बता रहा हूं।...(व्यवधान) आप 'ज़ीरो आवर' जरूर लीजिए, लेकिन इस बिल के बाद लीजिए, इतनी ही हमारी प्रार्थना है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ठीक है, 'ज़ीरो आवर' ले लेंगे।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): हम इस संबंध में सरकार का समर्थन कर रहे हैं। ... (*व्यवधान*) सरकार को विचारशील होना चाहिए। ... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आज फ्राइडे है, इसलिए मैं भी बोल रही हूं कि लंच ब्रेक मत करो, कंटीन्युएशन में काम करो।

... (व्यवधान)

श्री अनन्तकुमार : मैडम, लंच-ब्रेक मत करिए।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: यह अच्छा नहीं है। ... (*व्यवधान*) आपको हमें शून्यकाल में भाग लेने की अनुमति देनी चाहिए। श्री धर्मेंद्र यहां हैं। ... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर जी, बार-बार से इस प्रकार से प्रस्ताव नहीं लाइए। अगली बार ऐसा नहीं करेंगे।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : हम सभी लोगों ने सपोर्ट करके बिल पास किए। पर, अब 'ज़ीरो आवर' नहीं लेना अच्छा नहीं है।...(व्यवधान)

श्री अनन्तकुमार : यह आपका ही निर्णय है, जिसे हम पूरा कर रहे हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, आप बोलिए।

... (व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : अध्यक्षा जी, जब वर्ष 2014 में 'आंध्र प्रदेश रि-ऑरगेनाइजेशन एक्ट' बना, उस बिल में, उस व्यवस्था में जब दोनों राज्यों का बंटवारा हुआ, दो अलग-अलग प्रशासनिक इकाइयां बनायी गयीं। दोनों राज्यों के विकास के बारे में बात की गयी कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य आगे कैसे बढ़ेंगे। संसद के दोनों सदन, लोक सभा और राज्य सभा ने उस पर विस्तार से चर्चा की। पहले भी चर्चा हुई। यह उस चर्चा का एक बढ़िया उपज था, एक सोचा-समझा हुआ निर्णय था कि आंध्र प्रदेश में विश्व स्तर का एक पेट्रोलियम इनर्जी इंस्टीच्यूट बनाया जाएगा।

<u>अपराह्न 12.27 बजे</u> (माननीय उपाध्यक्ष *पीठासीन हुए*)

उपाध्यक्ष जी, आंध्र प्रदेश नया बन रहा है। हैदराबाद आंध्र प्रदेश से अलग हो गया। आंध्र प्रदेश के मन में यह हुआ कि अपनी अर्थनीति को कैसे आगे बढ़ाएं। वर्ष 2014 में जो कमिटमेंट था, एक एक्ट के माध्यम से, प्रधान मंत्री जी की विशेष जिम्मेदारी हम सभी के ऊपर है कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के विकास के लिए जो वचन संसद ने उन्हें दिया था, एक-एक करके उन सारे विषयों को हमें पूरा करना है। उसी के अन्दर शिड्यूल-13 में वहां की स्किल मैनपावर को बढ़ाने के लिए विशाखापत्तनम में इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ पेट्रोलियम इंजीनियरिंग खोला जाएगा। यह सूचना मैं आपको सहष्रा देना चाहूंगा। पिछले एकैडमिक ईयर से आंध्र यूनिवर्सिटी के कैम्पस आई.आई.पी.ई. की पढ़ाई शुरू की गयी है। एक सोसायटी बनाकर इसे एक इंस्टीच्यूट का प्रारूप दिया गया है। उसकी प्रारंभिक वित्तीय व्यवस्था भी की गयी है और इसकी एक वर्ष की पढ़ाई पूर्ण हो चुकी है। आई.आई.टी., खड़गपुर को उसे मेनटेन करने की जिम्मेदारी दी गयी है और इसी वर्ष दूसरे बैच का एडमिशन भी हो जाएगा।

उपाध्यक्ष जी, आंध्र प्रदेश हमारे लिए एक महत्वपूर्ण प्रांत है। चालीस वर्ष पहले भारत के ऊर्जा क्षेत्र में मुम्बई के ऑयल फील्ड का, गैस फील्ड का एक व्यावसायिक उपक्रम शुरू किया गया। कई सालों में यह समझ में आ रहा है कि उससे ज्यादा रिसोर्स कृष्णा-गोदावरी बेसिन में है, जिसे हम लोग 'के.जी. बेसिन' के नाम से जानते हैं और मानते हैं। के.जी. बेसिन में चुनौतियां अलग हैं। वहां गहरा समुद्र है और ऑयल के बजाय गैस की उपलब्धता ज्यादा है। दुनिया में एनर्जी को खोज निकलने के लिए, विशेषकर हाइड्रोकार्बन एनर्जी को खोज निकालने के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी, समयउपयोग टेक्नोलॉजी, उसको सही व्यावसायिक ढाँचे तथा व्यावसायिक मॉडल की आवश्यकता होती है।

उपाध्यक्ष जी, कोई भी चीज सिर्फ रिसोर्स एवेलेबल होने से नहीं होती है, बल्कि उसको मोनेटाइज करने के लिए अच्छे मानव शक्ति की भी आवश्यकता होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए, राज्यों का पुनर्गठन हुआ और आंध्र प्रदेश में आई.आई.पी.ई. करने का निर्णय किया। पिछले मार्च अप्रैल महीने में कैबिनेट ने यह फैसला

किया कि उसे एक अलग संस्था बनाकर स्वतंत्रता दी जाए। अब तक वर्ष 201617 के अकेडेमिक ईयर में पेट्रोलियम इंजीनियरिंग एंड केमिकल इंजीनियरिंग के दो कोर्स में पचासपचास विद्यार्थियों का एडमिशन हो चुका है। आंध्र प्रदेश सरकार ने इसके लिए दो सौ एकड़ जमीन भी उपलब्ध करायी है।

जैसा मैंने अभी कहा कि आईआईटी, खड़गपुर उसके मेंटर इंस्टीट्यूट के रूप में काम करेगा। इसको एक इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस की मान्यता देने के लिए, मैं आपके सामने यह बिल लेकर आया हूं। उसकी प्रारंभिक तथा आर्थिक व्यवस्था हुई है। इसमें सरकार ने लगभग साढ़े छह सौ करोड़ रूपये से ज्यादा व्यय करने की व्यवस्था भी है। इस महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट को एक कानूनी ढाँचों में परिवर्तित करने के लिए, एक स्वतंत्र आडेंटिटी देने के लिए तथा एक नेशनल इम्पोर्टेंस इंस्टीट्यूट बनाने के लिए मैं आपके माध्यम से सदन की अनुमति चाहता हूं। मैं निवदेन करता हूं कि माननीय सदन इस पर चर्चा करके परामर्श दें।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> "कि भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान नामक संस्था को राष्ट्रीय महत्व की संस्था होना घोषित करने के लिए तथा उसके निगमन और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): महोदय, मैं 'भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान विधेयक, 2017' शीर्षक के तहत इस विधान पर चर्चा करना चाहूंगा।

महोदय, वास्तव में आंध्र प्रदेश के विभाजन के परिणामस्वरूप दो राज्य - तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अस्तित्व में आये।

[हिन्दी] हम सबको वह दिन याद है और इस पार्लियामेंट के अंदर भी बहुत सारा हंगामा हुआ था, जब इन राज्यों के बाइफर्केशन की बारी आई थी। हमारी कांग्रेस पार्टी की यह प्रतिबद्धता तथा पॉलिटिकल कमिटमेंट था कि वहां के आम लोगों का जो ओपिनियन था, उसको मानते हुए इनका बाइफर्केशन किया जाए, विखंडित किया जाए। अगर हिन्दुस्तान में किसी पॉलिटिकल पार्टी को इसके लिए भुगतना पड़ा है, तो वह कांग्रेस पार्टी है। अब न हमारे साथ तेलंगाना रहा और न ही आंध्र प्रदेश रहा, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी अपने पॉलिटिकल कमिटमेंट से पीछे नहीं हटी। यह साबित करता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए देश आगे है और पार्टी पीछे है। हम लोगों ने जो कमिटमेंट किया था, उसको पूरा किया। मैंने सोचा था कि हमारे माननीय मंत्री श्री धर्मेन्द्र बाबू एप्रिशिएट करेंगे, लेकिन इन्होंने नहीं किया। इसी के चलते आंध्र प्रदेश रिऑर्गनाइजेशन एक्ट, 2014, जिसके 13 शेड्यूल में यह था कि वहां पर एक इंस्टीट्यूट बनाया जाए। जिसको ये लोग आई.आई.पी.ई. कहते हैं, क्योंकि यह कमिटमेंट के अंदर है। इसका कारण क्या था? [अनुवाद] इसका उद्देश्य पेट्रोलियम क्षेत्र के लिए कुशल जनशक्ति की आपूर्ति में मात्रात्मक और गुणात्मक अंतर को पूरा करना और क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक अनुसंधान गतिविधि को बढ़ावा देना है।

मैं अपनी पार्टी की ओर से आंध्र प्रदेश सरकार के प्रयास के लिए बधाई देना चाहता हूं क्योंकि राज्य सरकार ने 200 एकड़ जमीन निःशुल्क दी है और मुझे लगता है कि इसका अनुकरण अन्य राज्यों को भी करना चाहिए। विशाखापत्तनम में सभाभाराम मंडल में आई.आई.पी.ई. की स्थापना के लिए 200 एकड़ जमीन मुफ्त दी गई थी। आई.आई.पी.ई. को आंध्र प्रदेश सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 2001 के तहत पंजीकृत किया गया है। 2016-17 के शैक्षणिक सत्र के लिए आई.आई.पी.ई. का एक अस्थायी परिसर स्थापित किया गया है। इसका उल्लेख माननीय मंत्री द्वारा भी किया गया था। मंत्रिमंडल ने आई.आई.पी.ई. की स्थापना के

लिए पूंजीगत व्यय के रूप में 655 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है और इसके धर्मार्थ निधि के लिए 200 करोड़ रुपये का योगदान किया गया है साथ ही, तेल कंपनियों से धर्मार्थ निधि के लिए 2000 करोड़ रुपये का योगदान किया गया है। मुझे लगता है, हमारे देश की तेल कंपनियों और अन्य बहु-राष्ट्रीय कंपनियों और कॉर्पोरेट निकायों को अन्य राज्यों के लिए भी धर्मार्थ निधि की पेशकश करने के लिए आगे आना चाहिए। हमें ऐसे महत्वपूर्ण संस्थानों की स्थापना के लिए अपेक्षित धन की सख्त जरूरत है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह क्षेत्र हमारे देश के जी.डी.पी. में 16 से 17 प्रतिशत का योगदान करता है। तथापि, हम इस क्षेत्र में समर्पित संस्थान स्थापित करने में पिछड़ रहे हैं। इस क्षेत्र में विकास के लिए कुशल जनशक्ति की भारी मांग है।

[हिन्दी]

प्रधान जी, आप बड़े यंग मिनिस्टर हैं। आपका नसीब भी बहुत अच्छा है। आप नसीब वाले मिनिस्टर हैं, क्योंकि सत्ता में आने के पहले ग्लोबल मार्केट में कच्चा तेल का भाव 112 से 115 डॉलर प्रति बैरल था। आपके आते ही यह कभी 50, कभी 46, कभी 51, मतलब 51 से ज्यादा यह नहीं हुआ। ...(व्यवधान) मतलब तेल की दुनिया में आपके ऊपर एक बहुत बड़ी मेहरबानी बरसती रही। ...(व्यवधान) लेकिन फिर भी आपका दिल आम गरीबों के लिए मेहरबान नहीं हुआ। इतनी सारी सुविधा होते हुए भी आपने क्या किया? जो सब्सिडी देते थे, आपने कहा कि इसे हटा देना चाहिए। पहले दो रुपये, अभी चार रुपये, आप निर्णय ले चुके हैं कि सारी सब्सिडी रेजीम खत्म करेंगे। आप बहाना देते हैं कि यह ठीक नहीं, क्योंकि हम तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रोग्राम चला रहे हैं, मतलब बीपीएल लोगों को यह सुविधा मुहैया होगी। 18 करोड़ हिंदुस्तानी, जिनको यह सुविधा मिलती थी, आपने उन लोगों को खारिज कर दिया। आपका बहाना है कि यह गरीब के लिए ठीक है, लेकिन जो गरीब नहीं हैं, उनके लिए पैसा देना बेकार है। 18 करोड़ हिंदुस्तानवासियों, जो 5-6 दिन पहले या एक महीना पहले गरीब थे, आज क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया हिंदुस्तान के ऊपर, वे सारे अमीर बन चुके हैं। इसमें खास कर बंगाल में एक करोड़ चालीस लाख आबादी है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपने ऐसा क्यों किया? आपको इसमें क्या लाभ हुआ? 115 डॉलर प्रति बैरल से घट कर 50 डॉलर प्रति बैरल की सुविधा मिलते हुए भी आपने क्यों आम जनता के खिलाफ इस तरह के कदम उठाए हैं? यह बड़ी हैरानी की बात है।

मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 18 करोड़ लोग, जिनको सब्सिडी मिलने वाली थी, क्या वे अब गरीबों की लिस्ट से बाहर आ चुके हैं, कैसे आ चुके हैं? क्या आप लोग ज्यादा रामचरित पढ़े हैं या ज्यादा हनुमान चालीसा पढ़े हैं, इसलिए ये सारे 18 करोड़ लोग गरीब से बाहर आ गये हैं?

दूसरी बात, आज इंडियन एक्सप्रेस में क्या निकला है? रिफाइनरी परियोजना *नवरत्न* ई.आई.एल. को दुबई की कंपनी से अनुबंध दिलाने की जांच चल रही है। सी.वी.सी. ने इस 6.25 करोड़ रुपये के अनुबंध के लिए पेपर्स और सी.बी.आई. जांच के लिए पी.पी.आर. की मांग की। हम सब जानते हैं कि हिन्दुस्तान तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। हमने 80 के दशक में इंटीग्रेटिड पॉलिसी बनाई थी। हमारे देश में मिडल क्लास बढ़ रहा है, कन्जम्पशन पावर बढ़ रही है। जब मिडल क्लास बढ़ेगा, कन्जम्पशन बढ़ेगी, इकोनॉमी की ग्रोथ होगी, तब हमें सबसे ज्यादा जरूरत एनर्जी की पड़ेगी। इसे नजर में रखते हुए हमने इंटीग्रेटिड एनर्जी पॉलिसी बनाई थी। अब आप पॉलिसी बनाने जा रहे हैं, ड्राफ्ट नेशनल एनर्जी पॉलिसी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कवायद कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। हमारा इसमें कोई विरोध नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि ऑयल और नैचुरल सैक्टर पर और ज्यादा विचार किया जाए। अभी भी हिन्दुस्तान में पावर सरप्लस है लेकिन एनर्जी की काफी पावर्टी है। हम अभी भी एनर्जी की कमी से जूझ रहे हैं। पर कैपिटा ऑयल कन्जम्पशन कम है, फिर भी हम दुनिया में थर्ड लार्जेस्ट ऑयल इम्पोर्टर हैं। हमारे देश में पर कैपिटा एनर्जी कन्जम्पशन कम है। आज हमारे सामने बड़ा मौका है क्योंकि यूरोप, चीन में मैक्रो इकोनामिक हेडविंड्स के कारण एनर्जी की कन्जम्पशन धीरे-धीरे थमेगी, तब हमारे देश में मैक्रो इकोनामिक टेलविंड्स के कारण एनर्जी कन्जम्पशन बढ़ेगा। आपको इस समय अच्छी पॉलिसी अपनानी चाहिए ताकि हम अपनी जरूरतों के साथ आगे जा सकें।

महोदय, बॉम्बे हाई में ईज़ी ऑयल मिलता था, राजस्थान में मिलता था। लेकिन डेढ़ दशक में हिन्दुस्तान में कोई मेजर ऑयल डिस्कवरी नहीं हुई है इसलिए इम्पोर्ट पर हमारी निर्भरता बढ़ रही है। हमें इस डिपेंडेंसी सिंड्रोम को हटाना चाहिए। सेल कंपनी की बात दुनिया में हो रही है। इस कंपनी की हिन्दुस्तान में क्या अपारच्युनिटी है? एक्सपर्ट कहते हैं कि हिन्दुस्तान में सेल गैस की पोटेंशिएलिटी है। अगर ठीक से एक्सपर्ट किया जाए तो अगले 200 वर्ष के लिए हम निश्चिंत हो सकते हैं।

महोदय, रिलांयस हिन्दुस्तान में एक अच्छी बेस्ट सैटिड इंडस्ट्री है। रिलांयस की रिफाइनरी की परफार्मेंस और पब्लिक सैक्टर रिफाइनरी की परफार्मेंसा में इतना फर्क क्यों है? इसकी रिकवरी अच्छी होती है जबकि हम फेल होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं - कुछ तकनीकी और प्रदर्शन सुधार के बाद 2012-13 से पीएसयू रिफाइनरियों में डिस्टिलेट उत्पादन में सुधार होना शुरू हो गया था, लेकिन अब इसमें गिरावट दर्ज की जाने लगी है। रिलायंस सबसे अधिक सकल रिफाइनिंग लाभ प्राप्त कर रहा है और इसे दुनिया में सर्वश्रेष्ठ दर्जा दिया गया है। [हिन्दी] हमारे पीएसयू क्यों नहीं कर सकते? छः कोर सैक्टर हैं, इनमें ऑयल उत्कृष्ट सैक्टर है। हम इस सैक्टर की परफार्मेंस पर अच्छी तरह से जोर दें तो देश के लिए अच्छा होगा। हम सुनते हैं कि कच्छ में कुछ डिस्कवरी हो रही है, पुंछ और लद्दाख के बारे में भी सुन रहे हैं। जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान के कारण आप घुस नहीं सकते हैं, एक्सप्लोर नहीं कर सकते। आपको सदन में बताना चाहिए कि इसका कारण क्या है? लद्दाख में क्या हो रहा है, असम में क्या हो रहा है, बंगाल में क्या हो रहा है? ऑयल सैक्टर को लेकर हम सबको चर्चा करनी चाहिए।

अनुवाद]

डॉ. कंभमपति हरिबाबू (विशाखापटनम): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान विधेयक, 2017 पर बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। मैं माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी और हमारे माननीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान जी को आंध्र प्रदेश राज्य, विशेष रूप से विशाखापटनम में भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान स्थापित करने का निर्णय लेने के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं आन्ध्र प्रदेश की जनता की ओर से दोनों को धन्यवाद देता हूं।

जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब आंध्र प्रदेश राज्य को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विभाजित किया गया था, तो विभाजित आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय महत्व का एक भी संस्थान नहीं था क्योंकि सभी संस्थान तेलंगाना, विशेषकर हैदराबाद में छोड़ दिए गए थे। पुनर्गठन अधिनियम आंध्र प्रदेश के लोगों को राष्ट्रीय महत्व के कई संस्थानों, विशेष रूप से एच.आर.डी. मंत्रालय से संबंधित संस्थानों की स्थापना का आश्वासन देता है। सात संस्थानों की स्थापना की जानी थी। सात में से पांच स्थापित हो चुके हैं। वे हैं: विशाखापत्तनम में आई.आई.एम.,

तिरूपति में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरूपति में भारतीय विज्ञान और शैक्षिक अनुसंधान संस्थान, कुरनूल में आई.आई.आई.टी., और ताडेपल्लीगुडेम में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान। इसलिए, पांच संस्थान पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं। अभी दो संस्थाएं बनाई जानी बाकी हैं। एक अनंतपुर में केंद्रीय विश्वविद्यालय है और दूसरा विजयनगरम जिले में जनजातीय विश्वविद्यालय है, जो मेरा पड़ोसी जिला है। मुझे उम्मीद है कि सरकार एच.आर.डी. मंत्रालय के तहत आने वाले इन दो शेष संस्थानों की स्थापना के लिए अवश्य कदम उठाएगी।

जहां तक आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम का प्रश्न है, यह आंध्र प्रदेश राज्य में पेट्रोलियम विश्वविद्यालय की स्थापना का आश्वासन देता है और इस आश्वासन को हमारे युवा और ऊर्जावान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान जी पूरा कर रहे हैं। वह पेट्रोलियम विश्वविद्यालय की आधारशिला रखने के लिए व्यक्तिगत रूप से विशाखापत्तनम आए थे। मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि माननीय मंत्री ने उस उद्घाटन समारोह में क्या कहा। उन्होंने जनता के साथ-साथ इस संस्थान में शामिल हुए नए छात्रों को भी संबोधित करते हुए एक बात कही। यानी चार वर्ष बाद इस संस्थान के छात्रों को डिग्री मिलने जा रही है। उन्होंने कहा कि चार वर्ष बाद उन्हें ऐसी स्थिति का अंदाजा था जब इस संस्थान के छात्रों के एक हाथ में डिग्री होगी और दूसरे हाथ में नियुक्ति पत्र होगा। उस दिन उन्होंने यही आश्वासन दिया था। मुझे अभी भी उन युवा छात्रों के चेहरों की चमक याद आ रही है जो उस दिन इस संस्थान में शामिल हुए थे।

इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करने के लिए यह विधेयक लाया जा रहा है। संस्था में शासन संरचना होगी जिसमें शासी बोर्ड, महापरिषद और अकादमिक सीनेट शामिल होंगे। मुझे आशा है माननीय मंत्री इस संस्थान को अपना पाठ्यक्रम डिजाइन करने के लिए स्वायत्तता देंगे। विधेयक इस संस्थान से अध्ययन करने वाले छात्रों को आई.आई.टी. और आई.आई.एम. के समान डिग्री प्रदान करने के लिए कानूनी अनिवार्यता भी सुनिश्चित करता है।

इस संस्थान में प्रदान किए जाने वाले पाठ्यक्रम दो वर्गों में हैं। एक पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में बी.टेक. है और दूसरा केमिकल इंजीनियरिंग में बी.टेक. है। इस संस्थान के लिए पूंजीगत व्यय 655 करोड़ रुपये और

एनडोमेन्ट फंड के लिए 400 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया जा रहा है। इसका आबंटन किया जा रहा है और चार से पांच वर्ष की अवधि में इसके खर्च होने की उम्मीद है।

मैं माननीय मंत्री जी से संस्थान के भवनों के निर्माण के लिए आवश्यक धनराशि आबंटित करने का अनुरोध करूंगा ताकि संस्थान जल्द से जल्द आवश्यक बुनियादी ढांचे से युक्त हो सके। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि मूल बुनियादी ढांचा इस प्रकार पूरा किया जाए कि इस संस्थान में शामिल हुए छात्र-छात्राएं कम से कम एक वर्ष नए परिसर में बिता सकें, ताकि उन्हें उस संस्थान के परिसर से जुड़े होने का एहसास हो। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि वह इस पर विचार करें। महोदय, इस संस्थान की स्थापना पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कुशल मानव शक्ति तैयार करने और इस क्षेत्र के लिए अनुसंधान गतिविधियाँ प्रदान करने के लिए की जा रही है। यह संस्थान आंध्र प्रदेश राज्य में क्यों स्थापित किया गया है? जैसा कि माननीय मंत्री ने अपने भाषण में स्पष्ट किया है, बॉम्बे हाई के बाद, भविष्य में आंध्र प्रदेश हाइड्रोकार्बन हब के रूप में उभरने जा रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, के.जी. बेसिन उन आशाजनक क्षेत्रों में से एक है जहां हम भारी मात्रा में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का पता लगा सकते हैं।

मैं इस संस्थान को वहां स्थापित करने के लिए लगभग 200 एकड़ भूमि मुफ्त में आबंटित करने के लिए के लिए आंध्र प्रदेश सरकार को धन्यवाद देता हूं। जो भी संस्थान आंध्र प्रदेश राज्य को प्रदान किया जा रहा है, हमारे मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू बहुत तेजी से कह रहे हैं, 'आप मुझे संस्थान दें, हम आपको जमीन मुफ्त में देंगे, कृपया संस्थान को जल्दी से जल्दी स्थापित करें'। यह हमारे मुख्यमंत्री द्वारा किया गया अनुरोध है क्योंकि वह उन सभी संस्थानों को प्राप्त करने में बहुत रुचि दिखा रहे हैं जिनका भारत सरकार द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है और यह उनमें से एक है।

इस संस्थान ने आंध्र विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग कॉलेज के परिसर से अस्थायी रूप से काम करना शुरू कर दिया है, जहां मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी और जहां मैंने एक शिक्षक के रूप में भी काम किया था। मुझे बहुत खुशी है कि इस संस्थान ने इसी परिसर से काम करना शुरू कर दिया है। हाल ही में मैंने पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान का दौरा किया। मैंने विद्यार्थियों से बातचीत की कि वे क्या कर रहे हैं, शिक्षण कैसे चल रहा

है आदि। नए संस्थान के छात्रों के साथ बातचीत करके मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे उम्मीद है कि यह संस्थान राष्ट्रीय महत्व का संस्थान बनेगा जिसमें विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा होगा ताकि इस संस्थान से निकलने के बाद छात्रों को नियुक्तियों में प्राथमिकता मिल सके।

महोदय, यह संस्थान आंध्र प्रदेश में क्यों स्थापित किया जा रहा है? आंध्र प्रदेश के पास लगभग 974 किमी लंबा समुद्री तट है और कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस के शोधन के लिए के.जी. बेसिन में विशाल क्षमता है। भारत की सभी पेट्रोलियम कंपनियाँ, जिनका पेट्रोकेमिकल्स के क्षेत्र में नाम है, जैसे कि ऑयल इंडिया, ओ.एन.जी.सी., रिलायंस, केयर्न, जी.एस.पी.सी., सभी के.जी. बेसिन में मौजूद हैं। ओ.एन.जी.सी. आगामी वर्ष में लगभग 78,000 करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना बना रही है, जिसमें तटवर्ती गतिविधियों पर 10,000 करोड़ रुपये का निवेश और अपतटीय गतिविधियों पर 68,000 करोड़ रुपये का निवेश होगा। ओएनजीसी ने आंध्र प्रदेश सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके अंतर्गत 2017 के जनवरी में विशाखापटनम में शिखर सम्मेलन में 78,000 करोड़ रुपये के निवेश के लिए, के.जी. बेसिन में कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस संसाधनों के उत्पादन के लिए आयोजित किया गया था। केयर्न इंडिया के.जी. बेसिन में रावा क्षेत्र में लगभग 3,240 करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना बना रही है। रिलायंस और ब्रिटिश पेट्रोलियम, एक संयुक्त उद्यम में, के.जी. बेसिन के डी6 गैस फील्ड में लगभग 40,000 करोड़ रुपये निवेश करने की योजना बना रहे हैं। विशाखापटनम में हमारी एच.पी.सी.एल. रिफाइनरी है। यह लगभग 16,000 करोड़ रुपये का निवेश करके अपनी क्षमता का विस्तार भी कर रही है। 20,000 करोड़ रुपये के निवेश से एक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बन रहा है।

महोदय, मैंने बंगाल की खाड़ी में हाइड्रेट्स की उपस्थिति के बारे में उल्लेख किया। माननीय मंत्री को के.जी. बेसिन क्षेत्र में हाइड्रेट्स की खोज के बारे में जानकारी है। मुझे यहां यह उल्लेख करते हुए खुशी हो रही है कि बंगाल की खाड़ी में लगभग 134 ट्रिलियन क्यूबिक फीट हाइड्रेट उपलब्ध होने का अनुमान है। यह हाइड्रेट और कुछ नहीं बल्कि एक ठोस पदार्थ है, जो पानी के बर्फ के रूप जैसा दिखेगा। इसका दोहन के.जी. बेसिन से

किया जाना है। वर्तमान में इसका दोहन करने के लिए कोई तकनीक नहीं है क्योंकि उन्हें इसे उच्च दबाव, उच्च तापमान वाले वातावरण में संचालित करना पड़ता है। अब जापान और कनाडा इस क्षेत्र में शोध कर रहे हैं।

मेरी इच्छा है कि भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान इन हाइड्रेट्स की खोज में अनुसंधान गतिविधि करे। जब इन हाइड्रेट्स का दोहन किया जाएगा, तो भारत ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन जाएगा।

इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

प्रो. सौगत राय (दमदम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं लोक सभा में भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान विधेयक का समर्थन करता हूं।

लेकिन इससे पहले कि मैं विधेयक पर बोलूं, मेरे माननीय मंत्री जी से दो प्रश्न हैं। पहला, सरकार ने सब्सिडी वाली रसोई गैस के दाम चार रुपये प्रति सिलेंडर क्यों बढ़ाये; और यह हर महीने क्यों किया जाएगा? यह एक जनविरोधी निर्णय है, जिसके बारे में हमारे नेता सुदीप बंद्योपाध्याय पहले ही बोल चुके हैं। मैं भी कहता हूं कि इस जनविरोधी फैसले को वापस लेना चाहिए।

दूसरे, इस बिल को 12 अप्रैल, 2017 को मंत्रिमंडल में मंजूरी मिल गई और अब यह बिल लोक सभा में आ गया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन्होंने मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने से पहले और लोक सभा में विधेयक आने से पहले ही जाकर नए परिसर का शिलान्यास क्यों कर दिया। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। विधेयक को मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने से पहले ही शिलान्यास नहीं किया जाना चाहिए था... (*व्यवधान*)

इसलिए, जो कहा गया है, मैं कहता हूँ कि यह संस्थान बहुत आवश्यक है। इसे विजाग में स्थापित किया जा रहा है, जहां पहले से ही एक पेट्रोलियम रिफाइनरी है। यह कृष्णा-गोदावरी बेसिन के करीब है जहां तेल पाया गया है। यह काकीनाडा के भी करीब है जहां एच.पी.सी.एल. एक नया पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स स्थापित कर रहा है। इसलिए, यह आदर्श रूप से स्थित है।

आंध्र प्रदेश सरकार ने संभवाराम में 200 एकड़ जमीन दी है, जहां मंत्री शिलान्यास करने गए थे। आई.आई.टी. खड़गपुर में पहले से ही पेट्रोलियम की शिक्षा दी जाती है; उन्हें 'अन्वेषण भूभौतिकी' नामक एक विषय मिला है। वे इस संस्थान का मार्गदर्शन कर रहे हैं; और वहां पहले से ही चार प्रोफेसर कार्यरत हैं। आई.आई.टी. प्रोफेसरों से परामर्श के बाद और प्रोफेसरों की नियुक्ति की जाएगी। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के लिए 50 छात्र और केमिकल इंजीनियरिंग के लिए 50 छात्र हैं। तो, पहले से ही, 96 छात्रों ने इस संस्थान में पढ़ना शुरू कर दिया है; और पाठ्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है।

इस पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान की स्थापना आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के अनुसरण के रूप में की जा रही है, जहां यह वादा किया गया था कि आंध्र प्रदेश में एक नया पेट्रोलियम संस्थान होगा। उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह किया गया है और एक विधेयक लाया गया है।

अब मैं यह कहना चाहता हूँ कि न केवल पेट्रोलियम क्षेत्र का विकास करना है बल्कि ईंधन के वैकल्पिक स्रोतों का भी विकास करना है। भारत में पहले से ही कमी है। हम अपने पेट्रोलियम उत्पादों के शोधन का 70 प्रतिशत आयात कर रहे हैं। इसीलिए भारत में गैर-परंपरागत हाइड्रोकार्बन के साथ-साथ तरलीकृत प्राकृतिक गैस, जैव-ईंधन और नवीकरणीय जैसे नए स्रोतों पर शोध का उपयोग किया जाना चाहिए ताकि हम आयातित ईंधन पर अपनी निर्भरता कम कर सकें, जो हमारी विदेशी मुद्रा के भारी बहिर्वाह का कारण बन रहा है।

अब, जहां तक इस संस्थान का प्रश्न है, इसे आई.आई.टी. की तर्ज पर तैयार किया जा रहा है। एकमात्र बात यह है कि मंत्री जी को एक और विधेयक लाना होगा ताकि इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया जा सके।

<u>अपराह्न 1.00 बजे</u>

इसे संघ सूची की अनुसूची 7 की प्रविष्टि 64 में शामिल किया जाना चाहिए। वह तो करना ही पड़ेगा। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि इस बात की जांच करें कि क्या उस उद्देश्य के लिए एक अलग विधेयक लाने की आवश्यकता है।

संस्थानों के अध्यादेश केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किए जाएंगे। पहला कानून और पहला अध्यादेश केंद्र सरकार बनाएगी और उसके बाद सत्ता बोर्ड के पास चली जाएगी। केंद्र सरकार संस्थान की महापरिषद और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का भी प्रावधान करेगी। इस संबंध में, मैं मंत्री का ध्यान भारतीय प्रबंधन संस्थान विधेयक की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो हाल ही में इस सभा में पारित किया गया है। वहीं, आई.आई.एम. से सरकारी हस्तक्षेप पूरी तरह से हटा लिया गया है। उन्होंने कहा कि सभी निर्णय बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा लिए जाएंगे और अध्यक्ष आई.आई.एम. के लिए 'विजिटर' नहीं होंगे। अब, मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इस रास्ते पर चलें और इस नए संस्थान को सरकार के बंधनों से मुक्त कराएं। ये सारी बातें संस्थान की शासी परिषद ही तय करे।

जैसा कि मैंने कहा, नए पेट्रोलियम स्रोतों को खोजना बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा कहा जाता है कि बंगाल की खाड़ी का बेसिन तेल पर तैर रहा है। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन क्षेत्र में तेल की खोज शुरू हो गई थी लेकिन उसे छोड़ दिया गया था। मुझे लगता है, श्लम्बरगर या कोई अमेरिकी कंपनी ऐसा कर रही थी। अब, इसे छोड़ दिया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा, चूंकि वह यहां हैं, ताकि पश्चिम बंगाल के बंगाल की खाड़ी बेसिन में पेट्रोलियम की खोज हो सके।।

मंत्रिमंडल ने 65.46 करोड़ रुपये को पूंजी व्यय के रूप में मंजूरी दी है और 400 करोड़ रुपये को धर्मस्व निधि के रूप में प्रदान किया है। विधेयक में साफ कहा गया है कि इसे धीरे-धीरे कम किया जाएगा। आने वाले दिनों में, धीरे-धीरे, केंद्र सरकार का अनुदान कम कर दिया जाएगा और व्यय या कमी को धर्मस्व निधि से पूरा किया जाएगा जिसके लिए 400 करोड़ रुपये पहले ही आबंटित किये जा चुके हैं। विचार यह है कि अंततः संस्थान अपने स्वयं के स्रोतों से कुछ वित्त जुटाएगा और मुझे उम्मीद है कि मंत्री इस मामले में आवश्यक कदम उठाएंगे ताकि संस्थान को धन की कमी न हो। कुल मिलाकर, संस्थान के विकास के लिए लगभग 1,000 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, भारत सरकार ऊर्जा में इतना पैसा निवेश करके अच्छा कर रही है। 2022-23 तक, पूंजीगत व्यय घटकर 4.16 करोड़ रुपये तक आ जाएगा। प्रारंभिक पूंजीगत व्यय भवनों,

प्रयोगशालाओं आदि के निर्माण के लिए है। तो, धीरे-धीरे, यह कम हो जाएगा। फिर संस्थान अपनी आय और धर्मस्व निधि से चलायेगा।

देहरादून में एक भारतीय पेट्रोलियम संस्थान भी है जहां ओ.एन.जी.सी. का मुख्यालय है। यह नया संस्थान स्नातकपूर्व की पढ़ाई कराएगा। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल में आई.आई.टी. खड़गपुर में पहले से ही मौजूद स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को तुरंत शुरू किया जाए और डॉक्टरेट अनुसंधान भी शुरू किया जाए। यह एक अच्छा कदम है। यह आन्ध्र प्रदेश के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करता है। यह आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के अनुरूप है और यह भविष्य में भारत की ऊर्जा जरूरतों की चुनौती को पूरा करता है।

इन शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ जिसका उद्देश्य अच्छा है।

श्री तथागत सत्पथी (धेन्कानल): महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आंध्र प्रदेश के विशाखापटनम में स्थापित होने जा रहे भारतीय पेट्रोलियम ऊर्जा संस्थान (आई.आई.पी.ई.) पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। यदि माननीय मंत्री को अपने राजनीतिक दल के भविष्य के लिए आंध्र प्रदेश के लोगों को खुश करने की जरूरत है, हम पूरी तरह से उनके साथ हैं; हम उसका समर्थन करते हैं। हमें खुशी है कि आंध्र प्रदेश, जो वास्तव में एक नया राज्य नहीं है, उसमें और विकास होगा। यह मूल राज्य है और तेलंगाना नया राज्य है। हम इसके बारे में बहुत खुश हैं। लेकिन यह एक राजनीतिक फैसला लगता है। आखिर हम किसी भी बात पर प्रश्न उठाने वाले कौन होते हैं?

आजकल, ये ऐसा समय है जब हमें ऊर्जा तालमेल के बारे में बात करनी चाहिए। मुझे याद है, नीमच में, मैं सोचता हूँ कि वह मध्य प्रदेश में है, तीन महीने पहले माननीय प्रधानमंत्री ने नवीन ऊर्जा के लिए अपनी योजनाओं और अपने सपनों को बताया था। उन्होंने अपने भाषण में वादा किया था कि वह सौर और पवन ऊर्जा जैसे ऊर्जा के स्रोतों का उपयोग करके ऊर्जा क्रांति लाएंगे। हम सभी जानते हैं कि श्री मोदी वैकल्पिक ऊर्जा के बहुत पक्षधर हैं। उन्होंने गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए इसे काफी हद तक लागू किया है और वह चाहते हैं कि उनका सपना राष्ट्रीय स्तर पर लागू हो। हालाँकि, जिस तरह से नवगठित कोयला, बिजली, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय आगे बढ़ा है, उसे स्वीकार करना होगा। इसे कई स्रोतों से सराहना मिली है, जबकि आम तौर पर इसकी सराहना नहीं होनी चाहिए थी। वर्तमान सरकार को 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य को 20,000 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता से बढ़ाकर 100,000 मेगावाट करने का विश्वास था, जो कि पांच गुना की शानदार वृद्धि है। सरकार 60,000 मेगावाट पवन ऊर्जा क्षमता भी स्थापित करना चाहती है। यद्यपि ये बड़ी संख्याएँ एक सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत प्रभावशाली लग सकती हैं, लेकिन यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि पवन और सौर दोनों वास्तव में, चरम उपयोगिता पर, अपनी क्षमता का केवल 20 प्रतिशत ही उत्पादन कर सकते हैं। इस प्रकार, इसका मतलब है कि 100 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र अपनी सर्वोत्तम क्षमता पर केवल 20 मेगावाट का उत्पादन कर सकता है। माननीय सदस्य प्रश्न कर सकते हैं कि मैं दूसरे मंत्रालय के बारे में क्यों बात कर रहा हूं जबकि हमें हाइड्रोकार्बन या जीवाश्म ईंधन या पारंपरिक स्रोतों से पेट्रोलियम और ऊर्जा स्रोतों के बारे में बात करनी चाहिए। यह इसलिए है, मुझे विश्वास है, कि दोनों को जोड़ा जाना चाहिए क्योंकि माननीय

प्रधानमंत्री ने इन दोनों चीजों को लाने और उनका संचालन करने की सोची है और भविष्य में आगे बढ़ने की योजना बनाई है।

किसी को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। इसमें और अधिक धनराशि डालने की जरूरत है जबकि अन्य को हतोत्साहित करने की जरूरत है और धीरे-धीरे, व्यवस्थित रूप से इसमें कटौती की जानी चाहिए। इसी दिशा में पूरी दुनिया घूम रही है। जीवाश्म ईंधन पर हमें अपनी निर्भरता कम करने की आवश्यकता है। हमें अपनी क्षमताओं को चुनौती देना सीखना होगा। लोगों को नवीकरणीय ऊर्जा पर निर्भरता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जबकि पूरी दुनिया अब जीवाश्म ईंधन पर कम निर्भरता के तरीके खोजने की कोशिश कर रही है, यह विधेयक संसद को पेट्रोलियम उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए बहुत अधिक धनराशि शोध में व्यय करने के लिए कह रहा है जो बस समझ से परे है, मेरे जैसे,...[8*] द्वारा समझने योग्य नहीं है। मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं।

मेरा एक सुझाव है। बस इस संस्थान को भारतीय ऊर्जा संस्थान कहें। जबकि प्रस्तावित विश्वविद्यालय नवीकरणीय ऊर्जा को शामिल करते हुए बेहतर तकनीक विकसित करने की दिशा में काम कर सकता है, उसे साथ ही हाइड्रोकार्बन पर हमारी निर्भरता को कम करने की दिशा में भी काम करना चाहिए। वर्तमान में, बिजली, कोयला और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत सौर ऊर्जा का एक राष्ट्रीय संस्थान है। गांधीनगर में पंडित दीन दयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय है। नोएडा में एन.टी.पी.सी. द्वारा संचालित एक बिजली प्रबंधन संस्थान है। देहरादून में ओ.एन.जी.सी. द्वारा संचालित ड्रिलिंग तकनीक का एक संस्थान है। मेरा सुझाव यह है कि क्यों न इन सभी को एक साथ एक छत्र के नीचे लाया जाए जैसे कि आपके पास अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने बहुत अच्छे काम किये हैं। इसी तरह, उन तर्ज पर, क्यों न इन सभी संस्थानों को एक छत्र के नीचे लाया जाए, पैसा लगाया जाए और उनसे कहा जाए कि जो उत्सर्जन करते हैं,

---

[8*] कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया

उससे छुटकारा पाने के तरीके पर काम किया जाए, जो वायुमंडल को प्रदूषित करता है और जिसका उपयोग पृथ्वी को नुकसान पहुंचाता है और ऊर्जा के उन स्रोतों से दूर वैकल्पिक ऊर्जा को अपनाया जाए।

इन संस्थानों की संरचना प्रस्तावित संस्थान के समान ही हो सकती है, एकमात्र अंतर यह है कि अनुसंधान ऊर्जा के नए नवीकरणीय स्रोतों को खोजने और पूरे देश में उन्हें अपनाने को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित होगा।

दिलचस्प बात यह है कि जब मैंने विधेयक की धारा 9 पढ़ी, जो इस संस्था के कार्यों और उद्देश्यों को परिभाषित करती है, तो मुझे कुछ बहुत ही अजीब लगा, जिसकी ओर मैं माननीय उपाध्यक्ष का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। महोदय मैं धारा 9 पढ़ रहा हूँ:-

> "शिक्षण और अनुसंधान के एकीकरण के माध्यम से तेल, गैस और पेट्रोकेमिकल उद्योग और ऊर्जा क्षेत्र के लाभ के लिए अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना, तेल, गैस और पेट्रोकेमिकल उद्योग और ऊर्जा क्षेत्र में राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ नेटवर्किंग के माध्यम से घनिष्ठ शैक्षिक और अनुसंधान बातचीत को बढ़ावा देना, ऊर्जा की व्यापक छत्रछाया के तहत पेट्रोलियम और पेट्रोलियम संबंधित प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में संस्थान के कामकाज पर व्यापक ध्यान देना और ऐसी सभी चीजें करना, जो विशेष रूप से ऊपर कवर नहीं की गयी हैं, जो संस्थान के सभी या किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक आनुषंगिक या अनुकूल हो सकती हैं।"

महोदय, इसका अर्थ है कि हम पेट्रोलियम और पेट्रोल उत्पादों के उपयोग को प्रोत्साहित करने जा रहे हैं। मैं अंतिम बिंदु का उल्लेख करना चाहूंगा जो दिलचस्प भी है और वह इसमें है।

यहां तक कि जनरल काउंसिल में भी केवल हाइड्रोकार्बन उद्योग से सदस्य हैं जो स्पष्ट रूप से नहीं चाहेंगे कि देश नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़े। इस विधेयक में प्रस्ताव किया गया है कि संस्थान को अनुभाग 15 में एक महापरिषद द्वारा सलाह दी जाएगी।

महोदय, अब संरचना पर एक नजर डालते हैं। परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या 20 तक होगी, जिसमें शामिल होंगे: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव जो अध्यक्ष होंगे; भारतीय तेल निगम के अध्यक्ष; तेल उद्योग विकास बोर्ड के सचिव; भारतीय गैस प्राधिकरण के अध्यक्ष। इसके अतिरिक्त, देश में कार्यरत पेट्रोलियम क्षेत्र की निजी संस्थाओं की ओर से कम से कम दो लेकिन चार से कम सदस्य भी शामिल होंगे जिन्हें चेयरपर्सन द्वारा मनोनीत किया जाएगा।

सदस्यता संरचना का तात्पर्य है कि पारंपरिक विचार और पारंपरिक मानसिकता न केवल जारी रहेगी, अपितु निजी उद्यम से इसे और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा। भारत में पेट्रोलियम क्षेत्र में कितनी कम्पनियाँ हैं? मैं केवल एसार को याद कर सकता हूं और रिलायंस नामक एक छोटी कंपनी और कुछ अन्य हैं। इसलिए, उन दो कंपनियों में दो सदस्य होंगे और यह पर्याप्त है। देश के लिए यहां विचार धीरे धीरे हाइड्रोकार्बन निर्भरता कम करने का होना चाहिए न कि इसमें और अधिक आगे बढ़ा जाए।

धन्यवाद, महोदय।

श्री जी. हरि (अराकोनम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं हमारे माननीय नेता पुराची थलाइवी अम्मा के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूं और मुझे महत्वपूर्ण विधेयक, भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान विधेयक, 2017 पर बोलने की अनुमति देने के लिए आपका धन्यवाद।

यह विधेयक भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान, विशाखापटनम , आंध्र प्रदेश की स्थापना करता है। यह संस्थान को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित करता है। संस्थान का उद्देश्य पेट्रोलियम, हाइड्रोकार्बन और ऊर्जा के विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और अनुसंधान प्रदान करना है। हम चाहते हैं कि सरकार तमिलनाडु में उसी तरह का एक संस्थान शुरू करे जहां सरकार पेट्रोलियम, तेल और गैस संसाधनों की खोज और दोहन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करे।

संस्थान को न केवल राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया जाएगा, बल्कि अनुसंधान मुख्य रूप से तरलीकृत प्राकृतिक गैस, जैव ईंधन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा। विधेयक में यह अनिवार्य किया गया है कि संस्थान की महापरिषद के साथ एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का भी गठन किया जाए।

सीनेट संस्थान में शिक्षा और परीक्षा के मानकों को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार प्रमुख शैक्षणिक निकाय है। संस्थान का निदेशक केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। संस्थान के खातों की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा किया जाएगा।

तमिलनाडु से हाइड्रोकार्बन निष्कर्षण एक ज्वलंत मुद्दा बन गया है और इससे तमिलनाडु के लोगों, विशेष रूप से कावेरी डेल्टा क्षेत्र के किसानों के मन में आशंका पैदा हो गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु के पुदुक्कोट्टई जिले के नेदुवासल, नल्लांदरकोल्लई, वनक्कनकाडु, कोट्टाइकाडु, वडाकाडु और आसपास के गांवों से हाइड्रोकार्बन निकालने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

इससे ग्रामीणों में यह आशंका पैदा हो गई है कि हाइड्रोकार्बन निष्कर्षण का यह कदम हो सकता है कि किसानों के हितों के खिलाफ हो । आंदोलनकारी किसान इस कदम का लगातार विरोध कर रहे हैं। फिर भी सरकार नेदुवासल हाइड्रोकार्बन निष्कर्षण परियोजना को रद्द करने को तैयार नहीं है। केंद्र सरकार इस ज्वलंत

मुद्दे को सुलझाने के बजाय एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर करने का कदम उठाकर इसमें घी डालने का काम कर रही है।

हमारे प्रिय नेता माननीय पुराची थलाइवी अम्मा ने ऐसी गैसों को निकालने के किसी भी कदम का कड़ा विरोध किया था, क्योंकि इससे कृषि भूमि, कृषि गतिविधियों और खाद्य सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता था। तमिलनाडु राज्य सरकार ने एक स्पष्ट वक्तव्य दिया है कि वह राज्य में ऐसी किसी भी परियोजना को अनुमति नहीं देगी।

महोदय, जबकि हम तमिलनाडु में कृषि भूमि से हाइड्रोकार्बन के निकालने का विरोध करते हैं, तमिलनाडु सरकार ने विश्वास और आशा के साथ, कुड्डालोर और नागापट्टिनम जिलों के 45 गांवों में फैले लगभग 23,000 हेक्टेयर भूमि को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल्स निवेश क्षेत्र (पी.सी.पी.आई.आर.) घोषित किया है। केंद्र सरकार इस क्षेत्र में सड़क और रेल संपर्क जैसे बुनियादी ढांचे के सुधार के लिए 1,146 करोड़ रुपये आबंटित करेगी।

पी.सी.पी.आई.आर. घरेलू खपत और निर्यात के लिए संबंधित सेवाओं और बुनियादी ढांचे के साथ पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल्स के उत्पादन के लिए विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना के लिए एक विशेष रूप से बनाया गया निवेश क्षेत्र होगा।

केंद्र ने आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा और तमिलनाडु में चार पी.सी.पी.आई.आर. स्थापित करने की मंजूरी दी थी। उद्योग स्रोतों के मुताबिक, इस क्षेत्र में पेट्रोलियम रिफाइनरी और निम्नस्तरीय उत्पादों का संचालन होगा। इसका तेल या गैस की खोज से कोई सरोकार नहीं है क्योंकि यह क्षेत्र केवल पेट्रोलियम रिफाइनरी तक ही सीमित रहेगा। पी.सी.पी.आई.आर. परियोजना से कुल 92,160 करोड़ रुपये के निवेश को आकर्षित किए जाने का अनुमान था।

इन परिस्थितियों में, मैं केंद्र सरकार से पुदुक्कोट्टई के नेदुवासल और पड़ोसी गांवों से किसी भी रूप में हाइड्रोकार्बन के निष्कर्षण को रोकने का अनुरोध करता हूं। मैं केंद्र सरकार से दृढ़तापूर्वक अनुरोध करता हूं कि

पायलट परियोजनाओं के लिए पहले से खोदे गए सभी कुओं को बंद कर दिया जाए और ओ.एन.जी.सी. और किसानों के बीच भूमि पट्टा समझौते को रद्द कर दिया जाए और किसानों के हितों की पूरी तरह से रक्षा सुनिश्चित करते हुए जमीन किसानों को सौंप दी जाए।

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण): उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं माननीय मंत्री को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना शानदार विधेयक, भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान विधेयक, 2017 लाने का समर्थन किया।

मुद्दा यह है कि अभी देश में कुछ संस्थान मौजूद हैं। वे कुछ पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा ही चलाए जाते हैं। अभी उनकी स्थिति क्या होगी? आप केवल नया संस्थान ही नहीं बना रहे हैं, बल्कि आप राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान भी बना रहे हैं, जिसकी लंबे समय से आवश्यकता थी। इसलिए, मैं मंत्री जी को बधाई देता हूँ।

लेकिन जहां तक ऊर्जा का प्रश्न है, दुनिया भर में हाइड्रोकार्बन और शेल गैस ऐसे मुद्दे हैं जो वर्तमान में ऊर्जा क्षेत्र में सामने आ रहे हैं। लेकिन स्थायी समिति के अध्ययन दौरे के दौरान, जब हमने ओ.एन.जी.सी. के कुछ केंद्रों का दौरा किया, तो हमने पाया कि शेल गैस के लिए खोदे गए कई कुओं में हम असफल रहे। इसलिए, यह संस्थान है, जो हमें इस संबंध में कुछ निर्देश और मार्गदर्शन देगा क्योंकि यह एक शोध संस्थान है। मुझे लगता है कि संस्थान में शैक्षणिक शिक्षा के बजाय अनुसंधान कार्य पर अधिक जोर दिया जाएगा। यदि यह केवल अकादमिक अध्ययन के लिए है, तो छात्र अपनी डिग्री प्राप्त करेंगे और कुछ नौकरियों में शामिल होंगे। लेकिन, मेरा मानना है कि मुख्य जोर शोध कार्य पर होना चाहिए।

जब दुनिया भर में शेल गैस का उत्पादन शुरू हुआ, तो जोखिम कम हो गया और पेट्रोलियम उद्योग थोड़ा टूट गया क्योंकि उस समय तक उन्होंने कच्चे तेल को अधिक कीमत पर खरीद लिया था, जिससे बाजार मूल्य कम हो गया, जिससे कंपनियों को भारी नुकसान हुआ। परन्तु यह कोई नहीं जानता था । हमें लगता है कि जैसे-जैसे कच्चे तेल की बाजार कीमत कम होगी, वैसे-वैसे पेट्रोल की कीमत भी कम होगी। लेकिन पेट्रोल कंपनियों को नुकसान का सामना करना पड़ा क्योंकि उन्होंने कच्चे तेल को अधिक कीमत पर खरीदा था।

जब हम यह संस्थान बनाने जा रहे हैं, तो मैं सबसे पहले आन्ध्र प्रदेश के लोगों को बधाई देता हूँ। वे आज बहुत खुश होंगे कि उन्हें राष्ट्रीय महत्व का संस्थान दिया गया है। उनकी काफी समय से मांग हो रही होगी क्योंकि एक से दो राज्य बने हैं और उन्हें केंद्र सरकार से कुछ बूस्टर की ज़रूरत है।

फिर, संस्थान में पाठ्यक्रम की अगली सबसे महत्वपूर्ण बात इसका पाठ्यक्रम और सिलेबस है। पाठ्यक्रम एक वैश्विक मानक का होना चाहिए। यदि यह वैश्विक स्तर का नहीं है, तो हम फिर से अन्य वैश्विक विश्वविद्यालयों की तुलना में नीचे आ जायेंगे। इसलिए, अनुसंधान मानक के महत्व को ध्यान में रखना होगा। हम वहाँ एक बोर्ड बनाने जा रहे हैं। हम बोर्ड के कार्यों के बारे में जानते हैं कि वे क्या करने जा रहे हैं।

तो फिर, क्या हमारे पास उस वैश्विक मानक और गुणवत्ता के शिक्षक, शिक्षाविद् हैं, जो हमारे छात्रों को उस संस्थान में पढ़ा सकें? जब हम राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का गठन करते हैं, तो यह नई तकनीक के संबंध में शिक्षा प्रदान करने के बारे में होता है। आज दुनिया भर में तकनीक तेजी से बदल रही है। इसलिए, हमारे पास स्टाफ होना चाहिए, जो हमारे छात्रों को बहुत उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने के लिए नवीनतम तकनीकी परिवर्तनों से अच्छी तरह से परिचित हो। यह वही है जो हमें चाहिए। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहूंगा कि इस संबंध में हमारी क्या तैयारी है?

जब सरकार इस संस्थान को राष्ट्रीय महत्व दे रही है, तो मेरे कुछ सुझाव हैं। मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार इसे वित्तीय सहायता भी दे रही है। अगले तीन वर्षों के लिए, 200 करोड़ रुपये इस विधेयक के माध्यम से प्रदान किए जा रहे हैं। आम तौर पर, जब ऐसे संस्थान बनते हैं, तो उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाती है। लेकिन यह एक ऐसा विधेयक है जिसके माध्यम से सरकार इस संस्थान को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है और इसलिए आन्ध्र प्रदेश के लोग इससे बहुत खुश होंगे।

महोदय, मुझे लगता है कि मुंबई, विशेष रूप से मुंबई का तटीय क्षेत्र भी ऐसे संस्थान के लिए एक उपयुक्त स्थान है। पेट्रोलियम कंपनियों का मुख्यालय भी मुंबई में है। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि मुंबई में भी राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान स्थापित करने के बारे में सोचा जाए क्योंकि एक संस्थान पूरे देश की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं होगा।

महोदय, शेल गैस के इरादे से खोदे गए कई कुएं पूर्वोत्तर में विफल हो गए हैं। विफलता की दर उससे कहीं अधिक है जो हम इससे प्राप्त कर रहे हैं। इसके लिए हमें अध्ययन करना होगा। फिर से शोध की आवश्यकता

है। अतः मैं विधेयक की मांग करती हूँ कि इस तरह के और भी कई संस्थान स्थापित किए जाएं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि सभी मौजूदा संस्थानों को इस संस्थान के अंतर्गत लाया जाए। धन्यवाद।

श्री मुथमसेटी श्रीनिवास राव (अवंती) (अनाकापल्ली): महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए, धन्यवाद। कृपया मुझे बोलने के लिए कुछ और समय दें क्योंकि यह संस्थान मेरे निर्वाचन क्षेत्र में स्थापित होने वाला है। … (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: नहीं, नहीं। आपको केवल संस्थान के बारे में बोलना होगा।

… (*व्यवधान*)

श्री मुथमसेटी श्रीनिवास राव (अवंती): महोदया, यह संस्थान मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आ रहा है। धन्यवाद, महोदय।

सबसे पहले, मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी, हमारे ऊर्जावान माननीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी और हमारे मुख्यमंत्री श्री एन. चंद्रबाबू नायडू को अनकापल्ली निर्वाचन क्षेत्र के वंगली गांव, सब्बावरम मंडल को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान देने के लिए धन्यवाद देता हूं। संस्थान विशाखापत्तनम हवाई अड्डे से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित है। मैं हमारे मुख्यमंत्री को 200 एकड़ भूमि देने के लिए हार्दिक धन्यवाद भी देता हूँ, जो बहुत महंगा है। एक एकड़ जमीन की कीमत करीब दो करोड़ रुपये है। तो, इस जमीन की कीमत 400 करोड़ रुपये से अधिक है और राज्य सरकार ने इसे निःशुल्क दिया है।

जैसा कि सभा को पता है, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की अनुसूची 13 के अनुसार, भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान की स्थापना की गई है। मैं इस संस्थान की स्थापना के लिए एन.डी.ए. सरकार को धन्यवाद देता हूँ। मैं अधिकारियों को इस संस्थान को मंजूरी देने और छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए इसे वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में ही शुरू करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। हर माननीय सदस्य जानना चाहते थे कि उन्होंने आधारशिला क्यों रखी है। यह केवल छात्रों के हित में है कि उन्होंने आधारशिला रखी और आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय में अस्थायी आवास में कक्षाएं शुरू कीं, 100 छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए - एक बैच पेट्रोलियम के लिए और एक बैच केमिकल इंजीनियरिंग के लिए।

संस्थान उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करेगा और पारंपरिक हाइड्रोकार्बन से संबंधित सभी पहलुओं में अग्रिम अनुसंधान करेगा। विधेयक की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि संस्थान से एक क्षेत्र-विशिष्ट ऊर्जा संस्थान होने की उम्मीद है जो पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी और ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी और नवप्रवर्तक के रूप में कार्य करने में सक्षम विश्व स्तरीय तकनीकी मानव संसाधनों के पोषण के लिए एक स्रोत के रूप में काम करेगा। यदि संभव हो, तो सरकार इसे निकट भविष्य में विकसित देशों में संस्थानों के साथ विदेशी सहयोग और विनिमय कार्यक्रमों वाला एक अंतरराष्ट्रीय संस्थान बनाने के बारे में सोच सकती है।

इस संबंध में, मैं माननीय मंत्री जी के विचारार्थ कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। गैर-राजपत्रित कर्मचारियों की नियुक्ति करते समय उन्हें संस्थान को निर्देश देने चाहिए, उन्हें राज्य के बाहर से लोगों की भर्ती करने के बजाय स्थानीय लोगों की भर्ती करनी चाहिए। इससे राज्य के स्थानीय युवाओं को रोजगार प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।

संस्थान को धन के आबंटन के संबंध में, मैं माननीय मंत्री जी को सुझाव देता हूं कि वे सुचारू रूप से धन जारी करें ताकि संस्थान का निर्माण तेज गति से हो सके। यदि संभव हो, तो प्राथमिकता के आधार पर इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य कार्यों के काम की निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया जा सकता है। सरकार ने पूंजीगत व्यय के लिए बजटीय सहायता प्रदान की है जो 2022-23 तक है। मैं माननीय मंत्री जी को सुझाव देता हूं कि सरकार को इस तय सीमा का सख्ती से पालन करना चाहिए और 2023 से आगे कोई विस्तार नहीं होना चाहिए।

मैं एक छोटा सा सुझाव भी देना चाहता हूँ। हर शिक्षण संस्थान में, आई.आई.टी. में भी, सरकार छात्रों को शिक्षा देने के लिए हज़ारों करोड़ रुपये खर्च कर रही है। अपनी शिक्षा समाप्त करने के बाद हमारे सभी छात्र अपनी उच्च शिक्षा और नौकरी के लिए विदेशों में जा रहे हैं। मुझे इस पर आपत्ति नहीं है, लेकिन जब हम इस देश में शिक्षा प्रदान करने के लिए करोड़ों रुपये का निवेश कर रहे हैं, तो हमें अन्य देशों में प्रतिभा पलायन को रोकने का भी प्रयास करना चाहिए। कम से कम, इस पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान में, मैं माननीय मंत्री जी से इस पहलू का ध्यान रखने का अनुरोध करता हूं। हमारे सभी संस्थानों - निजी और सरकारी - हम बहुराष्ट्रीय

कंपनियों के लिए नौकरी चाहने वाले लोगों का उत्पादन कर रहे हैं। कम से कम, इस संस्थान को रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी निजी कंपनियों या एच.पी.सी.एल. जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों या निजी विश्वविद्यालयों के लिए नौकरी चाहने वालों को प्रदान नहीं करना चाहिए। कम-से-कम, कुछ छात्र नौकरी देने वाले होने चाहिए। उसके लिए, पाठ्यक्रम या सामग्री जो हम छात्रों को सिखाते हैं, उन्हें उनके भविष्य के नवाचारों के लिए उपयोगी होना चाहिए। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से संस्थान के समान एक इन्क्यबेशन सेंटर (उद्भव केंद्र) शुरू करने का अनुरोध करता हूं ताकि इस देश के युवाओं के रचनात्मक या नवाचारी प्रतिभा का उपयोग इस देश के विकास के लिए किया जा सके।

दूसरी बात यह है कि औद्योगिकीकरण, विकेंद्रीकरण और आई.टी. क्रांति के कारण नौकरियाँ दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही थीं, लेकिन आज स्वचालन के कारण नौकरियाँ कम होती जा रही हैं। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि हमें वर्तमान छात्रों को प्रशिक्षण देना होगा ताकि वे स्वचालन और व्यावसायिक गतिविधियों के अधिक से अधिक इंटरनेट आधारित होने से उत्पन्न होने वाली भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सकें ताकि कुछ समय के बाद वे अपनी नौकरी के संबंध में असुरक्षित न हों।

कुछ लोगों ने इस संस्थान को आंध्र प्रदेश में शुरू करने के बारे में प्रश्न पूछे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि गुजरात के बाद, यह आंध्र प्रदेश है जिसके पास सबसे लंबी तटरेखा है। हमारे पास प्रमुख बंदरगाह हैं, रेल संपर्क है, सड़क संपर्क है, और हमारे पास प्राकृतिक संसाधन हैं, लेकिन अवैज्ञानिक रूप से हमारा राज्य तीन वर्ष पहले बिना किसी पूंजी के विभाजित हो गया था; बिना किसी शैक्षणिक संस्थान के; और बिना किसी और चीज के और 16,000 करोड़ का घाटा बजट के साथ। लेकिन अपने अनुभव से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के सहयोग और आशीर्वाद से पिछले तीन वर्षों से बड़ी कठिनाई के साथ सरकार चला रहे हैं। लेकिन मैं भारत सरकार को तीन वर्ष में सात शैक्षणिक संस्थानों को मंजूरी देने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज़ादी के बाद यह हमारे राज्य की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि इन तीन सालों में किसी भी अन्य राज्य को सात संस्थान नहीं मिले।

मैं माननीय मंत्री जी से यह भी अनुरोध करता हूं कि कृपया भविष्य की तनाव का सामना करने के लिए योग की शुरुआत करें। आजकल युवाओं के लिए देश में सबसे बड़ी समस्या क्या है? यह केवल तनाव है। इसलिए, आप कृपया छात्रों के लिए भी पाठ्यक्रम के समान योग की शुरुआत करें ताकि वे निश्चित रूप से शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहें। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि हम छात्रों को शिक्षा के साथ-साथ नैतिक मूल्यों, संस्कृति, परंपरा आदि भी सिखाएं। यह वह विरासत है जिसे हम आने वाली पीढ़ियों को दे सकते हैं, न कि हमारी संपत्तियाँ या जायदाद को। मुझे यह अवसर देने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद।

प्रो. ए.एस.आर. नायक (महबूबाबाद): धन्यवाद, महोदय, मुझे भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान विधेयक, 2017 पर बोलने का अवसर देने के लिए। हमारी टी.आर.एस. पार्टी इस विधेयक का समर्थन कर रही है।

पेट्रोलियम हमारे देश का एकमात्र आयात है, जिसका पूरी अर्थव्यवस्था यहाँ तक कि राज्यों में सब्जियों की कीमतों पर पर प्रभाव दिखाता है। हमें खुशी है कि सरकार 655 करोड़ रुपये की पूंजी और 250 करोड़ रुपये के धर्मस्व निधि के साथ भारतीय पेट्रोलियम संस्थान की स्थापना कर रही है और इस संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित कर रही है।

हमें खुशी है कि हमारी पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश की राजधानी में इस संस्थान की स्थापना की जा रही है। अब, यह हमारा नया पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश है। हमारे देश ने प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन फिर भी हम कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पीछे हैं। संस्थान में, पाठ्यक्रम में न केवल पेट्रोलियम शामिल है, बल्कि इसमें पेट्रोलियम के पर्यावरण के अनुकूल विकल्प जैसे जैव-ईंधन और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा भी शामिल हैं। लेकिन हम अपने किसानों के लिए मल्टी-फील्ड स्टॉक बायो-गैस संयंत्र के विकास पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं, जो एल.पी.जी. और यूरिया का विकल्प देगा।

जब इन दोनों राज्यों को विभाजित किया गया था, तो राज्य पुनर्गठन विधेयक, 2014 में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था। वहाँ कुछ संस्थान हैं और वास्तव में हम इसके लिए खुश हैं। हम आंध्र प्रदेश का समर्थन कर रहे हैं, और हम हमेशा एक नए राज्य के विकास के लिए अपना समर्थन दे रहे हैं और हम इसके पक्ष में हैं।

श्री मुथमसेटी श्रीनिवास राव (अवंती): बहुत-बहुत धन्यवाद।

प्रो. ए.एस.आर. नायक: हम आपसे यह भी अनुरोध कर रहे हैं कि तेलंगाना राज्य में भी कई लंबित मुद्दे हैं। पुनर्गठन विधेयक में पहले ही उल्लेख किया गया है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान (आई.आई.एम.) होगा और हमने इसके लिए भूमि आबंटित की है, लेकिन तीन वर्ष बीत चुके हैं और सरकार या विशेष विभाग की ओर से

कोई पहल नहीं की गई है। एक और मुद्दा है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत वादा किया गया बागवानी विश्वविद्यालय, जो अभी भी लंबित है, साथ ही जनजातीय विश्वविद्यालय भी। जैसा कि आप जानते हैं, देश में 10 करोड़ आदिवासी हैं। यदि आदिवासियों के पास कुछ शैक्षणिक संस्थान हैं, तो यह उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने का आत्मविश्वास देता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। पहले से ही 100 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। सरकार इस संबंध में कोई पहल क्यों नहीं कर रही है? मैं आपके माध्यम से मंत्रालय से अनुरोध करूंगा कि वह तेलंगाना में एक जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की शुरुआत करे।

जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय इस्पात प्राधिकरण ने बय्याराम लौह अयस्क खदानों से संपर्क किया है। पहले एक लाख एकड़ ज़मीन पट्टे पर दी जाती थी। मैं यहां यह बताना चाहूंगा कि हम इसके लिए लड़े और समझौते के पक्ष में नहीं थे। तीन वर्ष बीत चुके हैं। यह आदिवासी संसदीय क्षेत्र में स्थित है। सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की गई। इसलिए, मैं आपके माध्यम से सरकार से लंबित प्रस्तावों में तेजी लाने का अनुरोध करूंगा।

केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश के बारे में जो भी कदम उठा रही है, हम उसका स्वागत करते हैं। हम खुश हैं। यह भी एक नया राज्य है। कृपया आन्ध्र प्रदेश पर ध्यान केंद्रित करें। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में जो भी प्रस्ताव दिए गए हैं, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इसे जल्द पूरा करने के लिए पहल करे। धन्यवाद, महोदय।

श्री पी.के. बिजू (अलथूर): महोदय, मुझे यहां आकर पेट्रोलियम और ऊर्जा क्षेत्र के महत्वपूर्ण विधेयकों में से एक पर चर्चा करने पर बहुत खुशी हो रही है। भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान विधेयक, 2017 हमारे माननीय मंत्री, श्री धर्मेन्द्र प्रधान जी द्वारा सभा पटल पर रखा गया। वह एक ऊर्जावान मंत्री हैं। मुझे कोई संदेह नहीं है। मुझे कुछ अनुभव है क्योंकि मैं पिछले तीन वर्षों से पेट्रोलियम संबंधी स्थायी समिति का सदस्य हूँ। मैंने पाया कि पेट्रोलियम कंपनियों में, विशेष रूप से हमारे पी.एस.यू. में ऐसी सक्रियता मौजूद नहीं है।

पेट्रोलियम मंत्रालय के तहत हमारे पास बहुत सारे संस्थान हैं लेकिन ऐसे संस्थानों का कामकाज अच्छा नहीं है। तेल उद्योग विकास बोर्ड की स्थापना 1975 में तेल विकास अधिनियम, 1974 के तहत की गई थी। हमने अपने देश की ऊर्जा आवश्यकता तथा अपने पेट्रोलियम उद्योग में सुधार के लिए हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय, तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय, उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, आदि जैसे कई संस्थान स्थापित किए हैं।

परसों उच्च प्रौद्योगिकी केन्द्र संबंधी एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। हमें नई प्रौद्योगिकी की जरूरत है। लेकिन ऐसे संस्थान अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे हैं। हाल ही में, मंत्रालय ने एक संस्थान में एक स्थायी निदेशक नियुक्त किया है। यह एक स्वागत योग्य कदम है। जब हम अपने उद्योग को मजबूत करने का प्रयास करेंगे, तभी हम चुनौतियों का सामना कर सकते हैं।

मैं यह कहना चाहूंगा कि इस क्षेत्र में स्थापित पहला संस्थान 1960 में देहरादून, उत्तराखंड में भारतीय पेट्रोलियम संस्थान है, जिसे सी.एस.आई.आर., उत्तराखंड के तकनीकी समर्थन से स्थापित किया गया था। दूसरा संस्थान 2008 में संसद के एक अधिनियम द्वारा रायबरेली, उत्तर प्रदेश में अस्तित्व में आया। इसे 2008 में ही राष्ट्रीय दर्जा दिया गया था। इस संस्थान को ओ.एन.जी.सी., एच.सी.पी.एल., बी.पी.सी.एल., ऑयल इंडिया, आई.ओ.सी.एल., ओ.आई.डी.बी. से समर्थन और आई.आई.टी. कानपुर के साथ अकादमिक समर्थन प्राप्त हुआ। भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश की स्थापना 2001 में आन्ध्र प्रदेश के सोसायटी अधिनियम के तहत की गई थी। इसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया गया था।

यह अच्छा है। विधेयक के वित्तीय ज्ञापन में कहा गया है, और मैं उद्धृत करता हूं:

"संस्थान की स्थापना में कुल 655.46 करोड़ रुपये की पूंजीगत व्यय और 400 करोड़ रुपये की एक धर्मस्व निधि शामिल है (जिसमें 200 करोड़ रुपये बजटीय सहायता से और 200 करोड़ रुपये सरकारी क्षेत्र के पांच तेल उपक्रमों से) 400 करोड़ रुपये की धर्मस्व निधि से प्राप्त होने वाले ब्याज का लगभग आधा हिस्सा आवर्ती खर्चों के घाटे को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाएगा, और शेष आवर्ती खर्चों को छात्रों की फीस, दान और संस्थान की अन्य आय जैसे अनुसंधान और विकास, परामर्श सेवाएं, छात्रों की प्लेसमेंट फीस आदि के माध्यम से पूरा किया जाएगा।"

यह बेहद कठिन है। ओ.आई.डी.बी. देश का सबसे बड़ा संगठन है। वे प्रत्येक तेल ग्राहक से उपकर वसूल रहे हैं। जो वित्त विभाग में जमा हो जाता है। इससे सरकार के हाथों में 1.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक आता है। लेकिन उन्होंने इस तरह के एक महत्वपूर्ण संस्थान के उपयोग के लिए विलय धनराशि दी है।

मैं केवल दो मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं। श्री तथागत सत्पथी जी पहले ही बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का उल्लेख कर चुके हैं। लेकिन, महापरिषद की संरचना के अनुसार, केवल भारतीय तेल निगम और ओ.आई.एल. हैं। लेकिन, हमारे पास ओ.एन.जी.सी., ओ.आई.डी.बी. और अन्य संस्थानों का प्रतिनिधित्व नहीं है।

हम तेल सुरक्षा की तलाश में हैं। हमारे देश में तेल के आयात के माध्यम से आवश्यकता पूरी की जाती है। लेकिन अब आयातित कच्चे तेल की कीमत काफी कम है। मैं 2009 में संसद आया था। उस समय, तेल सब्सिडी के लिए बजटीय सहायता 1.00 लाख करोड़ रुपये से अधिक थी। अब, यह शून्य है। अब लोग सरकार को सब्सिडी देते हैं।

एक बात और है। तेल पर वाहनों का खर्च इलेक्ट्रिक वाहन के खर्च से तुलनात्मक रूप से अधिक है। यह परिदृश्य दुनिया भर में तेल से चलने वाले वाहन से इलेक्ट्रिक वाहन में बदल रहा है।

मेरे पास केवल एक और बिंदु है। तेल कंपनियों का संयुक्त उद्यम एक निजी संस्था बनने वाला है। (पेट्रोलियम) सचिव स्वयं प्राइवेट पेट्रोनेट के चेयरमैन हैं। इसलिए, तेल कंपनियों का संयुक्त उद्यम एक निजी संस्था नहीं होगा। यह सरकार का अभिन्न अंग है। सरकार एक बड़ी तेल कंपनी बनाने के लिए सभी तेल कंपनियों के विलय की तलाश कर रही है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस संस्थान का प्रवेश जे.ई.ई. के तहत लिया जाए। लेकिन ,हाल ही में, इस संयुक्त प्रवेश परीक्षा के बारे में कई शिकायतें आई हैं। इसमें रिश्वत, कैपिटेशन फीस आदि की घटनाएं शामिल थीं। इसके कारण प्रवेश प्रक्रिया में व्यवधान पैदा हुआ। इस संस्थान में पात्र उम्मीदवारों को प्रवेश नहीं मिला। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस मामले को व्यक्तिगत रूप से देखें, विशेष रूप से राजीव गांधी संस्थान के बारे में। मैं मंत्री जी से यह भी अनुरोध करूंगा कि कोचीन में ऐसा ही एक संस्थान शुरू किया जाए, क्योंकि कोचीन में एच.पी.सी.एल., बी.पी.सी.एल. और पेट्रोनेट जैसे कई बड़े संस्थान भी हैं। मुझे उम्मीद है कि सरकार कोचीन में भी ऐसा एक संस्थान शुरू करेगी। धन्यवाद।

श्री वाई.वी. सुब्बा रेड्डी (ओंगोले): महोदय, सबसे पहले मैं उपाध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे भारतीय पेट्रोलियम ऊर्जा संस्थान विधेयक, 2017 पर बोलने की अनुमति दी, जिसका उद्देश्य राष्ट्र को पेट्रोलियम और ऊर्जा के क्षेत्र में शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के क्षेत्र में आगे ले जाना है। सरकार ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में एक पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान की स्थापना की है। मैं माननीय प्रधानमंत्री और माननीय पेट्रोलियम मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को आंध्र प्रदेश के युवाओं की आकांक्षाओं को स्वीकार करने के लिए बधाई देता हूं।

भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान 2014 में राज्य के विभाजन के बाद आन्ध्र प्रदेश को प्रदान किए गए प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक है। भारत सरकार ने आन्ध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के अनुसार उत्तरवर्ती राज्य आन्ध्र प्रदेश में एक पेट्रोलियम विश्वविद्यालय स्थापित करने की प्रतिबद्धता को पूरा किया है। इस संस्थान से उम्मीद की जाती है कि यह एक विशिष्ट ऊर्जा संस्थान होगा जो विश्व स्तरीय तकनीकी मानव संसाधन के पोषण के लिए प्रमुख स्रोत के रूप में काम करेगा जो पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी और ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी और नवप्रवर्तक के रूप में कार्य करने में सक्षम हैं।

इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य पेट्रोलियम क्षेत्र के लिए कुशल जनशक्ति की आपूर्ति में मात्रात्मक और गुणात्मक अंतर को पूरा करना और इस क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ावा देना होना चाहिए। इस संस्थान की शैक्षणिक और अनुसंधान गतिविधियों को के.जी. बेसिन, विशाखापत्तनम रिफाइनरी और काकीनाडा में नियोजित पेट्रोकेमिकल परिसर जैसी क्षेत्र संबंधी गतिविधियों के लिए संस्थान की निकटता से ताकत मिलनी चाहिए।

संस्थान द्वारा किए गए अनुसंधान कार्य को पेट्रोलियम तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए बल्कि वैकल्पिक और नवीकरणीय ऊर्जा को समान महत्व दिए जाने की आवश्यकता है। देश के शीर्ष संस्थानों के सभी शोधकर्ताओं के लिए शोध गतिविधियों को खोला जाना चाहिए ताकि आई.आई.पी.ई. वैश्विक सलाहकार और ऊर्जा के लिए एक अनुसंधान केंद्र बने।

तथापि, संस्थान को विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय बनाने के लिए पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान किया जाना चाहिए। संस्थान केवल चार फैकल्टी सदस्यों के साथ कार्य नहीं कर सकता है और गुणात्मक अनुसंधान और इंटर्नशिप कार्यक्रम प्रदान नहीं कर सकता है। सरकार को इस पहलू पर विचार करना चाहिए। तभी विश्वविद्यालय की विश्वसनीयता बढ़ेगी और संस्थान द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों और अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित कर सकती है।

इसके साथ ही, मैं एक बार फिर आंध्र प्रदेश में आई.आई.पी.ई. स्थापित करने के लिए सरकार को बधाई देता हूँ और विधेयक का समर्थन करता हूँ।

मैं इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी को 5 करोड़ गरीब महिलाओं को खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन प्रदान करने के लिए मुफ्त एल.पी.जी. कनेक्शन प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। यह योजना यह सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है कि कोई भी ग्रामीण और गरीबी रेखा से नीचे का परिवार खाना पकाने के लिए लकड़ी, चारकोल, गोबर या अन्य अस्वास्थ्यकर ईंधन स्रोतों का उपयोग ना करे । देश में ग्रामीण परिवारों के पास हमेशा एल.पी.जी. जैसी आधुनिक उपयोगिताओं तक सीमित या कोई पहुंच नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जी की पहल के साथ, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब महिलाएं और यहां तक कि दूरदराज के क्षेत्रों में भी अब गैस कनेक्शन की सुविधा का लाभ उठाती हैं। हालांकि, सरकार को और अधिक कनेक्शन जारी करने चाहिए क्योंकि गरीबी रेखा से नीचे के लाखों लोग अभी भी इस सुविधा का इंतजार कर रहे हैं। यदि किसी गरीब महिला के पास आधार कार्ड नहीं है तो सरकार को उसे मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन का लाभ उठाने से रोकना नहीं चाहिए।

श्रीमती विजया चक्रवर्ती (गौहाटी): थोड़े ही समय में, हमारे आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, पेट्रोलियम मंत्री ने माननीय प्रधानमंत्री की प्रेरणा से एक बहुत ही उच्च मानक संस्थान-पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संस्थान की स्थापना की। मैं आंध्र प्रदेश की जनता और आंध्र प्रदेश सरकार को बधाई देती हूं क्योंकि यह माननीय सदस्य की ओर से एक बड़ी उपलब्धि है।

मैं श्री धर्मेन्द्र जी को भी बधाई देती हूँ क्योंकि एक पेट्रोलियम संस्थान है जिसका उद्घाटन कांग्रेस पार्टी ने किया था। उन्होंने इसका उद्घाटन किया और इसे पूरी तरह से भूल गए। लेकिन श्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं जिन्होंने 350 करोड़ रुपये प्रदान किए और इसे कार्यान्वित किया। एक बार फिर, मैं माननीय मंत्री जी से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करती हूं कि यह फिर से काम करना शुरू कर दे।

हम इनकार नहीं कर सकते कि श्री नरेन्द्र मोदी जी सही समय पर और सही दिशा में प्रतिबद्धता निभाने में बहुत सटीक, ईमानदार और जमीन से जुड़े हुए हैं। पेट्रोलियम और ऊर्जा का यह संस्थान आंध्र प्रदेश के लिए हमारी सरकार के वादे और प्रतिबद्धता का उस समय का हिस्सा है जब इसे दो भागों में बाँटा गया था। इस प्रकार, 2017 में, अपनी प्रतिबद्धता के अनुसार, पेट्रोलियम मंत्री ने इस उच्च-मानक संस्थान की स्थापना की और 655.45 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की, जो एक बहुत बड़ी धनराशि है। यह हमारे नवोदित युवाओं को ढालने और संसाधन संपन्न लोगों को खोजने का एक विश्व स्तरीय संस्थान होगा। यह संस्थान पेट्रोलियम और पेट्रोलियम संबंधित ऊर्जा क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्य को बढ़ावा देकर तेल क्षेत्र की गुणात्मक और मात्रात्मक आवश्यकता की कमी को पूरा करेगा। हमारे उभरते युवा उन्नत ज्ञान और प्रौद्योगिकी, जो अब तक हमारे देश के विश्वविद्यालयों में अनुपलब्ध थे, में पारंगत होंगे जिससे वे हर जगह प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे और आने वाले समय में वैश्विक नेता बन सकेंगे ।

वर्तमान में आंध्र प्रदेश में स्थापित यह संस्थान पारंपरिक और गैर-पारंपरिक हाइड्रोकार्बन संबंधी संसाधनों, तरल गैस और जैव ईंधन दोनों में ज्ञान प्रदान करेगा। ऐसे क्षेत्रों में उच्च तकनीकी ज्ञान निश्चित रूप से देश और दुनिया के लिए उच्च गुणवत्ता वाले मानव संसाधन का निर्माण करेगा। इस संस्थान को आई.आई.टी. के बराबर का दर्जा दिया जा रहा है। आंध्र प्रदेश में इस संस्थान में स्नातकोत्तर स्तर पर उन्नत कार्यक्रम शामिल

है और इसे स्नातकोत्तर डिग्री और डॉक्टरेट की डिग्री प्रदान करने की स्वीकृति और वैधता मिली है जो एक बहुत अच्छी बात है। यह हमारे प्रतिभाशाली और जिज्ञासु युवाओं के लिए एक अतिरिक्त लाभ है, जो एक आशीर्वाद का स्रोत है। पहले हमारे छात्रों को इस तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए विदेशों में जाना पड़ता था। केवल इस बार पेट्रोलियम मंत्रालय और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण, हमारे छात्रों को हमारे देश में ही एक वैश्विक नेता बनने के लिए आवश्यक सारा ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिल रहा है।

जैसा कि हम जानते हैं, तेल क्षेत्र अब अत्यधिक फल-फूल रहा है। लेकिन असम में पहली बार तेल की खोज की गई जब 1880 के दशक की शुरुआत में एक ब्रिटिश अधिकारी ने हाथी के पैर में फंसी मिट्टी में कुछ तेल जैसे पदार्थ की खोज की। उसने हाथी का पीछा किया और उसने जगह खोदने के लिए कुछ मजदूरों को लगाया। उन्होंने मजदूरों से कहा, "खोद भाई, खोद।" कहा जाता है कि डिगबोई नाम इस तरह से उत्पन्न हुआ है। इस तरह पहला तेल नगर डिगबोई अस्तित्व में आया। वर्तमान में, असम में चार रिफाइनरियां हैं। ओ.एन.जी.सी. भी वहां काम कर रहा है। लेकिन मुझे पता चला है कि हालांकि तेल भारत को बहुत लाभ मिल रहा है, ओ.एन.जी.सी. नुकसान में है। ओ.एन.जी.सी. एक विश्व स्तरीय संगठन है और इसे दुनिया में हर जगह काम मिला है। मुझे लगता है कि इसे फलना-फूलना चाहिए। केवल एक उच्च मानक की स्थापना के साथ, आप इसे कर सकते हैं; अन्यथा यह संभव नहीं है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से असम में शिवसागर पेट्रोलियम संस्थान को फिर से शुरू करने का अनुरोध करती हूं। उन्होंने इसके लिए विद्वान प्रोफेसरों के साथ फिर से शुरू करने के लिए पैसे दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि वह पूरे देश में, विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में इस तरह के संस्थान स्थापित करेंगे क्योंकि प्रतिभाशाली और कुशल लोगों की कमी है। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे इस बिल पर बोलने की अनुमति दी, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। माननीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान जी द्वारा भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान विधेयक, 2017 सदन में लाया गया है, जो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में इंडियन इंस्टीट्यूट आफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी की स्थापना की मंजूरी से संबंधित है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री के सामने अपने राज्यों से जुड़े कुछ सवालों को रखना चाहता हूं। केंद्र सरकार बिहार राज्य सहित पूर्वोत्तर राज्यों में इंडियन इंस्टीट्यूट आफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी की स्थापना करे तो यह बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का विशेष पैकेज भी हो सकता है। इसकी घोषणा स्वयं सरकार कर चुकी है। हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग भी करते रहते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र बांका में इंडियन इंस्टीट्यूट आफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी की स्थापना की जाए। हल्दिया-बरौनी पाइपलाइन बिछाने का कार्य कब तक पूरा होगा? इसके बारे में माननीय मंत्री जी बताएं। माननीय मंत्री जी यह भी बतायें कि बिहार के पटना भागलपुर, बांका, मुंगेर तथा अन्य जगहों पर सीएनजी एवं पीएनजी की व्यवस्था कब तक होगी?

मैं माननीय मंत्री जी को व्यक्तिगत रूप से बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने मेरे संसदीय क्षेत्र बांका बाराहाट में गैस बॉटलिंग प्लांट की स्थापना के लिए मंजूरी दी है और वहां आज कार्य भी शुरू हो गया है। मैं इस संबंध में माननीय मंत्री जी से लगातार आग्रह भी करता रहा हूं। मैं चाहूंगा कि बांका बाराहाट के गैस बॉटलिंग प्लांट का कार्य पूर्ण हो।

मैं माननीय मंत्री जी को पुनः बधाई देता हूं। धन्यवाद

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस अहम बिल पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं इस बिल के समर्थन मे बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं, क्योंकि आज जरूरत है कि हम पेट्रोलियम और रिन्युअबल एनर्जी के प्रति गंभीरता से चर्चा करें। इस बिल में पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट के सेटअप होने की बात आ रही है। मैं मंत्री जी को एक सुझाव देना चाहूंगा, क्योंकि हम केवल पेट्रोलियम पर एक वर्ल्ड क्लास टेक्नीकल इंस्टीट्यूट बना रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रधान मंत्री जी जब पेरिस गये थे, तब प्रकाश जावेड़कर जी एन्वायरन्मेंट मिनिस्टर थे। उन्होंने वहां जाकर रिन्युअबल एनर्जी के प्रति कोपा एग्रीमैंट भी साइन की थी। अगर हम इसी इंस्टीट्यूट को एक इंस्टीट्यूट ऑफ नैशनल इम्पोर्टैंस फॉर पेट्रोलियम एंड रिन्युअबल एनर्जी करते, तो शायद कहीं न कहीं वे सारे ऑस्पैक्ट्स भी कवर होते।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के माध्यम से पता लगता है कि इस इंस्टीट्यूट को सेटअप करने में लगभग एक हजार करोड़ रुपये का खर्चा आयेगा। मेरा कहना है कि जो पेट्रोलियम कम्पनीज हैं, जो इस इंस्टीट्यूट के बायो-प्रोडक्ट्स पर रिसर्च एंड डेवलपमैंट होगी, उससे अपने आपको और डेवलप करने का काम करेगी। हम उनका हिस्सा क्यों न इस इंस्टीट्यूट में डालने का काम करें? हम जब नैशनल इम्पोर्टैंस का इंस्टीट्यूट बनाते हैं, तो उसके लिए हमें सैंट्रल गवर्नमैंट से हजारों करोड़ों रुपये लेने पड़ते हैं। आज हमारे पास एसआरए, रिलायंस और प्राइवेट कम्पनीज हैं, तो क्यों न हम उन कम्पनीज के सीएसआर के फंड्स को डायवर्ट करके, चाहे वहां बिल्डिंग बनानी है, इन्फ्रास्ट्रक्चर करना है या कोई रिसर्च करना है, उसके लिए पैसा लगायें। हम वहां जो टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे, वह कहीं न कहीं हमारे देश में काम आयेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, इस इंस्टीट्यूट से हजारों बच्चे डेवलप होकर जायेंगे। लेकिन हम आज भी देखते हैं कि पेट्रोलियम के ऊपर जो बच्चे रिसर्च करते हैं, वे एजुकेशन हमारे इंस्टीट्यूट से लेते हैं, लेकिन एजुकेशन लेने के बाद कतर, दुबई, यूएसए आदि ऐसी कंट्रीज जहां ऑयल एक्सिपडिशन बड़ी तादाद में होते हैं, वहां पर चले जाते हैं। ...(व्यवधान) हमें कहीं न कहीं एक सीमा बांधनी पड़ेगी कि जो बच्चे इन इंस्टीट्यूट्स से पढ़कर निकलेंगे, उन पर कम से कम पांच वर्ष तक उन इंस्टीट्यूट्स की रिसर्च में काम करने का प्रतिबंध लगायें।

अंत में, मैं मंत्री जी से एक आग्रह करना चाहूंगा, क्योंकि यह इंस्टीट्यूट्स ज्यादातर केजी बेसिन पर काम करेगा। मेरा कहना है कि इसके अलावा और भी एरियाज हैं, जैसे पानीपत और भटिंडा में रिफाइनरी है। हमें इनके आस-पास भी इंस्टीट्यूट्स डेवलप करने पड़ेंगे, जो नैशनल इम्पोर्टैंस से अटैच्ड हों, मगर इन रिफाइनरीज में भी हैल्प कर सकें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अपराह्न 2.00 बजे

श्री राघव लखनपाल (सहारनपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान विधेयक, 2017 के समर्थन पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझे लगता है कि निश्चित ही कुछ माननीय सदस्यों को भ्रम या भ्रांति है, क्योंकि यदि वे इस विधेयक को ध्यानपूर्वक पढ़ें, तो इसमें स्पष्ट लिखा है कि परम्परागत हाइड्रो कार्बन्स के साथ ही चूंकि ऊर्जा क्षेत्र विकसित हो रहा है और गैर-परम्परागत हाइड्रो कार्बनों के साथ ही साथ नये स्रोत, जैसे द्रवीकृत प्राकृतिक गैस, जैव ईंधन और नवीकरणीय ऊर्जा बाजार में आ रहे हैं, तो संस्थान भारतीय और वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र में अग्रणी स्थिति प्राप्त करने और बनाये रखने के लिए इन क्षेत्रों में भी सक्रिय रूप से अनुसंधान करेगा। जब यह स्पष्ट कर दिया गया है, तो फिर हमारा यह सोचना कि ये इंस्टीट्यूट केवल हाइड्रो कार्बन्स को लेकर, जो परम्परागत हाइड्रो कार्बन्स हैं, उन्हीं के बारे में सिखायेगा और शोध करेगा, तो ऐसा नहीं है।

हम जानते हैं कि जो परम्परागत हाइड्रोकार्बन्स के स्रोत हैं, वे घटते जा रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य साकार करने के लिए यह आवश्यक है कि गैर-परम्परागत और नए स्रोतों पर ध्यान दिया जाए। इसमें एक तकनीकी विषय मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि हमारी धरती का जो भूगर्भ है, उसके अंदर पत्थर के रूप में ऑयल शेल्स एंड टार सैंड्स पाए जाते हैं, जिनके अंदर एक कम्पाउण्ड होता है, जिसे तेल के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन उसे हल्का करने के लिए, उसकी विस्कोसिटी को घटाने के लिए एक विशेष तकनीक की आवश्यकता पड़ती है। मुझे लगता है ऐसे संस्थान बनाने से हम अपनी कमिटमेंट को ऑनर कर ही रहे हैं, साथ ही हम उस दिशा में भी काम करने जा रहे हैं, क्योंकि भारत में इन ऑयल शेल्स का बड़ा भण्डार है, जिसका प्रयोग आने वाली पीढ़ियों के लिए निश्चित रूप से किया जा सकता है।

किसी भी सरकार का चरित्र यदि सही हो और वचन प्रतिबद्धता हो तो निश्चित रूप से वह जो कहती है, करके दिखाती है। मैं बधाई देता हूं आदरणीय प्रधान मंत्री जी को, मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय पेट्रोलियम मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान जी को, कि वह इतना अच्छा विधेयक लाए हैं और इस प्रकार के इंस्टीट्यूट की स्थापना

आन्ध्र प्रदेश में करने जा रहे हैं। मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान इस प्रकार के राज्य हैं, जहां हाइड्रोकार्बन्स एवं गैर-परम्परागत हाइड्रोकार्बन्स का भरपूर भण्डार है, इसलिए वहां भी इस प्रकार के एक इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाए। समय कम है, इसलिए अंत में मैं एक बात कहना चाहूंगा। (**अनुवाद)** हेनरी पेट्रोस्की ने कहा था कि 'विज्ञान जानने के बारे में है और इंजीनियरिंग करने के बारे में है।' माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार सही चीज़ को जानने और फिर उसे करने में विश्वास रखती है। इसके साथ, मैं पूरे दिल से इस विधेयक का समर्थन करता हूं और मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं।

(हिन्दी)

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब) : डिप्टी-स्पीकर साहब, मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं कि बहुत जरूरी बिल लेकर आए हैं और यह बिल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज देश में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का बहुत महत्व है। मैं समझता हूं कि हमारे देश में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के स्रोत बहुत कम हैं और ऐसे स्रोतों की तलाश की जा सकती है, इसके लिए स्कोप है। इकोनोमी की ग्लोबलाइजेशन होने के कारण हम विदेशों से भी गैस वगैरह मंगवा सकते हैं। यह सच है कि देश में जो पब्लिक सेक्टर रिफाइनरीज हैं, उनके एक्सपेंसेज दुनिया में सबसे ज्यादा हैं और उसे कम करने के लिए अच्छे टेक्नोक्रैट्स की जरूरत है। मैं समझता हूं कि आप आज जो बिल लाए हैं, इससे हमारे जो युवा वहां एजुकेशन लेंगे, उसका बहुत बड़ा फायदा फ्यूचर में देश को मिलेगा। पंजाब और हरियाणा जैसे प्रदेश पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के स्रोतों से दूर हैं, हमारे पास कोयला नहीं है, इसलिए वहां इस किस्म की इंस्टीट्यूशन बननी चाहिए। आप आज जिस प्रकार की नेशनल इम्पोर्टेंस की पेट्रोलियम एंड एनर्जी इंस्टीट्यूशन आन्ध्र प्रदेश के लिए लेकर आए हैं, एक ऐसा इंस्टीट्यूट पंजाब में भी बने तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वह सरहदी क्षेत्र है। दूसरा, मैं मंत्री जी से यह भी मांग करना चाहता हूं कि जब भी हम इंटरनेशनल मार्केट से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के रेट्स जोड़ते हैं, मगर बहुत से राज्य ऐसे हैं, जिनमें फार्मर्स और कन्ज्यूमर्स के लिए कभी रेट चेंज नहीं होता है। क्रूड ऑयल की जो एक्चुअल प्राइस है, उसके अलावा बहुत सारे टैक्सेस लगते हैं। सबसे ज्यादा टैक्सेस अगर किसी प्रोडक्ट पर लगते हैं तो वे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर लगे हैं। इन टैक्सेस को कम करने की जरूरत है, विशेषकर कृषि क्षेत्र के लिए। मैं यही मांग करता हूं। धन्यवाद।

[अनुवाद]

डॉ. रत्ना डे (नाग) (हुगली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद।

पेट्रोलियम और ऊर्जा विधेयक, 2017 के राष्ट्रीय संस्थान का उद्देश्य विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में पेट्रोलियम और ऊर्जा का एक भारतीय संस्थान स्थापित करना है। यह संस्थान को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में भी घोषित करता है। मैं इस विधेयक के उद्देश्य की सराहना करती हूँ क्योंकि यह पेट्रोलियम, हाइड्रोकार्बन और ऊर्जा के विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और अनुसंधान प्रदान करता है। सरकार 655.46 करोड़ रुपये का निवेश करने जा रही है। यह कहा गया है कि पूंजीगत व्यय के लिए यह बजटीय सहायता 2022-2023 तक के लिए है। क्या माननीय मंत्री जी बताएँगे कि अभी क्या कार्य योजना है, विशेष रूप से जब हमारा उद्देश्य बहुत चुनौतीपूर्ण है और खर्च की जाने वाली धनराशि इतनी बड़ी है?

उक्त संस्थान के एक क्षेत्र -विशिष्ट ऊर्जा संस्थान होने की अपेक्षा है जो पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी और ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी और नवोन्मेषकों के रूप में सेवा करने में सक्षम विश्व स्तरीय तकनीकी मानव संसाधनों के पोषण का स्रोत बनेगा । संस्थान को आगे ले जाने के लिए अब तक क्या कार्य किया गया है या प्रस्तावित किया गया है?

उक्त संस्थान का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा का विस्तार करना और पारंपरिक हाइड्रोकार्बन से संबंधित सभी पहलुओं में अग्रिम अनुसंधान करना है। मैं इस महान लक्ष्य की सराहना करती हूं। क्या माननीय मंत्री जी यह बताएँगे कि वह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के इस उद्देश्य को प्राप्त करने और पेट्रोलियम और डिजाइन में उन्नत अनुसंधान करने के लिए पहले से ही क्या पहल कर चुके हैं?

बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के गठन के बारे में जो संस्थान के मामलों के सामान्य पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है और संस्थान की एक महापरिषद है, अन्य बातों के साथ-साथ समय-समय पर संस्थान की व्यापक नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा करेगी और संस्थान के सुधार, विकास और विस्तार के लिए उपाय सुझाएगी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि संस्थान के कामकाज को पारदर्शी और उत्तरदायी

बनाने के लिए क्या उपाय किए गए थे। क्या संस्थान के पास उत्कृष्टता और राष्ट्रीय महत्व के संस्थान की ओर बढ़ते हुए और कृषि, विज्ञान आदि जैसे अन्य क्षेत्रों में ऐसे अन्य संस्थानों के लिए एक बेंचमार्क स्थापित करते समय आने वाले मुद्दों से दूर रहने की स्वायत्तता होगी?

विधेयक के उद्देश्यों पर पुनः बात करें तो हम इन विषयों पर कहाँ खड़े हैं? हम कितने तैयार हैं? पेट्रोलियम और ऊर्जा के क्षेत्र में हमारी चुनौतियाँ क्या हैं? क्या हमने उनका विश्लेषण किया है? पेट्रोलियम और ऊर्जा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और अत्याधुनिक नवाचारों के मामले में हम अन्य देशों की तुलना में कहां हैं?

यह आवश्यक है कि हम शिक्षा और अनुसंधान प्रदान करने से संबंधित सभी मुद्दों या चिंताओं पर फिर से विचार करें, जब हमारे संस्थान विश्व के 200 सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में से 100 में भी शायद ही किसी उत्कृष्ट स्थान पर होते हैं।

विदेशी शिक्षकों को लाने की तत्काल आवश्यकता है, जो विशेषज्ञ हैं और जो जानते हैं कि क्या हो रहा है और पेट्रोलियम और ऊर्जा क्षेत्र के में क्या नए विकास और नवाचार हो रहे हैं?

मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी भी इस दृष्टिकोण का समर्थन करेंगे कि सुधार के लिए बहुत जगह है और हमें राष्ट्रीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान को वास्तविक अर्थों में उत्कृष्टता का केंद्र बनाने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। इसे केवल सरकार की एक उपलब्धि के रूप में नहीं देखना चाहिए कि उसने एक राज्य को एक संस्थान उपहार में दिया है और फिर उसका समर्थन और निगरानी करना भूल गई है।

मैं पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व कर रही हूं। क्या माननीय मंत्री जी पश्चिम बंगाल में पेट्रोलियम और ऊर्जा के क्षेत्र में उभरती और चुनौतीपूर्ण जरूरतों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय महत्व की संस्था स्थापित करने पर विचार करेंगे?

अंत में, मैं माननीय मंत्री जी से एल.पी.जी. सब्सिडी को रोकने के लिए मंत्रालय द्वारा लिए गए निर्णय को वापस लेने का अनुरोध करती हूं।

[हिन्दी]

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कृपया मुझे तीन मिनट समय देने की कृपा करें।

उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान विधेयक, 2017 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं सरकार को इस विधेयक का समर्थन करता हूं। सरकार एक राष्ट्रीय महत्व की भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान की स्थापना विशाखापटनम में करने जा रही है और इसमें करीब एक हजार करोड़ रुपये से आधिक का खर्च होगा। हमें आशा है कि यह संस्थान देश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में सार्थक होगा। मैं माननीय मंत्री जी को भी इस विधेयक को लाने के लिए बधाई देता हूं। करीब 20 प्रतिशत कच्चे तेल का उत्पादन हमारे देश में होता है और 80 प्रतिशत हम लोग बाहर से आयात करते हैं। दिन प्रति दिन कच्चे तेल का भाव अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घटता-बढ़ता रहता है। अभी पिछले 10-15 वर्षों के रिकॉर्ड अनुसार यह निचले स्तर पर है। इससे काफी हद तक हमारी विदेशी मुद्रा की बचत हुई है, किन्तु मेरा मानना है कि यह लाभ आम नागरिक को नहीं मिल रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि इसका लाभ गरीबों को भी मिलना चाहिए। इसी प्रकार से, देश में 50 प्रतिशत से आधिक गैसों का उत्पादन हो रहा है और शेष के लिए हम दूसरे देशों पर निर्भर हैं। फिर भी गैस का दाम अंतर्राष्ट्रीय स्त्ार पर क्यों नहीं हो रहा है? देश में आज घरेलू गैस लगभग छः करोड़ परिवारों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनमें से आधिक संख्या गरीब परिवारों की है।

एलपीजी का दाम आम आदमी की पहुंच से बाहर नहीं करना चाहिए। साफ ईंधन के लिए गैस आवश्यक है, इसलिए इसे कम से कम कीमत पर उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेवारी है। मेरा सुझाव और आग्रह है कि सरकार को घरेलू एलपीजी के दाम में कमी करनी चाहिए, इसके दाम में वृद्धि करना ठीक नहीं होगा।

सरकार को आवश्यक रूप से विचार करने का समय आ गया है कि कच्चे तेल का उत्पादन कैसे बढ़े, इसका देश में प्रचुर मात्रा में भण्डारण हो, लेकिन इसका उत्पादन नहीं बढ़ा रहा है। इसके लिए ओएनजीसी ने

पहले जिम्मेवारी ली थी, आज वह उस जिम्मेवारी से हट रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से कहूँगा कि ओएनजीसी को सुधारने की आवश्यकता है।

मैं बिहार से आता हूँ। सरकार की एक महत्त्वाकांक्षी योजना 'हल्दिया-जगदीशपुर पाइप-लाइन परियोजना' वहाँ लग रही है। यह बिहार के कई जिलों से गुजरेगा, किन्तु इसका कोई लाभ बिहार को नहीं मिलेगा। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि इस पाइप-लाइन परियोजना का जाल पूरे बिहार में फैलाने की अनुमति दें ताकि वहाँ की आम जनता को कम दामों पर एक साफ ईंधन मिल सके।

श्री ए.टी. नाना पाटील (जलगाँव) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे 'भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान विधेयक, 2017' पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हुआ हूँ।

हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रभाई मोदी जी और पेट्रोलियम मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। वे एक बहुत महत्त्वपूर्ण बिल इस सदन में लाये हैं। प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में इंडियन इंस्टीट्युट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी की स्थापना को मंज़ूरी दी है। यह संसद में पारित आधिनियम के तहत एक राष्ट्रीय महत्त्व का संस्थान होगा। डिग्रियाँ प्रदान करने के लिए इस संस्थान का संचालन, ढाँचा और आधिकारी उसी तरह के होंगे जैसा कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में है। एक अलग आधिनियम पेट्रोलियम एवं ऊर्जा-अध्ययन के क्षेत्र में उत्कृष्ट केन्द्र बनने के लिए संस्थान को अपेक्षित दर्जा प्रदान करेगा।

जैसा कि इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों में वर्णित है कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन आधिनियम, 2014 की 13वीं अनुसूची की प्रतिबद्धता के तहत इस संस्थान को स्थापित करने का निर्णय किया गया है। इसका उद्देश्य पेट्रोलियम क्षेत्र के लिए कुशल श्रम-शक्ति की आपूर्ति की मात्रा के गुणात्मक अंतर को पूरा करना और क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ावा देना है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस आइआइटी के अनुसंधान और शैक्षिक गतिविधि को इस क्षेत्र से संबंधित गतिविधियों में, जैसे के.जी. बेसीन, विशाखापत्तनम् रिफाइनरी और काकीनाड़ा जैसे प्रस्तावित पेट्रोकेमिकल परिसर तक इस संस्थान की पहुंच से मजबूती मिलेगी।...(व्यवधान) महोदय, अभी मैंने शुरू किया है।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: हमें जल्दी समाप्त करना होगा क्योंकि हमें 'शून्यकाल' लेना है।

[हिन्दी]

श्री ए.टी. नाना पाटील: इस विधेयक के माध्यम से सरकार जनहित के एक और वादे को पूरा करने जा रही है। आज पूरा देश जानता है कि पिछली सरकार ने जो भी वादे किये थे, उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया, लेकिन हमारी सरकार ने जनता से जो वादे किये हैं, उसके साथ-साथ पुरानी सरकार के बचे हुए वादे को भी पूरा करने जा रही है।

मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूँ कि जीएसटी हो, आधार कार्ड हो, भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात हो या देश में कालाधन समाप्त करने का वादा हो, वर्तमान स्थिति यह है कि विश्वविद्यालय के स्थायी कैम्पस की स्थापना के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने कुछ समय पहले विशाखापत्तनम् में अतकापल्ली गांव में 200 एकड़ जमीन बिना मूल्य के सरकार को प्राजेक्ट के लिए दिया है। मैं आंध्र प्रदेश की जनता और वहाँ की सरकार का हृदय से बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय मंत्रिमंडल अर्थात हमारी सरकार ने संस्थान के कैंप्स के लिए 655.46 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई है। इसके आतिरिक्त विश्वविद्यालय के लिए एक 'एन्डोमेन्ट फंड' की स्थापना भी की गई है। इसमें अपने अंशदान के रूप में 200 करोड़ रुपए की धनराशि भी सरकार ने दी है, जो कि उसके द्वारा दी गई 600 करोड़ की धनराशि से अलग होगी। ये तेल कंपनियों द्वारा मुहैया कराई गई है।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की योजना के अनुसार इन कैंप्स में आधुनिक सुविधा से उपयुक्त प्रयोगशालाएं होंगी। ये कैंप्स ई-लाइब्रेरी एवं वाई-फाई सेवाओं जैसी अन्य आधुनिक सुविधाओं से भी लैस होंगे। विश्वविद्यालय ने केमिकल और पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में बी.टेक पाठ्याक्रम की शिक्षा प्रदान करना आरंभ कर दिया है। कुछ ही समय से यह संस्थान स्नातक और डॉक्ट्रेट स्तर जैसे उच्चतम पाठ्याक्रमों की शिक्षा प्रदान करना भी शुरू करेगा। महोदय, मुझे दो मिनट दीजिए। यह संस्थान विश्व स्तरीय तकनीकों के माध्यम से मानव संसाधनों का पोषण करने के लिए मूल स्रोत के रूप में कार्य करेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत सरकार ने इस संस्थान को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया है, ताकि यहाँ पर उच्च गुणवत्ता की सुविधाएं उपलब्ध हों। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि यह संस्थान निकट भविष्य में भारतीय और वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र में अग्रणी ख्याति प्राप्त करेगा तथा पेट्रोलियम ही नहीं, बल्कि प्राकृतिक गैस, जैविक-ईंधन तथा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में भी सक्रिय रूप से अनुसंधान और विकास करेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे विश्वास है कि यह प्रस्तावित संस्थान एक आधुनिक सुविधायुक्त प्रीमियर संस्थान के रूप में खुद को स्थापित करेगा। मैं आँध्र प्रदेश की जनता तथा सरकार को इस अवसर पर बधाई देता हूँ, क्योंकि वहाँ एक विश्वस्तरीय तथा प्रौद्योगिकीय शिक्षा का संस्थान स्थापित किया जा रहा है। इसके लिए मैं माननीय प्रधान मंत्री जी के साथ-साथ हमारे पेट्रोलियम मंत्री जी का भी हृदय से स्वागत करता हूँ।

श्री भगवंत मान (संगरूर): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भारतीय पेट्रोलियम एवं ऊर्जा संस्थान बिल पर बोलने का अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के माध्यम से विशाखापट्नम में जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम स्थापित किया जा रहा है, वह एक बहुत अच्छा इनिशिऐटिव है। पूरी दुनिया में पेट्रोलियम के अलावा अन्य ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज़ की खोज की जा रही है। भारत में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर खोज करने का बहुत अच्छा स्कोप है। हम अपने देश में सिर्फ 20 पर सेंट ही कच्चे तेल की पूर्ति कर पाते हैं, बाकी तेल हमें दूसरे देशों से लेना पड़ता है। भगवान ने भारत की धरती को बहुत से खनिज पदार्थ दिए हैं। हमारे यहाँ कोयला, पेट्रोलियम आदि कई खनिज पदार्थ हैं। ऐसे इंस्टीट्यूट्स की वजह से नई उम्र के लड़के जो डिग्रियाँ हासिल करेंगे, उनके माध्यम से इस क्षेत्र में नई खोज होगी। आज इस प्रकार की नई खोज की जरूरत है। मेरे द्वारा बोलने से पहले भी यह बात चली थी कि पंजाब के भटिंडा में भी एक तेल की रिफाइनरी है। मैं चाहता हूँ कि इस प्रकार का एक इंस्टीट्यूट भटिंडा में भी खोला जाए। मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे यहाँ टैलेन्ट की कमी नहीं है। पेट्रो-कनेडा कंपनी और अमेरिका में जितनी भी ऑयल सैक्टर की कंपनियाँ हैं, वहाँ भारतीय इंजीनियरों की संख्या बहुत ज्यादा है। हमें मजबूरी के कारण यहाँ के संस्थानों से डिग्रियाँ प्राप्त करने के बाद इन जगहों पर जाना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ प्लेसमेंट्स नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, भारत में पेट्रोलियम क्षेत्र को और आगे लेकर जाने की जरूरत है। आज नॉर्थ इंडिया में भटिंडा, संगरूर और ऐसे चार-पाँच अन्य स्टेट्स जुड़ते हैं। वहाँ एयरपोर्ट भी है। वहाँ रेलवे भी पहुँचती है। मैं चाहूँगा कि मंत्री जी इस ओर भी कृपया ध्यान दें और नॉर्थ इंडिया में भी एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एण्ड एनर्जी दिया जाए, ताकि हमारे जो टैलेन्टिड इंजीनियर्स हैं, वे इसी देश में अपनी सेवाएं प्रदान कर सकें। धन्यवाद।

डॉ. अरूण कुमार (जहानाबाद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार का इनिशिऐटिव इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एण्ड एनर्जी खोलने का है। देहरादून में इससे संबंधित एक संस्थान है, लेकिन आज जिस तरह सरकार ने देश की एक बड़ी आबादी की समस्याओं और उनकी चुनौतियों को ऐड्रेस किया है, उससे डिमाण्ड काफी बढ़ गई है।

उज्ज्वला एक ऐसी योजना है जिसके तहत हम बड़े व्यापक तरीके से गांव में प्रवेश कर चुके हैं। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि एनर्जी शब्द बहुत ही व्यापक है। दुष्यंत जी ने कहा कि हमें रिन्यूएबल एनर्जी पर जोर देने की जरूरत है। दुनिया के बाजार में आज सोलर और विण्ड एनर्जी पर शोध हो रहे हैं। हमारे यहां भी इस क्षेत्र में नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने एक नया आयाम देने का काम किया है। निश्चित तौर से हमें शोध प्रबंधन को मजबूत करने की जरूरत है। जैसे-जैसे हम पेट्रोलियम क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और गांव, खेत-खलिहान में इसकी आवश्यकता महसूस हो रही है, हम वहां तक प्रवेश कर चुके हैं। बीपीएल परिवारों में जाने के बाद हमें सेफ्टी का भी प्रबंधन करना चाहिए। इसलिए ऐसे संस्थानों के खुलने से अंतर्राष्ट्रीय मानक का संस्थान इसे बनाने के लिए हमें दुनिया के अग्रणी राष्ट्रों से भी समझौता करना चाहिए। उस समझौते के तहत हमारे यहां भी रिसर्च वर्क हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संस्थान यह बने, इससे कई तरह के लाभ, चूंकि ज्ञान सबसे बड़ी पूंजी है, इस पूंजी को जितना परिष्कृत करेंगे, उतना अच्छा होगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि बिहार में बरौनी रिफाइनरी है, इसी तरह से आगरा में तेल रिफाइनरी से जो गैस निकलती है, हमारा विज्ञान पता नहीं कहां तक सक्षम है, वह लगातार 24 घण्टे जलती रहता है। हम उसको यदि टैपिंग करें, उसकी बॉटलिंग करें तो उससे काफी लाभ होगा, इसलिए रिसर्च के माध्यम से इसकी टैपिंग और बॉटलिंग का भी प्रबंध करना चाहिए। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं इस विधेयक का अक्षरशः समर्थन करता हूं। मैं इस अवसर पर डॉ. मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली तत्कालीन यू.पी.ए. सरकार को आंध्र प्रदेश को दो भागों में विभाजित करने का साहसिक निर्णय लेने के लिए बधाई देता हूं ताकि इस संस्थान की स्थापना अपनी प्रतिबद्धता के रूप में हो सके। साथ ही मैं इस अवसर पर श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली एन.डी.ए. सरकार को यू.पी.ए. सरकार द्वारा की गई प्रतिबद्धता का सम्मान करने के लिए बधाई देता हूं। मैं राष्ट्रीय महत्व और प्रतिष्ठा के इस संस्थान की स्थापना के लिए ऐसी भूमि प्रदान करने के लिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और राज्य सरकार को भी बधाई देना चाहता हूं।

यह समय की मांग है और इसमें कोई संदेह नहीं है क्योंकि पेट्रोलियम क्षेत्र में हमारे पास राष्ट्रीय महत्व का संस्थान नहीं है। उद्देश्यों और कारणों का कथन भी राष्ट्रीय महत्व के एक संस्थान के बारे में बात करता है। हमें इसे वैश्विक महत्व के संस्थान में परिवर्तित करना होगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस क्षेत्र में हमारी स्थिति शून्य है। भारतीय तेल और गैस कंपनियों की 21 देशों में उपस्थिति है। फिर भी हमारे पास तेल अन्वेषण में विशेषज्ञता और जनशक्ति नहीं है। उस क्षेत्र में हमारी कमी है और हमें उस मुद्दे का समाधान करना होगा। मुझे लगता है कि यह संस्थान तेल और गैस के क्षेत्र को प्रोफेशनल विशेषज्ञ प्रदान करेगा। इसलिए, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

<u>अपराह्न 2.24 बजे</u> (माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

इस क्षेत्र में प्रोफेशनल्स की कमी पर ध्यान दिया जाना चाहिए। हम जानते हैं कि हमारी तेल की आवश्यकता का 70 से 75 प्रतिशत आयात किया जा रहा है। हमारी विदेशी मुद्रा का एक बड़ा हिस्सा इस क्षेत्र के लिए खर्च किया जा रहा है। अभी भी तेल क्षेत्र में हमारे पास आत्मनिर्भरता नहीं है। मैंने तत्कालीन मंत्री श्री वीरप्पा मोइली जी से बात की थी। उनके अनुसार, राजस्थान राज्य में भी हमारे पास तेल के प्रचुर संसाधन हैं। लेकिन दुर्भाग्य से हम राजस्थान में और यहां तक कि असम में भी तेल का पता नहीं लगा पा रहे हैं। इसलिए

मेरा सुझाव यह है कि तेल अन्वेषण को प्रमुख महत्व या महत्वपूर्ण महत्व दिया जाना चाहिए जिसके लिए तेल अन्वेषण प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता भी अत्यधिक आवश्यक है। मुझे उम्मीद है कि यह संस्थान इस दिशा में बहुत मदद करेगा। यही सुझाव है।

असम में, बेंगलुरु में और रायबरेली में राजीव गांधी पेट्रोलियम संस्थान जैसे कई अन्य संस्थान हैं। मेरा सुझाव है कि इन सभी संस्थानों को भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान के दायरे में लाया जाना चाहिए ताकि इनका भी विकास किया जा सके। चौथा सुझाव यह है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में आई.ओ.सी.एल., एच.पी.सी.एल., बी.पी.सी.एल., ओ.एन.जी.सी. और अन्य सभी संगठनों को सार्वजनिक क्षेत्र में ही संरक्षित किया जाना चाहिए।

अंत में, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित एक अनुरोध करना चाहता हूँ। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कंपनी ने 20 वर्ष पहले अपना पूरा संचालन बंद कर दिया है और 27 एकड़ भूमि पिछले 20 वर्षों से बेकार पड़ी है। इस संबंध में कई बार मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा जा चुका है। अभी तक उनकी ओर से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आई है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से उस क्षेत्र में कोई संस्थान शुरू करने और उस भूमि का उपयोग करने का अनुरोध करता हूं।

इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

[हिन्दी]

श्री रविन्दर कुशवाहा (सलेमपुर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज भारतीय पेट्रोलियम ऊर्जा संस्थान विधेयक, 2017 के समर्थन में खड़ा हूं। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय पेट्रोलियम मंत्री, धर्मेन्द्र प्रधान जी को बधाई देता हूं कि वे पेट्रोलियम विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए जो विधेयक लाए हैं। हम समझते हैं कि आन्ध्र प्रदेश के साथ-साथ पूरे हिंदुस्तान के लिए यह एक मिवर्ष बनेगी और विकास की दिशा में यह एक बहुत बड़ा कदम होगा। वहां से हमारे नौजवान उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त करके पेट्रोलियम के क्षेत्र में आएंगे। वे अपनी विशेषज्ञता का अच्छा प्रदर्शन करेंगे। जिससे पेट्रोलियम के कामों में सहूलियत होगी। हम चाहते हैं कि इसी तरह से, जैसे कल हमारे माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने अपने वक्तव्य में कहा था कि वर्ष में 5 लाख दुर्घटनाएं होती हैं, डेढ़ लाख लोग मारे जाते हैं। हम सरकार से चाहते हैं कि इसी तरह से ट्रांस्पोर्ट विश्वविद्यालय की भी व्यवस्था की जाए। जिसमें बच्चे पढ़ें और हमारी सड़कों की जो स्थिति है, दुर्घटनाएं होती हैं तो ऐसी दुर्घटनाएं बंद हों।

इसी तरह से हमारे रेल मंत्री, सुरेश प्रभु जी ने कहा था कि रेल विश्वविद्यालय की स्थापना हो तो हम चाहते हैं कि रेल विश्वविद्यालय की भी स्थापना हो। जिसमें हमारे नौजवान उच्च कोटि की विशेषज्ञता हासिल करके आगे आएं और देश हित में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री महोदय से दो-तीन बातें आग्रह करना चाहूंगा। भारत में रिसर्च की स्थिति बहुत दयनीय है। यदि आप दुनिया के मानचित्र में देखें तो पाएंगे कि प्रतिभा की कमी नहीं है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एण्ड एनर्जी बिल मील का पत्थर साबित होगा। यह आवश्यक है। मेरा कहना है कि शोध और विशेषज्ञों पर सबसे आधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। हम दुनिया से एक या दो नहीं, बल्कि 70-75 प्रतिशत आयात करते हैं, जबकि हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं। लेकिन यदि हम विशेषज्ञ के अभाव में 70 सालों में आत्मनिर्भर नहीं हो पाए हैं, जिसमें यू.पी.ए. की सरकार के बाद एक बड़ी पहल हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी और धर्मेन्द्र प्रधान जी ने की है। मेरा सिर्फ यह कहना है कि नॉर्थ इलाके में, जहां सबसे पहले असम में रिसर्च की आवश्यकता है, यह बात आप जानते हैं, क्योंकि जब आप चीन बॉर्डर के इलाके में जाएंगे, वहां रिसर्चर पर बहुत ज्यादा शोध की आवश्यकता है। मेरा आग्रह है कि ऐसे इंस्टीट्यूट्स को नॉर्दर्न इलाके में भी लाने की आवश्यकता है। जैसे सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी के साथ अल्टरनेटिव एनर्जी पर भी आपको बहुत ज्यादा खोज करने की आवश्यकता है। हमें इस पर ध्यान देना चाहिए।

बिहार के हल्दिया प्रोजेक्ट पर बहुत गंभीरता के साथ ध्यान देने की आवश्यकता है। मेरा अंतिम बिंदु यह है कि हमारे यहां बरौनी रिफाइनरी है और 70 सालों में सिर्फ एक ही सबसे बड़ी रिफाइनरी है। उसको कैसे डेवलप किया जाए? मेरा एक सुझाव यह है कि सी.आर.एस. के माध्यम से जो सबसे ज्यादा धन अर्जन करने वाली कंपनी है। आप की जो ओ.एन.जी.सी. है, आप इंस्टीट्यूट को उसी के धन से डेवलप कर सकते हैं, अगर मंत्रालय से आवश्यकता कम पड़ेगी।

पूर्णिया, बंगाल, कटिहार, बायसी और किशनगंज इलाकों में अत्यधिक पेट्रोलियम पदार्थ पाने के लिए, देखा गया है कि जो बरौनी से पूर्णिया का इलाका जो गंगा के इस पार में हल्दिया के बीच में है। उस पर शोध करने की आवश्यकता है। आपसे मेरी मांग है कि पूर्णिया, बायसी, बंगाल और असम के बीच जो अत्यधिक भंडारण है, उस भंडारण को खोजने की आवश्यकता है। भारत में भंडारण की कमी नहीं है, लेकिन शोध और रिसर्च में कमी है। मैं आपको ऐसा इंस्टीट्यूट खोलने के लिए बधाई देता हूं। लेकिन आप सिर्फ उनकी संख्या

बढ़ा दीजिए। आई.आई.टी., रुड़की से आपने जो कम्पेयर किया है, वह ठीक नहीं है। मैं समझता हूं कि इनकी संख्या और बढ़ाने की आवश्यकता है। धन्यवाद।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण बिल पर एक सार्थक चर्चा माननीय सदस्यों के माध्यम से कराई है। 23 सम्माननीय सदस्यों ने अपने महत्वपूर्ण सुझाव इस बिल पर दिये हैं। मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं कि यह बिल आंध्र प्रदेश में पेट्रोलियम और इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट बनाने के लिए आया था, लेकिन सारे मित्रों ने पूरे पेट्रोलियम इकोनोमिक्स और मौजूद हाइड्रो कार्बन इंडस्ट्री की भारत के संबंध में जो-जो चुनौतियां हैं, जैसे डिमांड्स फॉर ग्रांट पर डिस्कशन होता है, सबने वैसे ही सुझाव दिये हैं। यह मेरे लिए मार्गदर्शिका के रूप में काम करेगा। मैं उसे अन्य समय में काम में भी लगाऊंगा। आज उत्तर देते समय आपने इंस्टीट्यूट के बारे जो कुछ मूलभूत सुझाव दिये हैं, उन्हें मैं आदर के साथ ग्रहण करते हुए अपने विषय को सीमित रखूंगा।

महोदया, इसमें कोई दो मत नहीं हैं कि अगर अमरीका में शैल गैस का उद्भावन नहीं होता तो शायद विश्व की राजनीति और अर्थनीति दोनों कुछ और होतीं। शायद आज विश्व में तेल के दाम 100 डालर पर बरकरार रहते और खाड़ी के देशों में पूरे तनाव का वातावरण जारी रहता। अमरीका ने शैल गैस का उद्भावन किया, आविष्कार किया, उसके कारण आज विश्व में तनाव घटा है और तेल के दाम पचास डालर के ऊपर नहीं जा रहे हैं। मेरे मित्र अधीर जी ने कहा कि मैं सौभाग्यशाली हूं, मेरे प्रधान मंत्री जी सौभाग्यशाली हैं, देश की जनता सौभाग्यशाली है, इसलिए विश्व में तेल के दाम इस स्थिति में हैं। अधीर जी इसका मूल कारण यह है कि आज रिसर्च और विज्ञान ने ही इस प्रकार के नये आयाम को खोज निकाला है और इसलिए आज शैल गैस की अर्थ नीति बन पाई है। अगर ह्यूस्टन में दो-तीन अच्छे पेट्रोलियम इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट न होते तो शायद इंस्टीट्यूट और लेबोरेटरी के एक्सपेरिमैन्ट, कमर्शियल एक्सपेरिमेन्ट ऑयल और गैस फील्ड में नहीं होते। जो एक्सपेरिमेन्ट्स तीस सालों तक चले, उसके कारण आज विश्व में तेल की एक नई इकोनोमी उभरकर आई है। मैं आभारी हूं कि जिस परिस्थिति में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन बिल पर मेरे मित्र तथागत जी ने कहा कि यह राजनीतिक निर्णय है। मैं तथागत जी को बताना चाहता हूं कि मैं पिछली लोक सभा में नहीं था, आप यहां थे,

आप ही लोगों ने उस पर निर्णय करके फैसला किया था कि एक नया इंस्टीट्यूट होना चाहिए। हम आपकी प्रशंसा न करें, मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है। हम आपके आभारी हैं, देश की पुनर्रचना में आप लोगों ने भी योगदान दिया है। पिछली सरकार ने सही तरीके से पुनर्गठन के अवसर पर देश की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आंध्र प्रदेश में नेशनल इम्पार्टेंस की एक इंस्टीट्यूट तय की। लेकिन मैं आभारी हूं कि आपने पेट्रोलियम और इनर्जी के लिए एक इंस्टीट्यूट आंध्र प्रदेश में तय किया। मैं कहना चाहता हूं कि इसका एक फ्यूचरिस्टिक इम्पैक्ट रहेगा तथा आगे आने वाले समय में आंध्र प्रदेश में क्या-क्या होगा। इसका लाभ सिर्फ आंध्र प्रदेश में नहीं होगा, इसका लाभ देश की अर्थ नीति को होगा, विश्व की अर्थ नीति को होगा, भारत के नौजवानों को रोजगार मिलने में मदद मिलेगी और जिस विषय पर चर्चा की गई है, सिर्फ हाइड्रो कार्बन क्यों। मैं अपने मित्र राघव लखनपाल जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस विषय पर सबका ध्यान आकर्षित किया। इस इंस्टीट्यूट में सिर्फ पेट्रोलियम इंजीनियरिंग और पेट्रोलियम इनर्जी के बारे में रिसर्च या पढ़ाई नहीं होगी, बल्कि वैकल्पिक, नॉन-फॉसिल हाइड्रो कार्बन के बारे में, आल्टरनेटिव इनर्जी के बारे में भी चर्चा होगी।

श्री हरि बाबू ने अपने भाषण में एक महत्वपूर्ण विषय का उल्लेख किया। विश्व में नैक्स्ट जनरेशन की इनर्जी के बारे में कई प्रकार की चर्चा होती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। सोलर, विंड, हाइड्रोजन से इनर्जी उत्पन्न होगी, नये-नये प्रकार के कंजर्वेशन के बारे में चर्चा हो रही है, बायो-फ्यूल्स के बारे में चर्चा हो रही है, ऐसे ही एक विषय गैस हाइड्रेट के बारे में चर्चा हो रही है। जापान, अमरीका, चीन और भारत ये चार अग्रणी अर्थव्यवस्था गैस हाइड्रेट के बारे में शोध कर रहे हैं। गैस हाइड्रेट यही होती है जो आइसक्रीम बन जाती है। हजारों मीटर जमीन के नीचे समुद्र की गहराई में, सीबैड पर जब वातावरण अत्यधिक ठण्डा हो जाता है, हाइड्रो कार्बन, पैट्रोलियम पदार्थ आईसक्रीम का रूप ले लेता है। अभी जो विश्व में तीन-चार जगहों पर पर्याप्त मात्रा में गैस हाइड्रेट की अनुसंधान की सफलता मिली है, उसमें मैं गर्व के साथ इस लोक सभा के पटल पर भारतीय जनता को सूचित करना चाहता हूँ कि कृष्णा-गोदावरी बेसिन एक प्रोलिफिक बेसिन बनती दिख रही है, जिसमें आने वाले दिनों में कई सौ वर्षों तक, शायद भारत की एनर्जी आवश्यकता को पूरा कर सवती है। चुनौती कहाँ है? चुनौती इसी में है कि उसको कैसे हम मॉनिटाइज़ कर पाए। उसको कैसे हम बाहर ले कर आ पाए। मैं

इसीलिए आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आपने आंध्र प्रदेश के विशाखापटनम को इसके लिए सही जगह चुना है। आन्ध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य बन रहा है, जहां रिफाइनरी है। जहां के.जी. बेसिन, जो दुनिया की, हमारा तो सपना यह होना चाहिए कि आज ह्युस्टन का जो स्थान विश्व की तेल अर्थनीति में है, विज्ञान के अनुसंधान में है, व्यवसाय में है, वह के.जी. बेसिन का भी हो।

यह अलग बात है कि मेरे कुछ मित्रों को प्राइवेट सैक्टर के बारे में एक पैथोलॉजिकल हेट्रेडनेस है। उनकी वह समझ है। उनकी जो सोच है, वे वही कहेंगे। बाकी आज इस देश की सहमति है, विज्ञान, व्यवसाय, संस्थान आदि इन सभी का एक मेलजोल बिठाना पड़ेगा। आज अमरीका अगर विकसित हुआ है। हम पांच चीज़ों में अमरीका के साथ सहमत नहीं हो सकते हैं। लेकिन अमरीका के विकास के मॉडल को हम नज़रअंदाज़ भी नहीं कर सकते हैं या विश्व के किसी भी आधुनिक इलाके के विकास मॉडल को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते हैं। उसके पीछे कारण क्या है? उन्होंने इस तालमेल को ठीक से बना कर रखा है। क्या हमारे वाइज़ैक, विशाखापटनम, काकीनाडा या राजामुंदरी आने वाले दिनों में ह्युस्टन नहीं बन सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये ह्युस्टन बन सकते हैं। इसका मूल बीज शायद यह इण्डियन इंस्टिट्युट ऑफ पैट्रोलियम एण्ड इंजीनियरिंग से ही निकलेगा। आने वाले दिनों में रिसर्च, विज्ञान और अनुसंधान इन सब पर जोर दिया जाएगा, अर्थ का कोई अभाव नहीं रहेगा। आंध्र प्रदेश सरकार का मैं आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने दो सौ एकड़ जमीन बिना पैसा के उपलब्ध कराई है। मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने सही कदम उठाया है।

श्री अधीर रंजन चौधरी: धमेन्द्र जी, आपने मिथनॉल के बारे में कुछ सोचा है?

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : दादा, आज कम से कम आईआईपीई के बारे में सोचें। बाकी आप कभी भी प्रश्न पूछिए, मैं तो सौभाग्यशाली रहूंगा कि आपने प्रश्न पूछा और मैं उसका उत्तर भी दूंगा। आज तो हम आईआईपीई के बारे में सीमित रहें। इसमें आने वाले दिनों में, जैसे मैंने कहा है कि आंध्र प्रदेश में क्या-क्या होने वाला है। कोई जरूरी नहीं कि जो क्रूड ऑयल उत्पादित होगा, विश्व में क्रूड ऑयल उत्पादित हो रहा है, भारत में क्रूड ऑयल उत्पादित हो रहा है, कोई जरूरी नहीं है कि ये सारा ट्रांस्पोर्टेशन फ्युल में ही आएगा। आने वाले दिनों मे भारत में किसी

सामान्य व्यक्ति के घर में कोई अर्थनीतिक परिवर्तन होता है, तो उसके अपने घर में फर्क दिखने लगता है। उसके पहनावे में, उसके रहन-सहन में, उसके घर में परिवर्तन आता है।

पर्यावरण के बारे में हम सब सजग हैं। मेरे प्रधान मंत्री कोप-21 में खुद को प्रतिबद्ध कर के आए हैं कि दुनिया हमारी जिम्मेदारी को समझे। अभी अमरीका ने हाथ खींच लिया कि हम कोप-21 को नहीं मानते हैं। प्रकाश जी उसका समझौता कर के आए थे। प्रधान मंत्री जी ने विश्व को कहा कि भारत पर्यावरण में सबसे आगे हैं। हम कोई प्रदूषणकारी देश नहीं हैं। हम तो सबसे कम प्रदूषणकारी देश हैं। दुनिया के प्रदूषणकारी हमें समझाते हैं, लेकिन उसके बावजूद जब अमरीका ने हाथ खींचे तो प्रधान मंत्री जी ने विश्व के नागरिकों को कहा कि भारत अपनी उत्तरदेही पूरी करेगा और हम कोप-21 के प्रति प्रतिबद्ध हैं। इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि जो हाइड्रोकार्बन आएगा, उसको हमें ट्रांस्पोर्टेशन फ्यूल में परिवर्तित करना है। हमें क्या करना चाहिए, यह संस्थान उसकी क्या जिम्मेदारी लेगा, आने वाले दिनों में क्या गरीबों के घरों में प्लास्टिक की कुर्सी नहीं बननी चाहिए ? क्या गरीब लोगों को पहनावा नहीं पहनना चाहिए? नग्न लोग अगर टैरीकॉटन के सस्ते कपड़े पहनते हैं तो क्या यह नहीं होना चाहिए? आज की आधुनिक जिंदगी में सबसे ज्यादा आवश्यकता में, हमारे परिधानों में, हमारे दिन प्रति दिन के जीवन में बहुत सी चीज़ें हैं, जो पैट्रोकैमिकल प्रोडक्ट से बनती हैं। यह जो माइक्रोफोन हमारे हाथ में है, यह भी पैट्रोकैमिकल प्रोडक्ट है।

तथागत जी, आप अपने कान पर लगाकर जिससे सुन रहे हैं, यह भी क्रूड ऑयल से ही निकलकर आता है। इसलिए आप थोड़ा पूर्वाग्रह छोड़ दीजिए, मैं हूँ, ठीक है, मेरे प्रति आपका बड़ा आदर है, मैं आभारी हूँ। आप मेरे बड़े भाई हैं, मेरे सांसद हैं।

श्री तथागत सत्पथी: हम तो आपको सपोर्ट करते हैं।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : आप क्या करते हो, यह सब जानते हैं। इस विषय में हम थोड़ा बड़ा सोचें। मैं इस सदन का आभारी हूँ कि आप सबने एक-आध कुछ सुझाव दिया है, एक-आध कुछ मौलिक प्रश्न उठाया, आपने अपने इलाके की अपेक्षा को भी कहा, यही तो संसद का उद्देश्य है, लेकिन सबने यह सहमत किया कि यह रिसर्च

इंस्टीट्यूट होना चाहिए, यह सेन्टर ऑफ एक्सिलेंस होना चाहिए, इसमें पर्याप्त अनुसन्धान होना चाहिए, रोजगार के बारे में सोचा जाना चाहिए। लोकल रोजगार पर निश्चित रूप में ध्यान दिया जायेगा। जो सारा नॉन-टीचिंग स्टॉफ होगा, बाहर से लाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, आन्ध्र प्रदेश के नौजवान उसमें आयेंगे। आपने सेफ्टी के बारे में कहा, उसके बारे में भी अध्ययन होगा। यह भी कहा कि सरकार क्यों पैसा खर्च कर रही है और पेट्रोलियम कम्पनियों को भी उसमें करना चाहिए। मैं इस सदन को अन्त में यह भी सूचित करना चाहूँगा कि इस प्रोजेक्ट में भारत सरकार का पैसा है, उसके साथ-साथ, यह भी व्यवस्था थी कि भारत सरकार ही उसको बनायेगी, यही पिछली बार आप लोगों ने, पिछले दिनों में कानून बनाते हुए उसको तय किया था, उस प्रतिबद्धता को हम स्वीकार करते हैं, उसको दोहराते हैं। उसके साथ-साथ ऑयल कंपनी भी अपना कान्ट्रिब्यूशन करेगी। दोनों मिलकर देश की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आन्ध्र प्रदेश स्थित यह इन्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम इंजीनियरिंग को आपकी अनुमति होगी, आपकी स्वीकृति होगी, उसी पर एक विश्व स्तर का एक इंस्टीट्यूशन बनाया जायेगा, जो आने वाले दिनों में पेट्रो कैमिकल में, ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल में, गैस इकोनॉमी में, अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय में और सारे प्रकार की एनर्जी के व्यवसाय को, वैकल्पिक ऊर्जा के बारे में, सारे प्रकार की वैकल्पिक ऊर्जा और भारत में लम्बे समय तक गरीबों को, प्रधान मंत्री जी प्रतिबद्ध हैं, सस्ती दर पर ऊर्जा पहुँचाना, निरन्तर ऊर्जा पहुँचाना, स्वच्छ ऊर्जा पहुँचाना, सुरक्षित ऊर्जा पहुँचाना। इसके लिए हमारी यह सरकार प्रतिबद्ध है। यह इंस्टीट्यूट इस प्रकार के कामों में नींव का पत्थर होगा। इसके लिए आपकी स्वीकृति चाहिए। मैं अध्यक्षा जी का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस वितर्क को यहाँ रखने का मौका दिया। धन्यवाद।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान नामक संस्था को राष्ट्रीय महत्व की संस्था होना घोषित करने के लिए तथा उसके निगमन और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: अब सभा विधेयक पर खंड -वार विचार आरंभ करेगी।।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 4 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 5 शासी बोर्ड का गठन

माननीय अध्यक्ष: श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन, क्या आप खंड 5 में अपना संशोधन संख्या 1 से 4 प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन (कोल्लम): महोदया, मैं संशोधन संख्या 1 से 5 तक प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 5 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 6 से 8 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 9 संस्थान के कृत्य

माननीय अध्यक्ष: श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन, क्या आप खंड 9 में संशोधन संख्या 6 से से 9 प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री एन.के.प्रेमचंद्रन: हां, महोदया।

मैं प्रस्ताव करता हूँ:

पृष्ठ 4, पंक्ति 26, –

"प्रवेश" *से पहले*

"प्रतिभाशाली छात्रों का" अंतःस्थापित करें। (6)

पृष्ठ 4, पंक्ति 30, –

"का एकीकरण" से पहले

"ज्ञान" अंतःस्थापित करें"। (7)

पृष्ठ 5, पंक्ति 4, –

"छात्रों" के पश्चात

," संकायों, शोधकर्ताओं" अंतःस्थापित करें। (8)

पृष्ठ 5, पंक्ति 7, –

"कर्मचारियों" के पश्चात

",छात्रों, शोधकर्ताओं और संकायों" अंतःस्थापित करें। (9)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री एन.के. प्रेमचंद्रन द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 6 से 9 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखती हूँ।

संशोधन रखे गये और अस्वीकृत कर दिये गये।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि खंड 9 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 10 बोर्ड की शक्तियाँ

माननीय अध्यक्ष: श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन, क्या आप खंड 10 में संशोधन संख्या 10 से से 13 को प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन: जी हां, महोदया।

मैं प्रस्ताव करता हूँ:

पृष्ठ 6, पंक्ति 35, –

"संस्थान के" पश्चात

" अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरक्षण के लिए" (10)

अंतःस्थापित करें।

पृष्ठ 7, पंक्ति 21, –

"फ़ीसों" से पहले

" छात्रों के लिए उचित और वहनीय" अंतःस्थापित करें। (11)

पृष्ठ 7, पंक्ति 35, -

"केंद्रीय सरकार"

के स्थान पर "केंद्रीय मंत्रिमंडल" *प्रतिस्थापित करें*। (12)

पृष्ठ 8, पंक्ति 2, -

"या किसी अधिकारी या किसी प्राधिकारी" के स्थान पर

"या विभागाध्यक्ष के पद से नीचे के नहीं किसी अधिकारी" *प्रतिस्थापित* करें ।(13)

महोदया, संस्थान की फीस उचित और वहनीय होनी चाहिए और ज़मीन का निपटान केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुमति से होना चाहिए, केंद्र सरकार की अनुमति से नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उच्चतम न्यायालय का एक निर्णय है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की संपत्ति का निपटान केंद्रीय मंत्रिमंडल की सहमति के बिना नहीं किया जाएगा, न कि केंद्र सरकार की सहमति के बिना।

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री एन.के. प्रेमचंद्रन द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 10 से 13 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखती हूँ।

संशोधन रखे गये और अस्वीकृत कर दिये गये।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 10 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 11 से 14 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 15 महापरिषद का गठन

माननीय अध्यक्ष: श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन खंड 15 में संशोधन संख्या 14 से 16 को प्रस्तुत करें।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन: मैं प्रस्ताव करता हूँ:

पृष्ठ 8, पंक्ति 34 *के* पश्चात, -

"(कक) केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का सचिव, जो सह-अध्यक्ष होगा।" अंतःस्थापित करें। (14)

पृष्ठ 9, पंक्ति 17, -

"अध्यक्ष " *के स्थान पर*

"केंद्रीय सरकार" *प्रतिस्थापित* करें।(15)

पृष्ठ 9, पंक्तियां 19 और 20,-

"अपने अधिवेशन में उपस्थित होने के लिए" *से पहले*

"केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से" *अंतःस्थापित करें*।(16)

महोदया, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रतिनिधि किसी भी परिषद या सीनेट में नहीं हैं क्योंकि पेट्रोलियम मंत्रालय पर्यावरण मंत्रालय से निकटता से जुड़ा हुआ है। उनका प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए। अगर मंत्री जी आश्वस्त कर सकते हैं, तो मैं वापस ले लूंगा।

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 14 से 16 को सभा में मतदान हेतु रखता हूँ।

संशोधन रखे गये और अस्वीकृत कर दिये गये।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 15 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 15 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 16 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 17 सिनेट

माननीय अध्यक्ष: श्री एन.के. प्रेमचंद्रन, क्या आप खंड 17 में संशोधन संख्या 17 को प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन: महोदया, मैं अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 17 से 32 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 17 से 32 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 33 परिनियम किस प्रकार बनाए जाएंगे

माननीय अध्यक्ष: श्री एन.के. प्रेमचंद्रन, क्या आप खंड 33 में संशोधन संख्या 18 को प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री एन.के.प्रेमचंद्रन: हां महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

पृष्ठ 13, पंक्तियां 35 और 36, -

"(2) बोर्ड, केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से इस धारा में इसके पश्चात उपबंधित रीति से, समय-समय पर नए या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा या उनको संशोधित या निरसित कर सकेगा और यह राजपत्र में अधिसूचना की तारीख से प्रवृत्त होगा।" *प्रतिस्थापित करें*। (18)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं खंड 33 में श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा प्रस्तुत संशोधन सं. 18 को सभा में मतदान हेतु रखता हूँ।

संशोधन रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 33 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 33 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 34 से 36 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 37 माध्यस्थम अधिकरण

माननीय अध्यक्ष: श्री एन.के. प्रेमचंद्रन, क्या आप खंड 37 में संशोधन संख्या 19 को प्रस्तुत कर रहे हैं

श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन: महोदया, मैं अपना संशोधन पेश नहीं कर रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि खंड 37 से 45 विधेयक का अंग''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 37 से 45 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक को पारित किया जाए। "

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक को पारित किया जाए। "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

———————

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : श्री कामाख्या प्रसाद तासा - उपस्थित नहीं।

श्री गोपाल शेट्टी।

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर) : अध्यक्षा जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरा विषय छोटा-सा है। मैं पूरा पढ़ लूंगा।

अध्यक्षा जी, केन्द्र की जो योजनाएं चलती हैं, पूरे देश भर में, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में, उन पर अमल नहीं किया जाता है। चाहे केन्द्र के आधिकारी हों, चाहे राज्य के आधिकारी हों, उन्हें ऐसा लगता है कि शहर में सब श्रीमंत लोग ही रहते हैं। मुम्बई जैसे शहर में 60 प्रतिशत लोग झोपड़-पट्टी में भी रहते हैं। इसलिए केन्द्र की सभी योजनाओं का लाभ मुम्बई शहर के और देश के सभी शहरों के लोगों को मिलना चाहिए।

अध्यक्षा जी, केन्द्र सरकार की जो एम.एस.डी.पी. स्कीम है, यह स्कीम महाराष्ट्र के सिर्फ चार जिलों और उन 50 कस्बों में ही लागू है। इससे भी मुम्बई शहर को वंचित रखा गया है। हमारे नक़वी जी, जो माइनॉरिटीज़ के लिए काम करते हैं, इन्होंने पूरे देश भर में माइनॉरिटी विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की है। हमारे मुम्बई शहर में, खासकर, जो मालवणी परिसर है, जहां पर 75 प्रतिशत मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं, वहां की लड़कियों के पढ़ने के लिए वहां एक भी कॉलेज नहीं है। इसका परिणाम यह होता है कि बच्चियां दसवीं कक्षा के बाद स्कूल जाते ही नहीं हैं। मेरी सोच है कि अगर बच्चियां पढ़ेंगी तो उनसे शादी करने वाले लड़के भी उनसे ज्यादा पढ़ेंगे। इससे देश की जो ये सारी समस्याएं हैं, वे खत्म हो जाएंगी। मलाड में इसके लिए 40 सालों से एक ज़गह रिज़र्व है, लेकिन न तो केन्द्र की सरकार और न ही राज्य की सरकार इसके लिए कोई पहल करती है। मैं मांग करता हूं कि आने वाले दिनों में बहुत जल्दी यहां पर एक विश्वविद्यालय खोला जाए।

केन्द्र सरकार की जो योजना है, जिसके लिए नक़वी जी बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं, यह विश्वविद्यालय यहां पर खुलने से माइनॉरिटी समाज के बच्चों को इससे लाभ मिलेगा।

अध्यक्षा जी, बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, डॉ. मनोज राजोरिया एवं कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री गोपाल शेट्टी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री रोड़मल नागर (राजगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदया, पिछले कुछ वर्षों से रेलवे क्रॉसिंग पर आये दिन होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिये अंडरब्रिज बनाये गए हैं। ये अंडरब्रिज सैद्धांतिक रूप से सफल प्रतीत हो रहे हैं, किंतु व्यावहारिक तौर पर गंभीर समस्याओं को जन्म दे रहे हैं।

महोदया, योजना के तहत सवारधिक अंडरपास ग्रामीण क्षेत्रों में बनाये गए हैं, जहाँ से पूरी ग्रामीण आबादी का आवागमन होता है, साथ ही खेतों में आनेजाने का प्रमुख रास्ता भी यही है। वर्षाकाल में इनमें जल भराव होने तथा पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने से आवागमन पूरी तरह से बंद हो जाता है। रात्रि में किसानों व ग्रामीणजनों के आवागमन में पानी का अनुमान नहीं लगने के कारण कई वाहन, गाड़ी, दो पहिया वाहन आदि डूब जाते हैं, गिर जाते हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र राजगढ़, मध्यप्रदेश में आधिकांश अंडरपास की यही स्थिति बनी हुई है। जिनसे आधिकांश जगहों पर ग्रामीणजनों तथा जो विद्यार्थी पढ़ने के लिए जाते हैं, उनको भारी असुविधा हो रही है।

मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वर्षाकाल में अंडरपास से ग्रामीण क्षेत्र के आवागमन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश प्रसारित करें, जिससे जनमानस विशेषकर ग्रामीणजनों व किसानों को राहत महसूस हो सके। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र, डॉ. मनोज राजोरिया, श्री चन्द्र प्रकाश जोशी, श्री शरद त्रिपाठी, श्री विनोद कुमार सोनकर, श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, श्री राजीव सातव, श्री सुधीर गुप्ता, श्री आलोक संजर, श्री नागेन्द्र सिंह तथा कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री रोड़मल नागर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे (कल्याण): महोदया, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में उल्हासनगर में 100 बिस्तरों वाला एक ई.एस.आई.सी.अस्पताल है। यह चार दशक से अधिक पुराना है। इसमें 13 इमारतें शामिल हैं। हालांकि अस्पताल चार दशक से अधिक पुराना है, लेकिन इसमें पोर्टेबल एक्स-रे मशीन जैसी सुविधाओं का अभाव है। इसमें पल्स ऑक्सीमीटर, डेफिब्रिलेटर, बेडसाइड मॉनिटर और फ्यूमिगेशन मशीन नहीं है। कोई सर्जरी नहीं होती है। अस्पताल में एंबुलेंस भी नहीं है। कई उपकरण 40 वर्ष पुराने हैं।

इस इमारत की संरचनात्मक लेखा परीक्षा आई.आई.टी., मुंबई द्वारा की गयी थी और इसे 'इसकी मरम्मत नहीं हो सकती ' घोषित किया गया था। इमारत को तोड़ने और पुनर्विकास किए जाने की सलाह दी गई है। ई.एस.आई.सी. के पश्चिम क्षेत्र ने यहां दिल्ली स्थित मुख्यालय को प्रस्ताव भेजा है। अस्पताल को तत्काल एक अस्थायी स्थान पर स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। यहां पर भी कई पद खाली हैं। 248 स्वीकृत कार्यबल में से केवल 138 पद भरे गए हैं। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि इस अस्पताल के पुनर्विकास को तत्काल मंजूरी दें, मौजूदा भवन को अस्थायी किराए के स्थान पर स्थानांतरित करें और सुविधा भी प्रदान करें ताकि लाखों लोगों को इसका लाभ मिल सके।

इसके अलावा, जब वे पुनर्विकास करेंगे तब मौजूदा अस्पताल के स्थान पर एक सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल का निर्माण करें।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: डॉ. मनोज राजोरिया को डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) : अध्यक्ष महोदया, मेरे क्षेत्र स्थित छत्तरपुर रेल सुविधाओं की दृष्टि से अभी भी काफी पीछे है। झांसी से खजुराहो तक मात्र एक पैसेंजर ट्रेन चलती थी। अभी पिछले दिनों 13 जून से खजुराहो से भोपाल तथा भोपाल से खजुराहो महामना एक्सप्रेस ट्रेन चलनी प्रारंभ हुई है। इस ट्रेन की जो समयसारणी है, उसका समय ठीक नहीं होने के कारण मेरे संसदीय क्षेत्र के लोगों को इस ट्रेन की सुविधा का जो लाभ मिलना चाहिए, वह उतने अच्छे ढंग से नहीं मिल पा रहा है। यह ट्रेन भोपाल से सुबह 6.50 पर चल कर टीकमगढ़, छत्तरपुर होते हुए खजुराहो दोपहर एक बज कर 40 मिनट पर पहुंचती है और खजुराहो से शाम 4 बज कर 15 मिनट पर चलकर भोपाल में रात्रि 10. 55 पर पहुंचती है।

अध्यक्ष महोदया, टीकमगढ़ तथा छत्तरपुर बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है और यहां के लोग जब शासकीय कार्य हेतु भोपाल जाते हैं, वे शाम की ट्रेन से जाते हैं, तो उनको वहां पर रात्रि में रूकना पड़ता है। दूसरे दिन भोपाल

में अपना काम करा कर फिर शाम को उनको ट्रेन उपलबध नहीं होती है। अगले दिन जब भोपाल से प्रातःकाल ट्रेन मिलती है, तो उसी दिन टीकमगढ़, छत्तरपुर वापिस आते हैं। उन लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वे दो दिनों तक होटल में ठहरने का अपना खर्च वहन कर सकें।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि टीकमगढछत्तरपुर के लोगों की कठिनाइयों को अनुभव करते हुए, महामना एक्सप्रेस की समयसारणी को परिवर्तित करते हुए, इसको खजुराहो से सुबह पाँच छह बजे के आसपास चलाया जाए, ताकि यह ट्रेन 11 बजे के आसपास भोपाल पहुंच जाए और शाम को भोपाल से छह बजे के आसपास चलायी जाए, ताकि खजुराहो रात्रि 12 बजे तक पहुंच जाए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप इतना लंबाचौड़ा न बोलें। अब, अपनी बात समाप्त कीजिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री सुधीर गुप्ता, श्री आलोक संजर, श्री नागेन्द्र सिंह तथा कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को डॉ. वीरेन्द्र कुमार द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

[9*]**श्री संजय काका पाटील (सांगली):** माननीय अध्यक्ष महोदया, अत्यधिक बारिश के कारण जल स्तर बढ़ जाता है जिससे मानसून के दौरान बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। इस बारिश के पानी का उपयोग सिंचाई के लिए किया जा सकता है। मैं इस 'शून्य काल' के दौरान इस पर बोलने की अनुमति देने के लिए आपका आभारी हूँ। मैं इस महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। लगभग 80% लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि और कृषि से संबंधित कार्यों पर निर्भर हैं।

[9*] मूलतः मराठी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

इसलिए खेती को विकसित करने के लिए, किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधाएं प्रदान करना हमारा कर्तव्य है ताकि उनकी समस्याओं को दूर करने में उनकी मदद की जा सके। अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में, नदियों को जोड़ने का कार्यक्रम शुरू किया गया था। लेकिन यू.पी.ए. शासन के दौरान केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय की कमी के कारण यह आगे नहीं बढ़ सका। इस कार्यक्रम के तहत, नदियों, नालों, झीलों, तालाबों और पानी के अन्य स्रोतों को जोड़ने की परिकल्पना की गई थी ताकि इस पानी को सूखा प्रभावित क्षेत्रों की ओर मोड़ा जा सके ताकि इसका उपयोग सिंचाई के लिए किया जा सके। आपके माध्यम से, मैं केंद्र सरकार से एक नई सिंचाई नीति बनाने का अनुरोध करना चाहूंगा और इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को एक बार फिर से चालू किया जाना चाहिए। राज्य सरकारों के साथ बेहतर समन्वय विकसित किया जाना चाहिए और इस परियोजना में अधिक धन लगाया जाना चाहिए। मुझे विश्वास है कि ऐसा करने से सूखे की इन समस्याओं को दूर करके हमारे किसानों को एक नया जीवन मिल जाएगा।

माननीय अध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र जी को श्री संजय काका पाटील जी उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति है।

श्री बी.सेनगुट्टुवन (वेल्लोर): महोदया, मुझे तमिल लोगों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद। तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में वैगई नदी के तट पर स्थित दो गाँव हैं, जिन्हें पल्लिसंधई थिडल और कीझाडी के नाम से जाना जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण लगभग 200 क्षेत्रों में खुदाई कर रहा है और उन्होंने दो क्षेत्रों में खुदाई की है। उत्खनन स्थलों से लगभग 3000 कलाकृतियाँ और अन्य वस्तुएँ बरामद की गई हैं। उन्हें एक ऑनसाइट संग्रहालय में रखने के बजाय बेंगलुरु ले जाया गया है।

जिस व्यक्ति को खुदाई का प्रभारी बनाया गया था, उसे अचानक और बिना किसी स्पष्टीकरण के स्थानांतरित कर दिया गया है। इसलिए, उत्खनन को पूरा करने में काफी देरी हो रही है। मैं संस्कृति मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि मद्रास उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार काम करने और खुदाई के क्षेत्र का विस्तार

करने और एक ऑन-साइट संग्रहालय का निर्माण करने के लिए तुरंत एक और अधिकारी को नामित किया जाए। धन्यवाद, महोदया।

श्री एम.के.राघवन (कोझिकोड): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं इस सम्माननीय सभा में अग्र समुदायों में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सार्वजनिक मुद्दा उठाना चाहता हूँ।

सरकार द्वारा घोषित अधिकांश कल्याणकारी योजनाएं अग्र समुदाय को छोड़कर सभी प्रचलित समुदायों के उत्थान और लाभों से संबंधित हैं।

महोदया, अग्र समुदायों में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए 2006 में सिन्हू आयोग का गठन किया गया था। इसका उद्देश्य शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य देखभाल के लिए वित्तीय सहायता और रोजगार सृजन के माध्यम से कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण करना था।

आयोग ने अग्र समुदायों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग और एक कल्याण निगम के गठन तथा राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर अग्र समुदायों के लिए एक स्थायी आयोग के गठन की सिफारिश की थी। सिफारिशें छह वर्ष पहले केंद्र को सौंपी गई थीं। दुर्भाग्य से, अभी तक कुछ नहीं हुआ है।

महोदया, केंद्र ने पिछड़े वर्गों के लिए एक नया राष्ट्रीय आयोग बनाया था, जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की शिकायतों और शिकायतों को सुनने का अधिकार था। इसके लिए उन्हें सिविल कोर्ट का अधिकार प्राप्त हैं। यह एक स्वागत योग्य उपाय है। बी.पी.एल. के नीचे आने वाले अग्रणी समुदाय भी समान समस्याओं से जूझ रहे हैं।

इसलिए, अग्रणी समुदाय के विकास के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का आयोग बनाना आवश्यक हो गया है। इसलिए, सरकार से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि गरीबी रेखा से नीचे के वर्ग के तहत अग्रणी जातियों के लोगों को भी सरकार से मदद मिले। इसलिए, एक राष्ट्रीय अग्रणी आयोग के गठन के साथ-साथ केरल सरकार द्वारा गठित फॉरवर्ड निगम की तर्ज पर फॉरवर्ड निगम के गठन सहित सिन्हू आयोग की सिफारिशों पर विचार किया जाना चाहिए … (*व्यवधान*)

सरकार को अग्रणी समुदायों के पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए तत्काल पहल करके इसे स्थापित करने की पहल करनी चाहिए। यह सामाजिक न्याय के अंत को भी पूरा कर सकता है। … (*व्यवधान*)

धन्यवाद।

<u>अपराह्न 03.00 बजे</u>

[10*]**श्रीमती अपरूपा पोद्दार (आरामबाग):** माननीय अध्यक्ष महोदया, देश की स्वतंत्रता के इतने सालों के बाद भी, भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत राजा राममोहन राय जी के जन्मस्थल राधानगर, खानाकुल और रामकृष्ण परमहंस जी के जन्मस्थल कमरपुकुर, गोघाट और आस-पास के क्षेत्रों में भयावह बाढ़ से पीड़ित हैं, यह एक दुखद और अत्यंत शर्मनाक स्थिति है। तारकेश्वर के पवित्र स्थल के लोग बाढ़ के कारण बहुत पीड़ित हो रहे हैं। हमारी माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी लाखों फंसे हुए लोगों का समर्थन करने की पूरी कोशिश कर रही हैं।

दमोदर, मुंडेश्वरी, द्वारकेश्वर, रूपनारायण जैसी नदियां आरामबाग से होकर बह रही हैं। सिल्टेशन के कारण, नदी के तलहटी में वृद्धि हो गई है, और नदियाँ अब बहुत तेजी से बह रही हैं। स्थानीय लोग दामोदर घाटी निगम से इतने नाराज हैं कि उन्होंने उसे "दोबनो भाषणो कॉर्पोरेशन" भी कहना शुरू कर दिया है, अर्थात् वह कॉर्पोरेशन जो बाढ़ का कारण हो। योजना के अनुसार, बांधों को 10 लाख क्यूसेक पानी को विनियमित करना चाहिए लेकिन यह नहीं हो रहा है।

गाद के कारण, दुर्गापुर बैराज की वर्तमान स्थिति गंभीर है। स्थिति को ठीक करने के लिए घाटल मास्टर प्लान को तुरंत लागू किया जाना चाहिए। इसके अलावा बांधों से गाद जल्द से जल्द हटायी जानी चाहिए।

मैं बाढ़ की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने हेतु केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूँ ताकि निम्न दामोदर घाटी का इतिहास फिर से लिखा जा सके। वह नया इतिहास बाढ़ प्रभावित लोगों के आंसुओं के साथ मिश्रित नहीं होगा। बल्कि जलोढ़ मिट्टी आने वाले दिनों में आम आदमी के लिए एक अद्भुत भविष्य की शुरुआत करेगी। धन्यवाद।

[10*] मूलतः बंगाली में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

[हिन्दी]

श्रीमती रीती पाठक (सीधी) : माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। किसान अन्नदाता कहलाता है। हमें यह भी ज्ञात है कि देश में किसानों का वर्तमान और भविष्य प्रकृति के हवाले हैं। हमने देखा है कि सदन में वर्षों से किसानों के हितों की चिंता के लिए और उनकी स्थिति को ठीक करने के लिए लगातार चर्चा होती आई है। मैं आज बहुत गर्व के साथ कहना चाहती हूं कि किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए जितने भी बेहतरीन प्रयास हुए हैं, माननीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार द्वारा हुए हैं।

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान किसानों की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं। किसान कच्चे माल का उत्पादक है, वह उत्पादन करता है, बाजार में बिक्री करता है, लेकिन वह कच्चे माल से बनने वाले बाए प्रोडक्ट से होने वाले मुनाफे के लाभांश से वंचित रह जाता है। जैसे 75 ग्राम आलू से बनाया गया चिप्स का पैकेट बाजार में 25 रुपए के मूल्य में बिकता है जबकि किसान को कच्चे माल का मूल्य 50-75 पैसे ही मिलता है।

मैं सरकार से अनुरोध करना चाहती हूं कि इस तरह के बाए प्रोडक्ट से होने वाले मुनाफे का लाभांश किसानों का दिया जाए ताकि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके।

माननीय अध्यक्ष: डॉ. मनोज राजोरिया, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, डॉ. किरीट पी. सोलंकी, श्री सी.पी. जोशी और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्रीमती रीति पाठक द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री कामाख्या प्रसाद तासा (जोरहट) : माननीय अध्यक्ष जी, असम का 2/3 एरिया बाढ़ में बह गया था। मैं इस एरिया के लिए इंटर मिनिस्टीरियल टीम बनाने के लिए रिक्वेस्ट करता हूं, इसमें एग्रीकल्चर और वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री रहेगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं कि 2000 करोड़ रुपए दिए, 250 करोड़ रुपए भी दिए। 2000 करोड़ रुपए नार्थ-ईस्ट, 250 करोड़ रुपए असम, 100 करोड़ रुपए ब्रह्मपुत्र कोर्स स्टडी

के लिए दिए गए हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इंटर मिनिस्टीरियल टीम में एक टीम बनाई जाए जो रिपोर्ट बनाए ताकि असम में काम करने की सहूलियत हो सके।

माननीय अध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री जॉर्ज बेकर और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री कामाख्या प्रसाद तासा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

प्रो. ए.एस.आर. नायक (महबूबाबाद): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे सरकार को देशभर में यू.जी.सी. द्वारा विश्वविद्यालय और कॉलेज शिक्षकों के लिए सिफारिश की गई 7वें वेतन आयोग द्वारा सिफारिशित वेतनमानों के कार्यान्वयन के मुद्दे को सरकार के ध्यान में लाने का अवसर दिया। इन वेतनमानों के कार्यान्वयन की अंतिम तिथि 1 जनवरी, 2016 से है।

वेतनमानों को लागू न करने के कारण, गरिमापूर्ण स्थिति में रहने वाले शिक्षाविद सड़कों पर आने और धरना आदि में भाग लेने के लिए मजबूर हैं। आंदोलन में उनकी भागीदारी के कारण, कभी-कभी शैक्षणिक कार्यक्रम भी बाधित होती है। मैं माननीय मंत्री जी से एक अनुरोध करना चाहता हूँ जो शिक्षा प्रणाली में कुछ सुधार लाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। यदि वेतनमानों को समय पर लागू किया जाता है, तो वे शिक्षा प्रणाली में सुधार करने में सरकार की मदद कर सकते हैं। कोई सरकार इसे अस्वीकार नहीं कर रही है और न कोई सरकार इन वेतनमानों के कार्यान्वयन को अस्वीकार करेगी। वे इसे पिछले 2-3 वर्षों से लंबा क्यों कर रहे हैं? इसलिए, वे इस मुद्दे के कारण आंदोलन कर रहे हैं। इसलिए, मैं महोदया के माध्यम से फिर से मंत्रालय से अनुरोध करता हूँ कि वह समय पर उनके वेतनमानों का लागू करे।

[हिन्दी]

श्री राजू शेट्टी (हातकणगले) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपका ध्यान एक बेहद दुखद घटना की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। वर्ष 1952 में हेलसिंकी ओलम्पिक्स में व्यक्तिगत वर्ग में कांस्य पदक दिलवाने का काम जाने-माने रेसलर स्वर्गीय खाशाबा जाधव ने किया था। लेकिन आज महाराष्ट्र में स्वर्गीय खाशाबा जाधव जी के बेटे ने उस पदक को नीलाम करने का ऐलान किया है। यह बहुत दुखद और शर्मनाक बात है। उसका इस पदक को नीलाम करने का कारण है कि वर्ष 2009 में महाराष्ट्र सरकार ने कुश्ती के लिए स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स बनाने का ऐलान किया था, लेकिन वह आज तक नहीं बना।

अध्यक्ष महोदया, मैं पिछले नौ वर्ष से खाशाबा जाधव जी को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिलवाने की मांग कर रहा हूं, लेकिन केन्द्र सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और न ही राज्य सरकार ने ध्यान दिया। खाशाबा जाधव जी जैसे ओलम्पिंक विनर, जिन्होंने लोगों से चंदा इकट्ठा करके हेलसिंकी ओलम्पिक्स में देश का नाम रोशन किया था, आज अगर उनका बेटा वह पदक नीलामी में बेचना चाहता है, तो यह बहुत शर्मनाक बात है।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि उनके जन्म गांव कराड में कुश्ती स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स बनाने के साथ-साथ उन्हें मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिया जाये।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र,श्री कपिल मोरेश्वर पाटील, कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री ए.टी. नाना पाटील, श्री जॉर्ज बेकर, डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे, श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, श्री अरविंद सावंत, डॉ. हिना विजयकुमार गावीत, श्रीमती रक्षाताई खाडसे, श्री राहुल शेवाले, श्री हेमन्त तुकाराम गोडसे और श्री राजीव सातव को श्री राजू शेट्टी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

श्री वी. एलुमलाई (अरानी): माननीय अध्यक्ष महोदया, वर्तमान में, वस्त्र उद्योग, विशेष रूप से हैंडलूम बुनकर और छोटे व्यापारी, अपने काम को जारी रखने और सुधारने में कई कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। जी.एस.टी.ने बुनकरों पर बोझ बढ़ाया है क्योंकि पावर-लूम इकाइयों की 90 प्रतिशत से अधिक इकाइयां छोटे और लघु क्षेत्र में हैं, और बुनाई में उपयोग किए जाने वाले धागे के लिए 12 प्रतिशत कर का भुगतान किया जा रहा है और प्रसंस्कृत वस्त्रों के लिए कर का भुगतान भी किया जा रहा है। इसलिए, जी.एस.टी. के रूप में अतिरिक्त कर अनुचित है।

मेरे अरानी संसदीय क्षेत्र में, हज़ारों हथकरघा बुनकर परंपरागत रूप से कई दशकों से बुनाई और वस्त्र क्षेत्र में लगे हुए हैं। उनमें से अधिकांश निरक्षर हैं और अपनी आजीविका के लिए केवल बुनाई उद्योग पर निर्भर हैं। उनके पास कंप्यूटर नहीं हैं और वे जी.एस.टी. को ऑनलाइन फाइल करने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। जी.एस.टी. नियम और ऑनलाइन फाइलिंग असंभव है और इन पारंपरिक बुनकरों की पहुंच से बिल्कुल बाहर है। अपनी बहुत कम आय के कारण वे कंप्यूटर नहीं रख सकते या किसी कंप्यूटर-साक्षर लेखाकार को संलग्न नहीं कर सकते ।

इसलिए, मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे बुनकरों की इन जमीनी वास्तविकताओं और कठिनाइयों पर विचार करें और उन्हें छूट दें। हथकरघा बुनकरों और छोटे व्यापारियों को जी.एस.टी. के दायरे से बाहर रखा गया है। धन्यवाद, महोदया।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): महोदया, मैं माननीय सदस्य द्वारा उल्लेख किए गए मुद्दे का समर्थन करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष: हाँ।

श्री रविन्द्र कुमार जेना और डॉ. किरिट पी.सोलंकी को भी श्री वी. एलुमलाई द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री दिनेश त्रिवेदी (बैरकपुर): महोदया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सरकार ने हाल ही में एयर इंडिया के लिए रणनीतिक विनिवेश का प्रस्ताव दिया है और मेरा निवेदन है कि सरकार इस पर पुनर्विचार करे।

मेरा तर्क यह है कि दशकों से एयर इंडिया कसौटी पर खरा उतरा है और मुझे विश्वास है कि सभा में और सभा के बाहर भी सभी मेरे साथ सहमत होंगे कि एयर इंडिया ने वास्तव में देश की सेवा में बहुत अच्छा काम किया है। जब भी हमें दुनिया में कहीं भी किसी भी भारतीय को निकालने के लिए एयर इंडिया की सेवा की आवश्यकता होती थी, तो वह एयर इंडिया और विभिन्न तीर्थयात्राओं आदि के लिए होती थी। एयर इंडिया का इस्तेमाल किया गया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी गर्व से 'एयर इंडिया वन' से यात्रा करते हैं।

एयर इंडिया पायलटों, प्रशिक्षण इंजीनियरों का एक केंद्र रहा है और आज अगर हमारे पास निजी एयरलाइंस हैं, तो यह एयर इंडिया के प्रशिक्षण कार्यक्रम को धन्यवाद है।

श्री के.सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा): एयर इंडिया हमारा राष्ट्रीय वाहक है।

श्री दिनेश त्रिवेदी: हां, यह है, और दुनिया के सभी देश अपने राष्ट्रीय वाहक की रक्षा करते हैं। ... (*व्यवधान*)

महोदया, मैं एक और मिनट लेता हूँ, और मुझे विश्वास है कि मैं इसे समाप्त कर दूंगा।

मैंने हमेशा एयर इंडिया की तुलना एम्स से की है। आज अगर हमारे पास निजी अस्पताल हैं, तो इसके लिए एम्स का धन्यवाद है जिन्होंने तकनीशियन, डॉक्टर, नर्स आदि प्रदान किए।

अंत में, जब निजी क्षेत्र की बात आती है और यदि आप एन.पी.ए. देखते हैं, तो वे लाखों और लाखों करोड़ रुपये में हैं। बैंक उन्हें पुनर्गठन और अन्य सभी सुविधाएं देते हैं। यह भी सरकार का पैसा है। हाल ही में विभिन्न प्रबंधन कौशल और नए व्यक्ति के आने से रेलवे में बहुत अच्छा परिणाम हुआ है और हमारे पास संचालनिक लाभ हो रहे हैं। इसलिए, सरकार से मेरा आग्रह और अनुरोध है कि हमें अपने राष्ट्रीय वाहक पर बहुत गर्व है। समस्या प्रबंधन के साथ थी। हमारे पास निजी एयरलाइनों के लिए आकर्षक मार्ग हैं। सारी समस्या प्रबंधन के कारण है; और सरकार के स्तर पर, यह बुरा था। एयर इंडिया में सबसे अच्छे स्टाफ हैं। मुझे यकीन है, कि एयर इंडिया भी भारत पर गर्व करेगा। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि कृपया इस पर पुनर्विचार करें क्योंकि यह पहले से ही परिचालन लाभ कमा रहा है। निश्चित रूप से कुछ सुधार की आवश्यकता है। आपकी

सभी सीटें भर जाती हैं। मैं आपसे और आपके माध्यम से सरकार से इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष: श्री जितेंद्र चौधरी, श्रीमती पी.के. श्रीमथि टीचर, श्री (मोहम्मद) बदरुद्दोजा खान, श्री शंकर प्रसाद दत्ता, श्री एम.बी. राजेश, डॉ. संजय जायसवाल, श्री राजेन्द्र अग्रवाल, श्री दुष्यंत चौटाला, श्री जॉर्ज बेकर, श्री नारणभाई भीखाभाई काछड़िया, श्री रवींद्र कुमार जेना और श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन को श्री दिनेश त्रिवेदी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अपराह्न 03.11 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन ... जारी

(दो) स्वर्ण पदक विजेता सुश्री पी.यू. चित्रा को लंदन में विश्व चैंपियनशिप में भाग लेने वाले भारत के 24 सदस्यीय दल की सूची से बाहर किए जाने के बारे में

श्री के.सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा): महोदया, मैं इस सम्माननीय सभा के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि हमारे एथलेटिक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा केरल की एक लड़की एथलीट, पी.यू. चित्रा के प्रति बहुत ही भेदभावपूर्ण व्यवहार किया गया है। उन्हें एशियाई चैम्पियनशिप में नम्बर एक के रूप में रैंक किया गया है। उन्हें विश्व चैम्पियनशिप में भाग लेने का अधिकार है। आखिरी समय पर, भारत के एथलेटिक्स एसोसिएशन ने इस लड़की को सूचित किया कि वह अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता का हिस्सा नहीं होगी। केरल उच्च न्यायालय ने भी इस मामले में हस्तक्षेप किया। यह स्पष्ट निर्णय दिया गया है कि उसे सूची में शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन एथलेटिक्स एसोसिएशन किसी की बात नहीं सुन रहा है। माननीय मंत्री जी भी इस मामले में मजबूर हैं। देश इस तरह कैसे चल सकता है? वह केरल के गाँव से एक निम्न स्तरीय गरीब लड़की है। वह राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक उभरती हुई एथलीट बन रही है, लेकिन एथलेटिक्स एसोसिएशन ऐसे उम्मीदवार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित नहीं कर रहा है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस घटना की जांच का आदेश दें ताकि यह पता लग सके कि क्या हुआ है और इस लड़की एथलीट के साथ किस प्रकार का अन्याय किया गया है। इसलिए, मैं सरकार से तत्काल जांच की मांग करता हूँ ताकि लड़की को न्याय मिल सके। एक मामला केरल उच्च न्यायालय में भी है। इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह कृपया इस मामले को देखे। मुझे लगता है कि माननीय मंत्री जी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देना चाहेंगे। (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र जी और डॉ. किरिट पी. सोलंकी जी को श्री के.सी. वेणुगोपाल जी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री अनन्तकुमार): केरल की खिलाड़ी, यू.सी. चित्रा, का मामला चिंता का विषय है। मैं निश्चित रूप से इसे युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री जी के ध्यान में लाऊंगा ताकि उचित कार्रवाई की जा सके। ... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद) : अध्यक्ष महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि समुचित ज्ञान के अभाव में, देश के अन्न पैदा करने वाले किसान, खासकर फल और सब्जियां पैदा करने वाले किसान अपनी फसलों को उगाने के लिए और ज्यादा उत्पादन के लिए अन्धाधुन्ध रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशकों का छिड़काव कर रहे हैं। किसान अनजाने में ऐसा कह रहे हैं, जबकि हमारी सरकार सॉइल हेल्थ कार्ड योजना लाई है और उनको इस बारे में ज्ञान दिया जा रहा है। लेकिन उस किसान से बड़ी गलती उसका व्यापार करने वाले कर रहे हैं, जो रासायनिक दवाइयां फलों-सब्जियों पर छिड़क रहे हैं। उन दवाइयों को डालकर वे उनको जल्दी तैयार करते हैं या फिर बासी सब्जियों को ताजा दिखने के लिए उन पर केमिकल्स डालते हैं। मेरा कहना है कि इसके कारण देश में किडनी, लीवर आदि संबंधी गंभीर बीमारियां लोगों में फैल रही हैं। गरीब लोग इन बीमारियों के महंगे इलाज का खर्च वहन नहीं कर पा रहे हैं। सरकार उनको मदद देती है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप अपनी डिमाण्ड रखिए, लम्बा वक्तव्य मत दीजिए। सवा तीन बज रहे हैं।

श्री सुशील कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदया, इसके लिए जब हम अनुशंसा करते हैं तो आधी-अधूरी धनराशि प्रधानमंत्री सहायता योजना से मिलती है। मेरा कहना है कि इसके लिए एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया जाए, जिससे किसान को इस बारे में बताया जाए और उस पर कुछ पाबन्दियां भी लगाई जाएं। उनको ज्ञान भी दिया जाए और उनको संयमित भी किया जाए, क्योंकि किसानों के बच्चे भी बीमार हो रहे हैं, उनके भी लीवर और किडनी खराब हो रही है। देश के अंदर सरकार इस तरह का मैकेनिज्म डेवलप करे, जिससे किसानों को जागरूक किया जा सके और इस समस्या से देशवासियों को निजात मिल सके। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री आलोक संजर, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री दद्दन मिश्रा, श्री जगदम्बिका पाल, डॉ. मनोज राजोरिया, श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, श्री सुमेधानन्द सरस्वती, श्री चन्द्र प्रकाश जोशी, श्री रवीन्द्र कुमार जेना, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री शरद त्रिपाठी, श्री रोडमल नागर, श्री सुधीर गुप्ता एवं डॉ. वीरेन्द्र कुमार को श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

… (*व्यवधान*)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: श्री एम.बी.राजेश आप केवल एक मुद्दा उठा सकते हैं। आपने दो मुद्दों के नोटिस कैसे दिए हैं?

श्री एम.बी.राजेश (पालक्काड़): महोदया, मैं केवल एक मुद्दा उठाऊंगा।

माननीय अध्यक्ष: हाँ।

श्री एम.बी.राजेश: धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। पूर्व आश्वासन के विपरीत, अब सरकार रक्षा पी.एस.यू. जैसे बी.ई.एम.एल. और अन्य महत्वपूर्ण पी.एस.यू. का विनिवेश कर रही है।

बी.एम.एल. देश में सूचीबद्ध सी.पी.एस.यू. में नंबर एक पर है। पिछले दस वर्षों में बी.ई.एम.एल. का राष्ट्रीय कोष में योगदान केवल टैक्स और डिविडेंड के रूप में 6,500 करोड़ रुपये है। अब सरकार 26 प्रतिशत शेयरों के विनिवेश के साथ ही प्रबंधन नियंत्रण को रणनीतिक खरीददार को सौंप रही है। इसकी सूचना पिछले सप्ताह सभा में दी गई थी। अब निजी खरीददार के पास बी.ई.एम.एल. के 50,000 करोड़ रुपये पर संपत्ति का नियंत्रण होगा। यह और कुछ नहीं बल्कि आय का बहुमूल्य स्रोत समाप्त करने जैसा है।

मैं सरकार से मांग करता हूँ कि कृपया बी.ई.एम.एल. के रणनीतिक विनिवेश के इस फैसले पर पुनर्विचार करें। अगर इस सरकार की देशभक्ति और राष्ट्रीय दावे सच्चे हैं, तो कृपया इस देशविरोधी कार्य से बचें।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : श्री मोहम्मद बदरुद्दोज़ा खान, श्री शंकर प्रसाद दत्ता, श्रीमती पी.के.श्रीमती टीचर, श्री रवीन्द्र कुमार जेना, श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन और श्री पी.के.बिजू को श्री एम.बी.राजेश द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

… (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: श्री गणेश सिंह।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: आप गणेश सिंह नहीं हैं। फिर श्री अधीर रंजन चौधरी।

[हिन्दी]

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर) : अध्यक्ष महोदया, मैं सभी का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं और निमंत्रण देता हूं कि सभी मेरी बात सुनें। एक माननीय एमपी होने के नाते मेरे ऊपर जिस तरह का अत्याचार हो रहा है, मैं उसके बारे में बोलना चाहता हूं। पिछले पांच सालों से एक माननीय एमपी होते हुए भी मुझे अभी तक 'दिशा' की मीटिंग के लिए न्योता नहीं मिला है। मेरे जिला मुर्शिदाबाद में पिछले पांच सालों से 'दिशा' की मीटिंग नहीं हुई है। मेरा एक गुनाह है कि मैं विपक्ष का एक माननीय एमपी हूं। एक कलैक्टर ने 'दिशा' की मीटिंग बुलाने के लिए हिम्मत दिखाई तो उनको तुरंत ट्रांसफर किया गया।...(व्यवधान) पहले यह विजिलैंस एंड मॉनिटरिंग कमेटी थी, अब उसका नाम बदल कर 'दिशा' कर दिया गया है।...(व्यवधान) मेरे साथी बदरुद्दीन जी हैं।...(व्यवधान) पिछले पांच सालों से आज तक 'दिशा' की एक भी मीटिंग नहीं हुई है। इस तरह की लोकतंत्र बंगाल में चल रहा है, मैं इस तरह के लोकतंत्र के खिलाफ हूं। मैं आपसे उम्मीद करता हूं...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप की बात हो गयी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : पांच वर्ष से 'दिशा' नहीं है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री शरद त्रिपाठी और श्री मोहम्मद बदरुद्दोज़ा खान को श्री अधीर रंजन चौधरी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा) : अध्यक्ष महोदया, पिछले नौ मार्च को आदरणीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु जी ने रांची से टोरी-चंदवा के बीच एक नयी रेल लाइन का उद्घाटन किया था और एक पैंसेंजर गाड़ी की शुरुआत की थी, परन्तु वह गाड़ी भी आनियमित चलती है। गाड़ी का एक फेरा होने के कारण, हम लोगों को बहुत कठिनाई होती है क्योंकि झारखंड का पलामू क्षेत्र उग्रवाद से प्रभावित है, इसलिए मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से मांग करूंगा कि गढ़वा रोड तक पलामू के पूरे क्षेत्र लातेहार, चतरा, डालटेनगंज और मणिका को लाभ देने के लिए जो रांची से टोरी पैसेंजर गाड़ी चलाई जाती है, उसके फेरा को आगे बढ़ा कर गढ़वा रोड तक चलायें और इसको दिन में दो बार चलायें ताकि लोगों को सुविधा मिल सके।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री सुनील कुमार सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रहा हूँ।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : बीच में डिस्टर्व नहीं करना चाहिए। मैं जितना काम कर पाउंगी मुझे करने दें, नहीं तो फिर खड़गे जी नाराज हो जायेंगे।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब: यह पारंपरिक टेलिविज़न के लिए लैंडिंग चैनल से संबंधित है। लैंडिंग चैनल एक इन-हाउस चैनल है और यह उनके प्लेटफ़ॉर्म में एम.एस.ओ., एल.सी.ओ. और डी.टी.एच. प्रदाताओं के लिए एक स्लॉट के रूप में उपलब्ध है। प्लेटफॉर्म के लिए इस लैंडिंग चैनल की उपयोगिता यह है कि हर बार जब कोई दर्शक सेट टॉप बॉक्स पर स्विच करता है, तो यह स्वचालित रूप से इस चैनल पर खुल जाता है। उसका उद्देश्य था कि एम.एस.ओ. और एल.सी.ओ. इसे अपनी सेवा प्रचार या तीसरे पक्ष के ब्रांड के प्रचार के लिए उपयोग

कर सकें, और इसके लिए एक मूल्य निर्धारित किया जाता है। ऋण देने वाला चैनल एक नया राजस्व स्रोत बन गया है। यह अलग से एक बुरी बात नहीं लग सकती है। लेकिन प्रति नेटवर्क केवल एक ही लैन्डिंग चैनल स्लॉट होने के कारण कमी पैदा होती है जिसका अर्थ है कि प्रसारण उद्योग में अनुचित और प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथा है। उद्योग को इस नए दुरुपयोग को सही करने की आवश्यकता है क्योंकि यह अच्छी सामग्री को मुख्यधारा में नहीं ल रहा है और जो चैनल इस प्रक्रिया को अपनाने से इनकार करते हैं उन्हें हटाए जाने की आवश्यकता है । इसे उद्योग की स्व नियमन की आवश्यकता है क्योंकि यह प्रतिस्पर्धा को विकृत कर सकता है। यह वैध होने के बावज़ूद एक अनुचित प्रथा है।

यह विशेष रूप से अंग्रेजी चैनलों पर हो रहा है। कुछ प्रसारक अपने चैनल को उच्च दर से अनेक प्रसारकों तक पहुँचाने के लिए लैंडिंग चैनल स्लॉट का उपयोग कर रहे हैं, जिससे चैनल को अधिक दर्शक संख्या और पहुँच प्राप्त करने में मदद मिल रही है। इससे चैनल की दर्शक डेटा में तेजी से वृद्धि होती है क्योंकि दर्शक एक लेंडिंग चैनल से दूसरे में स्थानांतरित होने में समय लेते हैं। यह डिजिटलीकरण के उद्देश्य को विफल करता है। यह दर्शकों को लैन्डिंग चैनल के माध्यम से स्लॉटस देखने के लिए बाधित कर रहा है, जो डिजिटलीकरण के मूल उद्देश्य के विरुद्ध है। नियामक को इन प्रथाओं को रोकना चाहिए और इस प्रकार, झूठे दर्शक डेटा को कम करना चाहिए। । नियामक और सूचना और प्रसारण मंत्रालय को इस समस्या का समाधान करने की आवश्यकता है। मेरी मांग है कि ऋण देने वाले चैनलों पर इस तरह के प्रचार के दौरान कोई बी.ए.आर.सी. वाटरमार्क नहीं होना चाहिए।

अंत में, किसी अन्य चैनल को लिनियर प्लेटफ़ॉर्म पर अनुमति देना अवैध घोषित किया जाना चाहिए, अन्यथा एक ऐसी तकनीक विकसित करनी होगी जिससे चैनल की गतिविधियाँ वितरण प्लेटफ़ॉर्म पर भी लिनियर प्लेटफ़ॉर्म जैसी बनी रहें। मुझे खुशी है कि सूचना और प्रसारण की स्थायी समिति के सभापति भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि सरकार भी इस मुद्दे पर उत्तर देगी। यह देशभर में एक अवैध प्रथा को उत्पन्न कर रहा है और दर्शकों की संख्या को बहुत अधिक प्रभावित कर रहा है। एक विशेष समूह के टीवी चैनलों द्वारा बड़ी मात्रा में धन हड़प रहे हैं ।

माननीय अध्यक्ष: श्री गोपाल शेट्टी, श्री शरद त्रिपाठी, कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल, डॉ. कुलमणि समल, श्री रवीन्द्र कुमार जेना, श्री निशिकांत दुबे, और श्री गजेंद्र सिंह शेखावत को श्री भर्तृहरि महताब द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब) : मैडम स्पीकर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान पंजाब की विस्फोटक सिचुएशन की ओर दिलाना चाहता हूँ।

वहाँ हर रोज़ गैंगवार, लूटिंग, किडनैपिंग और क़त्लो-गारद् हो रही हैं। मैं समझता हूँ कि जैसे दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, बहुत सोचने की बात है कि गैंगवार में जो लोग पकड़े गये, उनका लिंक लुधियाना में हुए एक पारसी के क़त्ल से जुड़ा हुआ है, एक लड़के को गोली मारी गयी, उसके साथ जुड़ा हुआ है।

दुख इस बात का है कि एक ओर यह हो रहा है और दूसरी ओर वहाँ की पुलिस सत्ताधारी लोगों को प्रौपर्टी पर कब्जा करवा रही है।

मैडम, सोचने की बात है कि कामागाटामारू जहाज़ के जो स्वतंत्रता संग्रामी थे, उनमें से बाबा सोन सिंह भगना के साथ जो बचकर आये ज्ञानी लाभ सिंह जी, उनके पुत्र जगरूप सिंह को पुलिस ने...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री शरद त्रिपाठी और श्री पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल जी को श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा जी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

आपने मामला उठाया है।

... (व्यवधान)

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम): महोदया, मेरा 'शून्यकाल' का निवेदन उन बधिर खिलाड़ियों के संबंध में है जिन्होंने डीफ़लिंपिक्स में भाग लिया है।

भारतीय खेल प्राधिकरणों ने सैमसन, तुर्की में आयोजित डीफलिंपिक्स में मेडल विजेताओं का गंभीर अपमान और उपेक्षा की। कल, जब डीफलिंपिक्स में मेडल विजेता दिल्ली एयरपोर्ट पर आए, खेल मंत्रालय से कोई उनका स्वागत करने नहीं गया। यह उन मेडल विजेताओं का अमानवीय अपमान है जो डीफलिंपिक्स में भारत का गौरव बढ़ाने के बाद भारत लौटे। उनके यात्रा कार्यक्रम और अन्य सभी विवरण प्रस्तुत किए गए हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सैमसन , तुर्की में आयोजित डीफलिंपिक्स में भाग लेकर एक स्वर्ण पदक, एक रजत पदक और एक कांस्य पदक जीतने वाले बधिर खिलाड़ी जब लौटे, तो एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने के लिए कोई नहीं था। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।

भेदभाव की एक और घटना है, महोदया। पैरालंपिक में भाग लेने वाले दिव्यांग एथलीटों को स्वर्ण पदक जीतने पर 75 लाख रुपये दिए जाएंगे, लेकिन डीफलिंपिक्स में, तो उन्हें स्वर्ण पदक जीतने पर, केवल 15 लाख रुपये दिए जाएंगे। यह भेदभाव है।

इन दो पहलुओं पर विचार किया जाए। मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से इस पर प्रतिक्रिया चाहता हूँ। श्री अनंत कुमार जी, कृपया उत्तर दें। यह बधिर लोगों से संबंधित मामला है। कृपया इस दृष्टिकोण पर विचार करें।

माननीय अध्यक्ष: श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन , श्री एम. बी. राजेश और श्रीमती पी. के. श्रीमथि टीचर को श्री एन.के. प्रेमचंद्रन द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार हांसदाक (राजमहल) : मैडम, आपका धन्यवाद।

मैडम, मैं अपने यहाँ के नेशनल हाईवे-80 के संबंध में बोलना चाहता हूँ। नेशनल हाईवे-80 बिहार, झारखंड और बंगाल को कनेक्ट करता है। जब से मैंने होश संभाला है, तब से मैंने कभी इस रास्ते को भली अवस्था में नहीं देखा है। वहाँ दो बंगाल कनेक्टिंग पुल हैं, जो बीसों वर्ष से खराब होने के बाद भी आज तक नहीं बने हैं। उस रोड के जो भी टेंडर्स होते हैं, वे तीन किलोमीटर, पाँच किलोमीटर या दस किलोमीटर के पैच में

होते हैं। ये टेंडर्स लोकल टेंडरर्स द्वारा लिए जाते हैं, परंतु एक या दो वर्ष के बाद इनकी अवस्था फिर खराब हो जाती है। मैं 'दिशा' की बैठक में भी अपने क्वेशचंस के उत्तर माँगता हूँ, लेकिन वहाँ इनके कोई पदाधिकारी नहीं आते हैं।

मैडम, आपके माध्यम से मेरी सरकार से यही गुज़ारिश है कि जो भी टेंडर निकाला जाए, कंप्लीटली एक बार में पूरा निकाला जाए और उसकी बढ़िया तरीके से उसकी देख-रेख की जाए। धन्यवाद।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: श्री एस.आर. विजय कुमार, आपको क्या विषय है? आपने किसी विषय का उल्लेख नहीं किया है।

श्री एस.आर. विजय कुमार (चेन्नई केन्द्रीय): माननीय अध्यक्ष महोदया, दिसंबर 2015 में तमिलनाडु में भारी बारिश ने खड़ी फसलों, संपत्ति और सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचाया, इसके अलावा आजीविका को नुकसान पहुंचाया और मानव जीवन और मवेशियों को भी नुकसान पहुंचाया। तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री डॉ. *पुरात्ची थालैवी अम्मा* ने केंद्र सरकार से राज्य सरकार को 25,912.45 करोड़ रुपये जारी करने का अनुरोध किया था लेकिन केंद्र सरकार ने केवल 1,960 करोड़ रुपये प्रदान किए। एक वर्ष बीत जाने के बाद भी, एक केंद्रीय टीम द्वारा निरीक्षण करने और 2015 में भारी बारिश और चक्रवात के कारण हुई तबाही संबंधी एक विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के बाद भी, केंद्र सरकार ने अभी तक तमिलनाडु को पर्याप्त राहत प्रदान नहीं की है।

माननीय अध्यक्ष: आपको पूरा पाठ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको पैसे मिलने हैं। तमिलनाडु यह चाहता है।

श्री पी.आर. सुन्दरम को श्री एस.आर. विजय कुमार द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है

श्री आर. ध्रुवनारायण (चामराजनगर): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं नारियल और सुपारी के किसानों के संबंध में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं जो कर्नाटक में गंभीर समस्या का सामना कर रहे हैं। हमारे राज्य में नारियल और सुपारी मुख्य पौध रोपण फसलें हैं। नारियल 5.06 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में उगाया जाता है और सुपारी 2.64 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में उगाई जाती है। पिछले तीन या चार वर्षों से हम अपने कर्नाटक राज्य में सूखे का सामना कर रहे हैं। इसके कारण दो लाख हेक्टेयर नारियल और 52,000 हेक्टेयर सुपारी की खेती पूरी तरह से सूख जाती है। इस संबंध में, हमारे मुख्यमंत्री ने 17.05.2017 को केंद्र सरकार को पत्र लिखा था, जिसमें वह सुपारी और नारियल के किसानों के लिए लगभग 2,500 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की मांग कर रहे थे। इसके अतिरिक्त, वे प्रति हेक्टेयर प्रति फसल के लिए एन.डी.आर.एफ. दिशानिर्देशों के अनुसार 18,000 रुपये की इनपुट सब्सिडी प्रदान कर रहे हैं जो कि बहुत ही कम और बहुत ही अवैज्ञानिक है। मैं केंद्र सरकार से फसल के नुकसान के लिए एन.डी.आर.एफ. सब्सिडी का वित्तपोषण करने और हमारे राज्य में नारियल और सुपारी के किसानों के लिए विशेष पैकेज जारी करने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद) : अध्यक्ष महोदया, मैं अहमदाबाद का प्रतिनिधित्व करता हूँ। अहमदाबाद शहर बहुत तेजी से विकसित होता हुआ शहर है। वह मेगा-सिटी बन चुका है और उसकी पॉप्युलेशन 17 लाख से भी ज्यादा है। अहमदाबाद के बीच में से रेलवे लाइन का प्रसार भी होता है, जो अहमदाबाद शहर को दो हिस्सों में बाँटती है।

माननीय अध्यक्ष : आप अपनी डिमांड रखिए।

डॉ. किरिट पी. सोलंकी : अहमदाबाद में केंद्रीय विद्यालय वहाँ के पश्चिमी हिस्सों में आए हुए हैं, लेकिन मणिनगर, इंद्रपुरी, अमरायवाड़ी और नरोड़ा जैसे इलाकों में एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं है।

अतः आपके माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि अहमदाबाद के पूर्वी हिस्सों में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की जाए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री शरद त्रिपाठी, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल एवं श्री भैरों प्रसाद मिश्र को डॉ. किरिट पी. सोलंकी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

श्री कलिकेश एन. सिंह देव (बोलंगीर): माननीय अध्यक्ष महोदया, एक तरफ हम चाहते हैं कि भारत ओलंपिक और एशियाई खेलों में अधिक पदक जीते। दूसरी ओर, सरकार स्वयं उन खिलाड़ियों पर जी.एस.टी. लगाकर हमारे खिलाड़ियों की क्षमताओं को हतोत्साहित कर रही है जो पदक विजेताओं की लीग में आने में सक्षम हैं। मैं निशानेबाजी के उस खेल का उल्लेख करना चाहूंगा जहां पहले के प्रसिद्ध निशानेबाजों को निशानेबाजी के खेल के लिए खरीदे गए महंगे उपकरणों के लिए आयात शुल्क और करों से छूट दी गई थी।

जी.एस.टी. लागू होने के बाद निशानेबाजी का खेल और भी महंगा हो गया है। मुझे यकीन है कि कर्नल राठौर, जो निशानेबाजी के इस खेल में कुछ पदक विजेताओं में से एक हैं, इस बात को स्वीकार करेंगे। … (*व्यवधान*) शूटिंग ने अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा पदक जीते हैं। इसलिए, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूँ कि प्रसिद्ध निशानेबाजों को उनके द्वारा खरीदे गए उपकरणों पर जी.एस.टी.का भुगतान करने से छूट दी जाए। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत और डॉ. मनोज राजोरिया को श्री कलिकेश एन. सिंह देव द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण): महोदया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अभी मुंबई विश्वविद्यालय बहुत अराजक स्थिति का सामना कर रहा है। वे लगभग 477 पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षा आयोजित करते हैं; उनमें से, आम तौर पर परिणाम मई या जून के महीने में घोषित किए जाते हैं। अब पहले से ही अगस्त का महीना आरंभ हो चुका है लेकिन परिणाम घोषित नहीं किए गए हैं। हमारे युवा नेता श्री आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र के माननीय राज्यपाल से मुलाकात की। उन्होंने आश्वासन दिया कि जुलाई की 31वीं तारीख तक परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। वह तारीख भी बीत चुकी है। मुंबई विश्वविद्यालय इसमें बुरी

तरह विफल रहा है। कुलपति ने मूल्यांकन के लिए परीक्षा पत्रों को मैनुअल देने के बजाय ऑनलाइन आधार पर मूल्यांकन का विकल्प चुना है। इसके लिए उन्होंने टेंडर जारी कर दिया। उन्होंने तीन बार टेंडर जारी किया। अंत में, टेंडर 50 प्रतिशत कम दर पर स्वीकार किया गया। मुझे इसका कारण नहीं पता। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: यह राज्य का मामला है।

… (*व्यवधान*)

श्री अरविंद सावंत: इसलिए, मैं मांग करता हूँ कि तीन बार निविदा जारी करने का कारण बताया जाए। ... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, श्री राहुल शेवाले, डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे और डॉ. हिना विजयकुमार गावीत जी को श्री अरविंद सावंत जी द्वारा उठाए गए उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री नेफिउ रिओ (नागालैंड): मुझे समय देने के लिए धन्यवाद, महोदया।

मैं भारत और नागा के बीच चल रही राजनीतिक बातचीत और शांति प्रक्रिया के लिए खड़ा हूँ। आप जानते हैं कि सरकार और एन.एस.सी.एन. के बीच एक रूपरेखा पर 3 अगस्त, 2015 को माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, कई विशिष्ट व्यक्तियों और शीर्ष अधिकारियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर हुए थे।

कल इस ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर हुए दो वर्ष पूरे हो गए। भारत सरकार ने महसूस किया कि भारत-नागा संघर्ष कानून और व्यवस्था की समस्या नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक मुद्दा है। इसलिए, भारत की सरकार 1980 के दशक से इसे राजनीतिक माध्यमों से हल करने की कोशिश कर रही है।

यह केवल नागाओं से संबन्धित मुद्दा नहीं है, बल्कि एक राष्ट्रीय मुद्दा भी है। यही कारण है कि सभी पूर्व प्रधानमंत्री इसमें शामिल थे। श्री राजीव गांधी जी और फिर श्री पी.वी.नरसिम्हा राव जी ने एन.एस.सी.एन. नेताओं से मुलाकात की। श्री देव गौड़ा ने 3 फरवरी, 1997 को ज्यूरिख में एन.एस.सी.एन. (आई.एम.) नेताओं से मुलाकात की थी। श्री आई.के. गुजराल ने संसद में वक्तव्य दिया था कि एन.एस.सी.एन. और भारत सरकार

के बीच संघर्ष विराम समझौता 1 अगस्त, 1997 को प्रभावी हुआ था। श्री अटल बिहारी वाजपेयी 1998 में पेरिस में एन.एस.सी.एन. (आई.एम.) नेताओं से मिले। डॉ. मनमोहन सिंह ने वर्ष 2004 में दिल्ली में एन.एस.सी.एन. (आई.एम.) नेताओं से मुलाकात की। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: श्री नेफिउ रिओ , यह ठीक है। आपको अभी पूरा करना है।

… (*व्यवधान*)

श्री नेफिउ रिओ: मैं भारत सरकार से अपील करता हूं कि वह नागालैंड में फरवरी, 2018 को होने वाले आगामी आम विधानसभा चुनाव होने से पहले समाधान निकाले। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: हाँ, मुझे आपकी मांग पता है।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) : माननीय अध्यक्ष जी, हमारे देश में शाकाहारी परिवारों की बड़ी संख्या है। इन परिवारों के बच्चे जो होटल प्रबंधन की शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, होटल में मांसाहार के बढ़े प्रचलन के कारण व्यावहारिक कठिनाइयों की वजह से होटल प्रबंधन के व्यवसाय में नहीं जा रहे हैं। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा केवल शाकाहारी कुकिंग के लिए बीएस.सी डिग्री प्रोग्राम तीन सस्थानों गांधी नगर, भोपाल व जयपुर में प्रारम्भ किया गया है तथा शीघ्र ही भारत के 18 अन्य संस्थानों में प्रारम्भ करने की योजना के कारण इस क्षेत्र में विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ा है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूं कि शाकाहारी छात्रों की संख्या होटल प्रबंधन में बढ़ाने व शाकाहार को बढ़ावा देने के लिए केवल शाकाहारी के साथ होटल व्यवसाय के अन्य क्षेत्रों में भी पाठ्याक्रम प्रारम्भ किए जाएं जिससे रिसर्च फॉर वेजीटेरियन फूड, जिसको हॉस्पीटेलिटी से भी जोड़ा जा सकता है, यह कार्यक्रम प्रारम्भ किया जाए।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र, कुँवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, श्री रोड़मल नागर और श्री आलोक संजर को श्री अजय मिश्र टेनी द्वारा उठाए गए उठाए गए विषयों के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

डॉ. किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं वित्त मंत्री जी और अनंत कुमार जी से जानना चाहता हूं कि यह ... [11*] हवाला ऑपरेटर कौन है? जो 4 करोड़ रुपया बैंगलौर से ट्रांसफर होता है और उसमें से तीन करोड़ रुपया दिल्ली में ... * में आता है...(व्यवधान) ये ... * क्या है?..(व्यवधान) बैंगलौर में एक मां कह रही है ...(व्यवधान) कि मेरे बेटे को ... * ने फंसाया है...(व्यवधान) यह ... * कौन है?...(व्यवधान) कर्नाटक का ... * को क्यों फंसा रहे हैं?...(व्यवधान) अध्यक्ष जी, कोलार प्रोजेक्ट दिया गया, जिसमें दो हजार करोड़ रुपये का घोटाला किया गया...(व्यवधान) कांग्रेस को ऊर्जा कौन दे रहा है...(व्यवधान) बैंगलौर के रिजॉर्ट में इतने लोगों को रखा गया है,...(व्यवधान) उनवा पैसा कहां से आ रहा है?...(व्यवधान) कांग्रेस वाले इस बात का उत्तर दें कि यह तीन करोड़ रुपया कहां से आया?...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री निशिकान्त दुबे, श्री शरद त्रिपाठी, श्री सुनील कुमार सिंह, श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, श्री रवीन्द्र कुमार राय, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री गोपाल शेट्टी को डॉ. किरीट सोमैया द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

<u>अपराह्न 03.35 ¾ बजे</u>

(इस समय श्री राजीव सातव और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

… (*व्यवधान*)

[11*] कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

माननीय अध्यक्ष: अब सभा मंगलवार, 8 अगस्त, 2017 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

<u>अपराह्न 03.36 बजे</u>

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 8 अगस्त, 2017 / 17 श्रावण, 1939 (शक)
के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

———————

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेज़ी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं:

https://sansad.in/ls

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

© 2017 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सत्रहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित